खण्ड-124, अंक-2
मंगलवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1875
(4 अगस्त, 1953 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 124 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय — पृष्ठ संख्या

पन्नी जी शुगर मिल, गोकुल नगर के मिल मालिक द्वारा मिल बन्द कर दिये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)... ... ... ... ... ११२–११४

आजमगढ़ जिले में ग़लत इन्दराजों के कारण सत्याग्रह करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ... ११४–११५

सार्वजनिक लेखा समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उप-निर्वाचनों का कार्यक्रम... ... ... ... ... ११५

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ (पारित).. ११५–१३५

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३ (विचारोपरान्त पारित)... ... ... ... ... १३५–१४७

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५० (प्रवर समिति को पुनर्निदिष्ट किया गया)... ... ... ... १४७–१५२

उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३ (विचारोपरान्त पारित) ... १५२–१६६

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय श्री उद्योग मंत्री का भाषण जारी) ... १६६

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभामंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

मंगलवार, ४ अगस्त, १९५३

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३७५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह , श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीननदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश , श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती दीन शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ )
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां , श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंज़ूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह , श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र , श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

---

### अहरोरा बांध पर व्यय

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अहरोरा बांध में कितना रुपया खर्च हुआ था और कितने का तखमीना था ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)—अहरोरा बांध का लगभग खर्चा और तखमीना इस प्रकार है—

| | |
|---|---|
| १९५२-५३ तक (मार्च १९५३ के अंत तक) | १२ लाख रुपया |
| १९५३-५४ का बजट प्रोवीजन | १५ ,, ,, |

मार्च, १९५३ के अन्त तक १२ लाख रुपया का तखमीना ( budget provision ) था, और लगभग १२ लाख रुपया ही व्यय हुआ।

१९५३-५४ का बजट प्रोवीजन १५ लाख रुपया है, इस प्रकार काम आरम्भ होने से मार्च, १९५४ के अन्त तक का पूरा तखमीना (बजट प्रोवीजन) २७ लाख रुपया हुआ, उसमें से जुलाई के अन्त तक के खर्चे का ब्योरा निम्नलिखित है, पूरे प्रोजेक्ट का तखमीना ४० लाख रुपये का है,

| | | रु० |
|---|---|---|
| जांच पड़ताल, जंगल सफाई तथा सर्वे | .. | १०,००० |
| नदी के धरातल की सफाई और ट्रेन्चेज की सफाई | .. | ४०,००० |
| दाहिनी ओर की पहाड़ी की सफाई तथा बिलास्टिंग | .. | ७०,००० |
| स्केप की बिलास्टिंग .. | .. | २,३०,००० |
| बांध की मट्टी .. | .. | ८,००,००० |
| साढ़े छै मील की नई सड़क मय ३८ नालों पर पुल तथा खरन्जे (कौजवेज) | .. | २,७०,००० |
| गरई नदी का पुल .. | .. | ५०,००० |
| रिवर स्लूस .. | .. | १,००,००० |
| अहरौरा नहर का स्लूस .. | .. | ५०,००० |
| स्लूसों के लोहे के फाटक .. | .. | ६०,००० |
| अहरौरा नहर .. | .. | ७०,००० |
| बिल्डिंग्स .. | .. | ३०,००० |
| विंग वाल (स्केप के लिये) .. | .. | २०,००० |
| फिल्टर टो .. | .. | ५०,००० |
| योग | .. | १८,५०,००० |

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अहरौरा बांध कितना लम्बा है और किस इंजीनियर की देखरेख में यह बांधा जा रहा है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---बांध की लम्बाई क़रीब ६ फर्लांग है। ऐडीशनल चीफ इंजीनियर हमारे श्री बी० पी० सक्सेना हैं, और एस० ई० श्री यादव मोहन थे जो इसकी देखरेख कर रहे थे अब वह गवर्नमेंट आफ इंडिया में चले गये हैं। उनकी जगह पर आजकल श्री विष्ट काम कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि इसी बांध में ब्रीच हुआ है, यदि हां, तो कितना लम्बा हुआ है और कितना लौस हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, हुआ है और क़रीब १०० फीट लम्बा हुआ है और ८० हजार रुपये का नुक़सान हुआ है।

श्री रामकुमार शास्त्री (ज़िला बस्ती)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एस्टीमेट कमेटी के सदस्यों ने अभी उसकी देख-रेख की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के समक्ष उपस्थित की है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---एस्टीमेट कमेटी के मेम्बरान वहां गये थे और उनकी रिपोर्ट क्या है इसकी इत्तिला हमारे पास नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी तौर से इसकी जांच कराई जा रही है ?

**श्री राममूर्ति**---नहर विभाग के चीफ इंजीनियर इसकी जांच पड़ताल करा रहे हैं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फ़ैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह डैम बनाये जाने के बाद कितनी खेती की जमीन डूब जायगी ?

**श्री राममूर्ति**---उसमें क़रीब ६०० एकड़ जमीन डूबेगी।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---क्या उन किसानों और जमींदारों को जिनकी जमीन डूबेगी सरकार कुछ मुआविजा दे रही है।

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---बिना मुआविजे के कोई जमीन नहीं ली जा रही है।

**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस डैम के कांस्ट्रक्शन के चार्ज में कौन इंजीनियर थे ?

**श्री राममूर्ति**---यह अभी बतलाया जा चुका है कि अभी तक जो वहां पर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर साहब थे उनका नाम यादव मोहन था। अब वह गवर्नमेंट आफ इंडिया चले गये हैं और उनकी जगह पर मिस्टर विष्ट आये हैं।

**श्री नेकराम शर्मा**---वे क्या कारण हैं, जिनकी वजह से यह ब्रीच हुआ ?

**श्री राममूर्ति**---मैंने अभी आप के सामने अर्ज किया कि हमारे चीफ़ इंजीनियर इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। अभी उनकी पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है।

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुना** (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डेम्स कांस्ट्रक्शन के संबंध में कोई विशेषज्ञों की कमेटी है जो इसकी जांच-पड़ताल करती है, इसके पहले कि काम चालू हो ?

**श्री राममूर्ति**---वैसे तो हमारे यहां एक कमेटी है। उसमें हमारे यहां के चीफ़ इंजीनियर और दोनों एडीशनल चीफ़ इंजीनियर बैठते हैं। उसके अलावा जहां तक डैम्स का ताल्लुक़ है जो दुनिया के मशहूर डाक्टर सेवेज डैम्स एक्सपर्ट समझे जाते हैं वे भी आये थे और उन्होंने जो अपने तर्जुबे की बिना पर बातें बतलाईं उनका भी ख़याल रखा गया है।

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुना**---क्या अहरौरा डैम के संबंध में इस कमेटी के सामने उसके बनने से पहले उसका सारा रूप आ चुका था ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---जी हां, इस बात की पूरी जांच हो गयी थी और उसका प्रिंट भी सामने आ गया था।

**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बांध की रिपेयर कब तक पूरी हो जायगी ?

**श्री राममूर्ति**---अभी तो वर्षा ज्यादा हो रही है। जब वर्षा जरा कुछ कम हो तब काम फिर शुरू किया जायगा।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस बांध के फट जाने से काश्तकारों का कितना नुक़सान हुआ है ?

**श्री राममूर्ति**---इस बात की भी जांच करायी गयी थी। काश्तकारों का कोई नुक़सान इसलिये नहीं हुआ कि अभी खेती बोने का वक्त आया नहीं था। ६ जुलाई को यह ब्रीच हुआ। इसलिये कोई नुक़सान काश्तकारों का हुआ नहीं।

**श्री नेकराम शर्मा**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह सही है कि धान के बीडों की जो खेती होती है उसको काफी नुक़सान हुआ है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---जी नहीं, यह बात ग़लत है।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---क्या इस बांध के निर्माण में किसी समय कई मजदूरों की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी ?

**श्री राममूर्ति**---इस ब्रीच से पहले ६ मई को जब कि नीचे की सतह में कंक्रीट डाली जा रही थी क़रीब २२ फ़ीट नीचे उस वक्त ऊपर क्रेक हो जाने से मिट्टी सरक गयी थी और उसमें ४ आदमियों की मृत्यु हो गयी थी।

**श्री शिवनाथ काटजू** (ज़िला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ब्रीच के पहले कभी कोई सूचना सरकार के पास आई थी कि काम ठीक ढंग से नहीं हुआ है ?

**श्री राममूर्ति**---मई के महीने में एक सज्जन अहरौरा के थे उन्होंने इंजीनियर साहब के पास ख़त भेजा था कि लोगों को शुबहा है कि यह डैम ठीक नहीं बन रहा है। तो हमारे ऐडीशनल चीफ़ इंजीनियर वहां गये थे और उन्होंने देखभाल करने के बाद जवाब भी दे दिया था कि कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आती जिससे शुबहा किया जाय।

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुना**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अहरौरा डैम के ब्रीच हो जाने के बाद सरकार क्या इस विषय पर विचार करेगी कि विशेषज्ञों की एक समिति तथा इस सदन के सदस्यों की मिली जुली कोई समिति इस डैम के संबंध में पूरी जांच करे कि काम ठीक चल रहा है या नहीं ?

**श्री राममूर्ति**---हमारे चीफ़ इंजीनियर इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी साबित हुई तो सरकार को कोई एतराज नहीं है। वैसे तो जब कोई डैम बनाया जाता है तो पहले कमेटी बैठती है और खूब अच्छी तरह से छान-बीन करने के बाद ही काम शुरू किया जाता है।

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (ज़िला देवरिया)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन मजदूरों की मिट्टी गिर जाने से मृत्यु हो गयी थी, उनके वारिसों को क्या कंपेन्सेशन दिया गया ?

**श्री राममूर्ति**---कंपेन्सेशन के बारे में हमें ४८,००० रुपये का ऐस्टीमेट दिया गया था जिनमें से २४ हजार रुपया इंटरिम कंपेन्सेशन के तौर पर दिया गया था और मामला लेबर कमिश्नर को रेफर कर दिया गया है क्योंकि इस मामले में वही एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। अगर उन्होंने ४८ हज़ार रुपया ही रिकमेंड किया तो वह भी दे दिया जायगा।

## तारांकित प्रश्न

*१---**श्री बाबू नन्दन** (ज़िला जौनपुर)---[२५ अगस्त, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

## अहरौरा बांध के फटने की दुर्घटना

*२---**श्री शिवकुमार शर्मा** (ज़िला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि अहरोरा डैम (dam) में १०० फुट चौड़ी दरार कब और किन कारणों से पड़ी ?

**श्री राममूर्ति**---अहरौरा डेम में १०० फीट चौड़ी दरार ६ जुलाई, १९५३ को सुबह ९ बजे हुई। सिंचाई विभाग के चीफ़ इंजीनियरों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और दरार होने के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

*३—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार इस डैम के फटने की दुर्घटना की जांच के प्रसिद्ध इंजीनियरों की एक कमेटी द्वारा अथवा किसी कमीशन द्वारा कराने का विचार रखती है ? यहा हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति—चीफ़ इंजीनियर की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा कि और क्या कार्यवाही आवश्यक है ।

*४—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस डैम के फटने से सरकार तथा कृषकों को अलग-अलग कितनी क्षति उठानी पड़ी है ?

श्री राममूर्ति—डैम के फटने से सरकार को लगभग ८०,००० रुपये की क्षति हुई है । जहां तक सूचना मिली है कृषकों को कोई विशेष हानि नहीं हुई ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डैम के ब्रीच हो जाने के बाद जब माननीय मंत्री मौके पर गये थे तो क्या वहां के मजदूरों ने ब्रीच के कुछ कारण बतलाये थे ? अगर बतलाये थे तो वे क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मजदूरों ने कोई कारण नहीं बतलाये ।

## रिहंद बांध का निर्माण

*५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिहंद बांध के निर्माण में इस समय तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—नीचे लिखे हुये काम अब तक किये गये हैं—

१—डैम के बनने की जगह पर और मिर्जापुर में बस्ती बसाने के लिये भूमि हासिल की गयी ।

२—मिर्जापुर में मुस्तकिल इमारतें जिनकी जरूरत थी, बनाई गईं ।

३—जिस जगह डैम बनने वाला है वह पहाड़ी चट्टानों वाली और पथरीली है । इन चट्टानों में से जिन पर डैम की बुनियादें रक्खी जायंगी उनकी बाबत यह देखने को कि यह चट्टानें काफी पक्की बेऐब और डैम के बोझ को संभालने वाली हैं या नहीं, ड्रिलिंग (drilling) के जरिये से तह-कीकात बड़े पैमाने पर कर ली गयी है । और इसकी तलाश कि वहां पर केकरीटिंग जिसके लिये पत्थर की जरूरत होगी उसके लिये क्वेरी (quarry) मौजूद है या नहीं, पूरे तौर पर की जा चुकी है ।

४—इस रकबे के लिये लोड सर्वे भी कर ली गई है ।

५—राबर्ट्सगंज से डैम तक ५० मील लम्बी सड़क, बड़ी-बड़ी मशीनें और दूसरे सामान पहुंचाने के लिये बन रही है ।

६—पानी की जरूरत पूरी करने का भी इन्तजाम कर दिया गया है ।

७—जंगल भी जो वहां थे और जिनका कटना जरूरी था, काटकर साफ कर दिये गये ।

८—स्टाफ वगैरह के लिये गैर मुस्तकिल इमारतें भी बनाई गई हैं ।

९—चट्टानों की कटाई और बोरिंग और डैम बनाने का पूरा सामान इकट्ठा किया जा रहा है ।

*६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या इस बांध का निर्माण इस पंच-वर्षीय योजना की अवधि में पूरा करने का आयोजन है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

*७--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार ने इस योजना के लिये धन का समुचित प्रबंध कर लिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस बारे में भारतीय सरकार से खतो किताबत की जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यदि सरकार इस डैम को पंचवर्षीय योजना में नहीं बना रही है तो यह बांध कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस डैम के बनने की म्याद ५ साल है और अब जाहिर है कि जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उसकी म्याद अब पांच से कम रह गयी है तो वह इस जमाने में पूरा नहीं किया जा सकता। चूंकि वह इन दो सालों में पूरा न हो सकेगा। इसलिये जवाब दिया गया था "जी नहीं"।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बिहार और विन्ध्य प्रदेश की सरकार से इस बारे में लिखा पढ़ी करने का विचार कर रही है कि वे भी रिहन्द डैम के खर्चे में अपना हिस्सा दें ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह विचार करने का मौका इसलिये नहीं आया कि जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट इस सूबे में नहीं आयी थी उस वक्त ही यह तय हो गया था कि सिवाय यू० पी० के इसको कोई और नहीं बनायेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या रिहन्द डैम की योजना भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होने की आशा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेरे दोस्त ने अगर प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को देखा होगा तो उनको मालूम होगा कि यह योजना उसमें शामिल कर दी गयी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मिली हुई धनराशि में कितना ऐसा रुपया है जो रिहन्द डैम के लिये सरकार हिन्द की तरफ से मिला है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसका जावाब दिया गया है कि उस रुपये के मुताल्लिक भारत सरकार और इस सरकार के दरमियान बातचीत हो रही है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रिहन्द डैम के निर्माण की वजह से कितने गांव उजड़ जायेंगे और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--तादाद तो इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन यह काम भी पहले हो चुका, गांव दूसरी जगह पर बसा दिये गये और उसके रिजर्वायर के लिये जिस जमीन की जरूरत थी वह हासिल करके खाली करा ली गयी है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द डैम से जो २ लाख किलोवाट बिजली तैयार होगी उसमें से कितनी अपने प्रांत में खर्च हो सकेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस सूबे के २२ जिले हैं, सब का नाम मैं पूरी तरह से नहीं ले सकता, जहां पर बिजली इस डैम से जा सकेगी और वहां मुख्तलिफ काम के लिये वह बिजली इस्तेमाल होगी, लेकिन फिलहाल उसका खर्चा नहीं है। जो रकबा उससे फायदा उठायेगा उन तमाम जगहों पर ट्यूबवेल्स बन रहे हैं और उनके लिये आरजी इन्तजाम बिजली का हो रहा है उस वक्त तक के लिये जब तक कि रिहन्द डैम से बिजली तैयार होकर उनको मिल सके।

**श्री महावीर प्रसाद शुक्ल** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अब तक इस योजना में कितना रुपया खर्च हो चुका है।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---तकरीबन ६० लाख रुपया इसमें अब तक खर्च हो चुका है।

**श्री महावीर प्रसाद शुक्ल**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोई बेतवा प्रोजेक्ट ऐसी योजना हो रही है जिसको तरजीह देकर सरकार इस योजना को छोड़ने का विचार कर रही है ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---यह बात बिलकुल गलत है।

**श्री शिवकुमार शर्मा**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस दो लाख किलोवाट बिजली में से कितनी इन २२ जिलों में खर्च होगी और कितनी बच जायगी ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---मैंने पहले ही अर्ज किया कि दो लाख किलोवाट बिजली उस तमाम एरिया में जहां रिहंद डैम से बिजली पहुंच सकेगी वह उन्हीं २२ जिलों में खर्च हो जायगी।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने इस बात की मांग की है कि रिहन्द डैम बनने पर उसका पानी और उसकी बिजली बिहार के जिलों को भी दी जाय ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---यह बात सही नहीं है कि बिहार सरकार ने बिजली मांगी है या पानी मांगा है। इसलिये कि जो रिजर्वायर १८० मील का रिहन्द डैम का बनेगा उसमें जो पानी होगा उसका सिचुएशन ऐसा है कि उसका बहुत थोड़ा हिस्सा इर्रीगेशन के लिये यू० पी० में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और वह अपने नेचुरल बहाव की वजह से बिहार की तरफ हो जायगा।

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुना**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आरजी इन्तजाम इन ट्यूबवेल्स को पावर देने के लिये किया जा रहा है वह जब रिहन्द डैम की योजना बन जायगी तो उसके अन्तर्गत पूरी तरह वह इस्तेमाल हो सकेगी या नहीं ?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---जो आरजी इन्तजाम है वह उठ कर यू० पी० के दूसरे हिस्से में चला जायगा और उसे वहां इस्तेमाल किया जायगा।

## आजमगढ़ आदि पूर्वी जिलों में गलत इन्दराजों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**---मेरे पास कल कुछ कामरोको प्रस्ताव आ गये थे। उनके संबंध में मैंने कहा था कि आज मैं फैसला दूंगा। तो मैं एक एक करके लेता हूं।

"यह सदन आजमगढ़ आदि पूर्वी जिलों में गलत इन्दराजों के कारण हजारों खेतिहरों के अधिकार हनन से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।" यह प्रस्ताव श्री गेंदासिंह जी का है, जो कल वाला है। इसे मैं ले रहा हूं।

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं क्योंकि इसी तरह का प्रस्ताव राम सुन्दर जी ने पेश किया है।

**श्री अध्यक्ष**---आप वापस लेना चाहते हैं ?

**श्री गेंदासिंह**---जी हां।

**श्री अध्यक्ष**---यह प्रस्ताव वापस लिया गया।

## गाजीपुर जिले में सादात रेल स्टेशन के पास श्री दलश्रंगार दुबे पर हमले के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——यह प्रस्ताव इस प्रकार है "यह सदन प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता श्री दलश्रंगार दुबे पर गाजीपुर पुलिस के कुछ अत्यंत कुटिल तत्वों द्वारा गाजीपुर जिले के सादात रेलवे स्टेशन के पास २८ जुलाई, १९५३ को हमले से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" यह श्री रामनारायण जी का है। इसमें "पुलिस के अत्यंत कुटिल तत्वों" इन शब्दों में कोई डफिनिटनेस नहीं दिखाई देती। दूसरे व्यक्तिगत मामला सा मालूम होता है। सार्वजनिक हित इसमें क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। तीसरे सरकार का क्या इससे संबंध है, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिये कायदे के अनुसार मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं। लेकिन राम नारायण त्रिपाठी जी की तरफ से यह कहा गया कि गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उनके दल के लोगों में कुछ गलतफहमी है। उनके दल को मैं यह मौका दे सकता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस समय अगर उनके पास कोई सूचना देने के लिये हो तो वह सूचना दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तक की सूचना जो मेरे पास है वह यह है कि २८ तारीख को गाजीपुर के सादात स्टेशन के पास श्री दलसिंगार दुबे ने साढ़े ५ बजे से साढ़े ७ बजे शाम तक एक सभा में भाषण दिया। करीब ९ बजे रेलवे स्टेशन से कोई ४ फर्लांग पर वह जा रह थे जबकि कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उनके चोट आई। वह रात को उठा कर बनारस के कबीरचौरा अस्पताल में लाये गये। किसने हमला किया इसके बाबत अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक डी० एस० पी० जांच कर रहे हैं। इतना बतला सकता हूं कि उसी रात को जिस वक्त कि घटना हुई उसके करीब २ घंटे बाद यानी साढ़े ११ बजे सादास स्टेशन पर एक सज्जन ने, जो वहीं के रहने वाले थे, खबर दी और वह दलसिंगार जी के साथ बनारस तक आये। वह खुद जा कर रेलवे स्टेशन से चारपाई और तकिया लाये। उनसे रिपोर्ट लिखाने के लिये भी कहा गया और जो रिपोर्ट उन्होंने लिखाई उसे मैं पढ़े देता हूं।

"There was a meeting organized by the Socialist Party near the Railway Station where Sarvasri Dalsingar Dube r/o. Brahmanpur, P. S. Nandganj, Sri Sidheshsar Prasad Singh r/o. Kundesar, P. S. Mohammadabad, Sri Ram Sunder Singh P. S. Mardah and Sri Rajbansh Lal, P. S. Mohammadabad delivered speeches. When the sun was setting we all went to village Daulatnagar where we took our meals with Sri Prabhu Narain Singh. While we were returning at about 8. 30. P. M. some persons armed with lathis approached us near the Railway crossing. Five persons approached us from behind and 10 from the right hand side and started beating Sri Dube ji, who fe ll down. He received Lathi injuries on the forehead and when alarm was raised the assilants took to their heels, They can be recognised when seen. We do not know anybody. Dubeji fell unconscious on the Railway Station and three persons left with him for Ghzaipur hospitai by train. I was asked to lodge a report at the Police Station. The arm and the leg has been fractured. Necessary action should be taken.

उनके साथ श्री सिद्धेश्वर सिंह थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक तार दिया था। तार में आपने लिखा है

"Dalsingar Dube mercilessly beaten by about 15 persons.
Leg and skull fractured. Condition serious
Sidheshwar Singh, Sadat",

उन्होंने भी किसी आदमी का जिक्र न एफ० आई० आर० में किया और न सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के तार में किसी पुलिस तत्व आदि का जिक्र है । दूसरे रोज बनारस के कबीरचौरा अस्पताल में दुबे जी ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने तीन पुलिस आफिसरों का जिक्र किया कि तीन पुलिस आफिसर्स थे और सादे कपड़े में थे उन्होंने मुझे मारा। बहरहाल मुझे तो अभी उस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैंने सिविल सर्जन से दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि उनकी जान का तो कोई खतरा नहीं है। अब वह यहां लखनऊ आ गये हैं और यहां अस्पताल में भर्ती हो गये हैं। अब कोई डेंजर तो उनकी जान को है नहीं। मामले की जांच हो रही है कि सचमुच वे कौन लोग थे जिन्होंने मारा। जिन तीन पुलिस आफिसरों का जिक्र है उनके बारे में भी जांच हो रही है कि वे कहां थे, वहां घटनास्थल पर थे या नहीं थे। बहरहाल उसकी वजह से कोई विषम परिस्थिति पैदा हुई या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता। यह जरूर अफसोस की बात है कि उनको चोट लगी है और जांच के बाद जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी चाहे वह जिस किसी के खिलाफ हो। चाहे वह पुलिस हो और चाहे कोई हो।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे एक बात स्पष्ट कराने के किये इजाजत देंगे ?

**श्री अध्यक्ष**---मैं इस वक्त उसके लिये इजाजत नहीं दूंगा। कल अल्पसूचित तारांकित प्रश्न यहां इस संबंध में आ सकता है। और अगर आप समझें कि उस पर और भी चीजें जानने की आवश्यकता है तो शाम को फिर भी आध घंटे बहस हो सकती है। यह तरीका उसका हो सकता है। लेकिन उसके लिये इस वक्त समय नहीं दिया जा सकता।

## जिला जालौन में थानेदार श्री प्रेमशंकर के रिवाल्वर से गडौरी के श्री भूरे सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष**---दूसरा एक कामरोको प्रस्ताव उक्त प्रकार का मदनमोहन जी उपाध्याय द्वारा पेश किया गया है। जिला जालौन के श्री भूरे सिंह की हत्या के संबंध में और यह कहा जाता है कि जिला जालौन के थानेदार श्री प्रेमशंकर ने उनको मारा। इससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के लिये यह सदन स्थगित कर दिया जाय। तो मैं इसके संबंध में भी माननीय गृह मंत्री जी को यह मौका दे सकता हूं कि यदि उनके पास कोई जानकारी हो तो वे सदन को दे सकते हैं। कायदे के अनुसार प्रस्ताव की मैं इजाजत नहीं दे सकता।

**गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---श्रीमन्, जो फैक्ट्स मेरे पास हैं वह मैं बतला देता हूं। साथ ही उसके मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाता हूं कि जो आपके पास नोटिस आई है उसमें लिखा है "जिला जालौन के थानेदार श्री प्रेमशंकर द्वारा मौजा गडौरी, जिला जालौन के श्री भूरे सिंह की नृशंस हत्या" और 'हत्या' शब्द ऐसा है जिसके माने होते हैं मर्डर और मेरी समझ में यह शब्द जो भी फैक्ट्स हों और उनकी बाबत जो भी मतभेद हों, लेकिन उनके देखते हुये भी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग जब तक मामले का निर्णय न हो जाय किसी जिम्मेदार आदमी को नहीं करना चाहिये। जो वाकया है वह यह है कि यह किस्सा गांव गडौरी, तहसील जालौन का है। वहां के कुछ लोग थाने पर आये और रिपोर्ट की कि एक सज्जन हैं भरत सिंह। उन लोगों ने उनके खिलाफ दफा ३६२ और ४५४ आई० पी० सी० में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वहां गांव में भरत सिंह को गिरफ्तार करने के लिये गई। यहां तक तो कोई मतभेद नहीं हो सकता। जो मत भेद की बात हो सकती है वह इस संबंध में हो सकती है कि भरत सिंह की गिरफ्तारी के वक्त क्या हुआ। सरकारी रिपोर्ट जो इस वक्त तक मेरे पास है उसमें यह है कि जब पुलिस उस गांव में भरत सिंह को गिरफ्तार करने के लिये गई तो उनके भाई भूरे सिंह ने कुछ पत्थर फेंकने शुरू किये। और कुछ और लोगों ने पुलिस आफिसर से रिवाल्वर छीन लेने का प्रयत्न किया। इस पर पुलिस आफिसर ने, सेल्फ डिफेंस के लिये रिवाल्वर चलाया। जिसमें भूरे सिंह मर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

गये। पुलिस आफिसर भरत सिंह को गिरफ्तार करने के लिये गये थे। अपनी सरकारी ड्यूटी करने के लिये गये थे। यह बात तो निर्विवाद है कि उनके रिवाल्वर से भूरे सिंह की मृत्यु हुई। अब इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी कर रहे हैं कि क्या उन्होंने राइट आफ सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया या जितना राइट आफ सेल्फ डिफेंस में उनको अख्तियार होते हैं उससे ज्यादा से काम लिया। उसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आयी है।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---क्या मुझे भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करने की इजाजत है?

**श्री अध्यक्ष**---जी हां, वही तरीका है। दोनों के लिये एकसां होगा।

## पन्नी जी शुगर मिल, गोकुलनगर के मिलमालिक द्वारा मिल बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**---यह कामरोको प्रस्ताव श्री नारायण दत्त तिवारी का है कि "यह सदन पन्नी जी शुगर मिल, गोकुलनगर को मिल मालिक द्वारा बन्द कर दिये जाने से समस्त तराई भावर खाम इस्टेट कोलोनाइजेशन व तराई स्टेट फार्म को भीषण आर्थिक क्षति होने की सम्भावना तथा संबंधित विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है" यह प्राइवेट मिल है इसका सरकार से क्या संबंध है। इस संबंध में श्री नारायण दत्त जी मुझे बतायें। तब मैं यह कह सकता हूं कि क्या निर्णय दिया जाय। वैसे तो अगर बहुत से लोग इसमें बेकार हो जाते हैं तो यह महत्व की बात हो जाती है, लेकिन सरकार का इससे क्या संबंध है, मैं इसको जानना चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण कृपया वह कर दें।

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, पहले शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट और नियमों के अनुसार जो २६ लाख रुपया इस गोकुलनगर मिल का पिछले वर्ष व इस वर्ष का काश्तकारों का देना है उसके संबंध में केन कमिश्नर को इस साल का 'आरबिट्रेशन' करना है। वह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि उस इलाके के सारे काश्तकार, राजनैतिक पीड़ित और किछा के बहुत से शरणार्थी बाशिन्दे उसमें आते हैं। इसके साथ ही कोलोनाइजेशन तराई स्टेट फार्म को भी ६॥ लाख रुपया इस मिल को देना है। तो इस प्रकार से सरकार से इसका संबंध हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि इस मिलमालिक ने उस मिल को बंद करके करीब एक हजार मजदूरों को निकाल दिया है। इसके अन्दर परमानेण्ट स्टाफ भी शामिल है, जो करीब २,५०० के करीब है। तो ऐसे समय में जब कि मजदूरों से मिलमालिकों का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पेंडिंग था, उसके अनुसार यह आवश्यक था कि मिलमालिक कोई क्लोजर प्ले आफ न करे क्योंकि वह झगड़ा चल रहा था। तो इन दोनों कारणों से मैं यह समझता हूं कि सरकार इस मिल के बन्द होने से काफी प्रभावित होती है।

**उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)**---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार से इस मिल का ताल्लुक होने के बारे में हमारे दोस्त ने जो रोशनी डाली है, वह गालिबन खुद समझे हों या न समझे हों लेकिन इस तरफ वाले तो उसको समझ नहीं पाये क्योंकि बात यह बिलकुल मामूली है। मिल के जिम्मे किसी का रुपया जैसा आपने बतलाया कि २६ लाख रुपया बाकी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार किसी प्राइवेट मिल को चालू रखने को मजबूर नहीं कर सकती है।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करना है कि ऐसे मोशन के लिये दो चीजें जरूरी हैं। एक तो उसमें अरजेन्सी होनी चाहिये और दूसरे वह डैफिनिट भी होना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि न तो यह अरजेण्ट है और न डैफिनिट ही है। अरजेन्सी इस वजह से नहीं है कि अभी तीन महीने का सीजन बाकी है। यह तीन महीने का वक्त इतना काफी है कि इसमें काफी इन्तजाम हो सकता है। इस मिल के बारे में जो सवालात हैं वह सरकार के सामने विचाराधीन हैं। लिहाजा आज कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होने नहीं जा रही है, अभी उसके लिये काफी वक्त है और इस समय में वह सहूलियत के साथ हल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमारे मित्र ने फरमाय.....।

श्री अध्यक्ष--क्या इस सीजन में इस समय काम बन्द वैसे भी आमतौर पर हो जाता है ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, इस वक्त मिल बन्द हो जाते हैं। इस मिल के आसपास बहेड़ी वगैरह की और भी मिल हैं। इस साल वहां पर भी इस मिल का गन्ना क्रश किया गया है। लिहाजा इस मिल के बन्द होने से जो खतरा हमारे दोस्त के दिल में है वह मेरे दिल में नहीं है। उसका इन्तजाम कर सकते हैं। ऐसी सूरत में मुझे न तो यह अरजेण्ट ही मालूम पड़ता है और न डैफिनिट, इसलिये यह किसी तरह से अलाऊ नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--चूंकि शुरू में आपकी इजाजत से मैंने यह बतलाया था कि सरकार का इससे किस तरह से संबंध है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कुछ और बातें बतलाईं। इसलिये मैं कुछ और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बतलाया उसके संबंध में मेरा यह निवेदन है कि सीजन में वैसे तो मिल बन्द हो जाते हैं, लेकिन उनकी सफाई वगैरह के लिये कुछ परमानेण्ट स्टाफ रहता है। मिल के पुर्जों और मरम्मत वगैरह के लिये उनको कुछ स्टाफ रखना होता है। इस प्रकार मिल कतई बन्द नहीं होती है। यह हर मिल का कायदा है। स्थायी जो कार्य करते हैं मशीनों की मरम्मत, सफाई और ओवरहालिंग करते हैं। यहां जो गोकुलनगर के मिल है इसके रोलर आदि मशीने कम हैं और पुराने हैं। इसमें साढ़े चार लाख रुपये की मशीनें लगायी जा चुकी हैं और इस साल भी इरादा था कि काफी मरम्मत हो और यह बात निश्चित है कि अगर इस मिल की मरम्मत और सफाई नहीं होती है तो तीन महीने के बाद सीजन की जो बात मंत्री जी कर रहे हैं, वह नहीं चल सकती है सीजन शुरू होने पर। इसके मिलमालिक ने बिना किसी कारण के स्थायी कर्मचारियों को भी अलग कर दिया है। साथ ही साथ डैफिनिट इसलिये भी है कि तराई-भावर, खाम इस्टेट कोलोनाइजेशन व तराई इस्टेट फार्म इतना बड़ा इलाका है कि जहां विकास करने में सरकार ने काफी रुपया खर्च किया है। वहां पर शरणार्थियों और राजनीतिक पीड़ितों और सेटलर्स ने गन्ना लगाया है। अगर उनका गन्ना पेला नहीं जायगा तो वहां के बसने वालों को इससे कितनी क्षति पहुंचेगी उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। जहां तक मजदूरों के निकालने का सवाल है एक हजार मजदूर हैं। दूसरे इतना बड़ा कोलोनाइजेशन क्षेत्र है, तीसरे वहां के राजनैतिक कार्यकर्ताओं व भावर के गन्ने का सवाल है। यह सब ऐसे सवाल हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश में खाली यही एक मिल है, जो बिना किसी कारण के बन्द कर दी गयी है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इंडस्ट्रियल डेवल्पमेंट ऐंड रेग्युलेशन के अनुसार इस मिल को रेग्युलेट किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--माननीय उद्योग मंत्री, आप को रेग्युलेशन के बारे में कुछ कहना है ?

श्री हुकुम सिंह—जहां तक रेग्युलेशन का तालुक है वह केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है। जब से नया ऐक्ट सन् ५१ में पास हुआ है तब से इस सरकार के हाथ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर) आपका सुझाव सरकार स्वीकार कर लेगी। लेकिन उसके लिये बहस करने की आवश्यकता रही नहीं।

जहां तक रेग्युलेशन का संबंध है इस सरकार से यह प्रश्न संबंधित मालूम नहीं होता है जहां तक एजेंसी का सवाल छेड़ा गया है तो, जो मजदूर वहां पर काम करते हैं उनके लिये अर्जेंसी तो जरूर है, मिल बन्द होने के बाद भी। लेकिन जो लोग सीजन पर आते हैं उनके लिये अर्जेंसी नहीं है। मैं यह समझता था कि उसकी वजह से सभी मजदूर बेकार हो जायंगे। लेकिन यह तो थोड़े से मजदूरों का सवाल है। उसके लिये सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह विचार कर रही है। तो इतनी अर्जेंसी की बात तो मालूम नहीं होती जब सरकार विचार कर रही है। इसलिये तत्काल इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

इन्डैफिनिट इसलिये भी हो गया कि यहां पर यह लिखा है कि कोलोनाइजेशन तराई इस्टेट फार्म को भीषण आर्थिक क्षति होने की संभावना है। भीषण क्षति की सम्भावना का निराकरण बता ही दिया माननीय मंत्री जी ने कि पिछले सीजन में वहां का गन्ना दूसरी मिलों को दे दिया गया इसलिये वह सम्भावना भी रही नहीं। वह डैफिनिट प्वाइण्ट उससे निकल गया।

अर्जेंसी भी नहीं रही। सरकार ने अभी जो बातें बतायी हैं उनके अनुसार यह नहीं मालूम होता कि वह चुपचाप बैठी है। जो कुछ वह कर सकती है कर रही है।

बाकी रेग्युलेशन का जो सुझाव है वह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। उससे इस सरकार का संबंध नहीं आता।

इन कारणों से मैं इसकी यहां पेश होने की इजाजत नहीं देता हूं।

## आजमगढ़ जिले में ग़लत इन्दराजों के कारण सत्याग्रह करने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडे का आज आया है। यह बहुत बड़ा है। मैं पढ़ना तो उचित नहीं समझता। मुख्तसिर बता देता हूं। गलत जो इन्दराज हुये हैं उसके बारे में कल एक कामरोको प्रस्ताव आया था। क्योंकि उसमें यह बात आई थी और यह कहा गया था कि उससे परिस्थिति यह बन रही है कि वहां सत्याग्रह होने जा रहा है। प्रस्तुत प्रस्ताव में सत्याग्रह का भी जिक्र है और साथ-साथ एक चीज नई जोड़ दी गयी है कि जो जांच सरकारी हाकिम कर रहे हैं वह पक्षपातपूर्ण कर रहे हैं। यह जोड़ देने से कुछ विशेष अन्तर नहीं होता, बल्कि नियमानुसार एक ही विषय के ऊपर ऐडजर्नमेन्ट मोशन आना चाहिये वह बात इसमें नहीं रही। यदि बहुत से विषय उसमें शामिल कर दिये गये तो और भी ऐडजर्नमेंट मोशन के लिये अनुचित सा होगा कि वह पेश हो। एक ही विषय उसमें आना चाहिये जिस विषय के बारे में कोई दिक्कत हो।

एक बात और भी मैं कह देना चाहता हूं कि "रीसेंट आफेंस" की बात सिर्फ इसमें यह है कि पक्षपातपूर्ण जांच हो रही है और गलत इन्दराज के बारे में जिक्र पहले भी सदन में हो चुका है और इसके लिये सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण मैं समझता हूं कि सब की याद में होगा कि कर दिया गया था कि उसकी कार्यवाही कानूनी तौर से दुरुस्त की जा सकती है।

अब जो शिकायतें हैं, कुछ खास शिकायतें जो कही गयीं कि पक्षपातपूर्ण ढंग से काम हो रहा है उसके लिये प्रश्न माननीय सदस्य कर सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं जब कोई पक्षपात हो और मालूम हो कि बहुत से लोगों के साथ इस तरह की कार्यवाही हो चुकी है तो प्रश्न पूछ कर जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव की भी इजाजत नहीं देता हूं।

## सार्वजनिक लेखा समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपनिर्वाचनों का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि सार्वजनिक लेखा समिति में इस समय दो स्थान रिक्त हुये हैं। एक तो जयपाल सिंह जी के त्यागपत्र देने के कारण और दूसरा ताराचन्द महेश्वरी का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने के कारण। इन दो रिक्त स्थानों के उपनिर्वाचन के लिये यह कार्यक्रम है—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय १० अगस्त, १९५३, दिन के एक बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १० अगस्त, १९५३, दिन के तीन बजे। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और समय १२ अगस्त, १९५३ दिन के १ बजे।

निर्वाचन तिथि, स्थान और समय यदि आवश्यक हो तो १३ अगस्त, १९५३, दिन के ११ बजे से ३ बजे तक विधान वाचानालय में होगा।

## * उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब स्वशासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय, विवाद जारी होगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से विरोधी दल से यह अपील करना चाहता हूं कि वह इस तरह के प्रश्नों पर जिनका हमारे राज्य के प्रमुख ५ नगरों के क़रीब क़रीब २५ या ३० लाख नागरिकों से प्रत्यक्ष संबंध है कम से कम अनासक्त भाव से, निर्लिप्त रूप से, डिस्पैशनेटल विचार करें और यदि वह इस प्रकार से विचार करें तो जैसे कि विरोधी दल के नेता ने यह लांछन लगाया कि इन प्रशासकों की नियुक्ति जनाधिकारों पर प्रहार है तो उनको यह मालूम होगा कि यह जनाधिकारों पर प्रहार नहीं है। सम्भव है कि कुछ थोड़े से व्यक्ति जो उन म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के रूप में रहे हों, उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रहार हो रहा हो, किन्तु उन २५, ३० लाख नागरिक के अधिकारों पर यह प्रहार नहीं है।

जब-जब इस प्रकार के प्रसंग आये हैं तब तब विरोधी दल के प्रवक्ताओं ने हमेशा म्युनिसिपैलिटी के शासन की आलोचना की है और इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि शहरों की सड़कें, वहां की म्युनिसिपल डिस्पेंसरीज, वहां के मकान, हाट, हाते सब इस प्रकार की परिस्थिति में हैं कि जहां मनुष्य के लिए जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है इस प्रकार की स्थिति जिन लोगों के द्वारा इन नगरों की बना रखी गई हो, यदि आज जब हम इन नगरों में कारपोरेशन स्थापित करने जा रहे हों, ताकि इस प्रकार की स्थिति से इन नगरों को मुक्त कर के सुन्दर और उचित ढंग से उन नगरों का सजाव बनाव कर सकें, इस उद्देश्य से जब प्रेरित हो कर के प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है तो इस पर हमारा विरोधी दल गौर करे तो हमारा ख़याल है कि वह यह नहीं समझेगा

---

*३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री देवदत्त मिश्र]

कि यह जन अधिकारों पर प्रहार है । विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि हमारी सरकार शिफ्टिंग फ्राम डेमाक्रेटिक टू आटोक्रेटिक रूल, लोकतंत्रीय शासन से वह एकतंत्रशाही की ओर चली जा रही है । मैं माननीय विरोधी दल के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर डिमाक्रेसी है क्या चीज । देश के ३५ करोड़ लोगों ने चार हजार आदमियों को या ४५ सौ आदमियों को अपने सारे अधिकार दे दिये । उन पांच हजार आदमियों ने एक एक प्रान्त में या एक एक राज्य में या यह कहा जाय कि छः छः करोड़ या तीन-तीन करोड़ या चार-चार करोड़ आदमियों ने अपने सारे अधिकार ३०० या ४०० या ढाई सौ आदमियों को डेलीगेट कर दिये और उन तीन सौ, चार सौ या ढाई सौ आदमियों ने अपने सारे अधिकार एक मंत्रिमंडल के दस या बारह आदमियों को डेलीगेट कर दिये । ठीक उसी तरह यदि आज इन म्युनिसपल बोर्डों के शासन का भार हम डेलीगेट कर रहे हों एक आदमी को तो इसमें एकतंत्रशाही की बात कहां से आती है, हां अगर हम सब इस सदन की अनुमति न लेते, यदि इस सदन की स्वीकृति न लेते तो यह कहा जा सकता था कि इस प्रकार अपने सदन के या व्यवस्थापिका के अधिकारों पर प्रहार कर रहे हैं या उनकी उपेक्षा कर रहे हैं किन्तु ऐसी बात नहीं है । हम सदन की अनुमति ले कर के इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं । तब मेरी समझ में ऐसी कोई बात नहीं आती है कि जिससे यह कहा जाय कि हमारी सरकार जनहित पर प्रहार कर रही है या व्यवस्थापिका के अधिकारों की उपेक्षा कर रही है । मैं विरोधी दल के नेता से कहूंगा कि उनके नेता श्री जय प्रकाश नारायण जी ने अभी कल बम्बई में वक्तता देते हुये पूंजीवादियों से जिन भावना की अपील की है जरा उस पर वे गौर करें । उन्होंने उनसे कहा कि आप समाजवाद अथवा साम्यवाद को भूल जाइये, जनता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाइये । ठीक उसी तरह से विरोधी दल के नेता से कहता हूं कि आप कांग्रेस विरोध को भूल जाइये, इन नगरों की भलाई किस बात में है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस विधेयक के ऊपर गौर कीजिए तो आप समझेंगे बल्कि आप इस बात के लिए बधाई देंगे कि हमारी सरकार ने इस प्रकार का क़दम उठा कर के बहुत अच्छा कार्य किया है । हमारे विरोधी दल के एक और बन्धु ने यह कहा कि हमारी यह सरकार चाहे जिस तरह से हो वह सत्ता से पावर से चिपटी रहना चाहती है । मेरी समझ में नहीं आता, इसके कहने का क्या तात्पर्य है । पावर तो इस प्रकार की देश की जनता ने ही दे रखी है । उस पावर का वह उपयोग कर रही है, और कोई भी सरकार जो होगी उसको जो यह सब अधिकार मिलते हैं उनका तो वह प्रयोग करती ही है देश हित में, जनहित में, लिहाजा पावर से चिपटने की कोई बात नहीं है । हां यह बात हो सकती है कि आज वह शक्ति कोई दूसरे लोग चाहते हों और चूंकि उनके हाथ में नहीं है तो इस प्रकार की बात उनको खल रही है तो यह दूसरी बात है । किन्तु सरकार के पावर से चिपटने की कोई बात नहीं है । सरकार को जनतांत्रिक ढंग से, वैधानिकरूप से इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह राज्य का शासन करे और राज्य का शासन जिस रूप से सुन्दर भाव से चले उस पर विचार कर के वैसी कार्य पद्धति का अवलम्बन करना प्रत्येक विवेकशील सरकार का कर्त्तव्य होता है और हमारी सरकार उसी रास्ते पर जा रही है । आज हम मानते हैं, जैसा कि हमारे बन्धुओं ने कहा कि जनतांत्रिकता से इसका विरोध है । किस बात में ? जनतांत्रिक ढंग सेहो .....

**श्री अध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि आप जरा दोहरा रहे हैं । आप विषय पर आ जायं तो ज्यादा अच्छा हो ।

**श्री देवदत्त मिश्र**—मैं यह कह रहा था कि जिस प्रणाली के द्वारा म्युनिसिपल बोर्डों का चुनाव हुआ था वह प्रजातांत्रिक प्रणाली थी और वह जनतांत्रिक प्रणाली यदि उन नगरों के प्रशासन को सुन्दर रूप से कार्य करने में सक्षम न हुई तो यदि कोई एक व्यक्ति उसको दुरुस्त कर सकता है, ठीक कर सकता है और उसको कार्य भार सौंपा जाता है तो इसमें प्रजातांत्रिकता का कोई विरोध नहीं है । मैंने जैसा कहा मैं फिर अपने विरोधी दल से इस बात को अपील करूंगा कि वे उस प्रश्न पर पुनः विचार करें । यदि वे केवल विरोध की दृष्टि से ही विचार करेंगे तो मेरा ऐसा खयाल है कि वह सही नतीजे पर नहीं आयेंगे जैसा कि हमेशा हुआ करता है ।

**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, कल जिस समय यह विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ था दुर्भाग्य से मैं थोड़ी देर के लिये बाहर चला गया था और मैं विद्वतापूर्ण भाषणों को, उन बहुत ही अहम बातों को सुनने के सौभाग्य से वंचित रह गया जो कि इस सदन में हमारे विरोधी पक्ष की ओर से कही गयीं थीं। बाद में दूसरे पहर जब श्रीमन् मैंने दो तीन भाषण सुने तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि यह समस्या वास्तव में वैसी नहीं है जैसी कि हम समझते थे। यह तो बड़ी गम्भीर है, इसके द्वारा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने प्रजातंत्र की हत्या कर डाली। इसके द्वारा उन बातों को भी यहां पर पेश करने का मौका मिला जिन से कि हम सिर्फ इस बात का फैसला न कर लें कि हाल में जो उपनिर्वाचन हुये हैं उनमें कांग्रेस क्यों हारी बल्कि इस बात का भी फैसला कर लें कि सदन के यदि कोई सदस्य किसी परीक्षा में सम्मिलित हुये थे तो फेल क्यों हो गये। बहुत बहुत दूर तक बातें चली गयीं। मुझे आश्चर्य सा हुआ जब कि वयोवृद्ध ठाकुर मलखान सिंह जी ने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस पक्ष में केवल "एसमैन" हैं, नोमैन हैं ही नहीं। वे तो बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने तो संसार की पार्टी प्रणाली का पूरा अनुभव होगा और शायद वे कुछ ऐसी पार्टियों को जानते होंगे जिनमें कि "एसमैन" न होते हुये भी पार्टी प्रणाली चलती होगी। हमारे श्री झारखंडेराय जी कम्युनिस्ट पार्टी के एक धुरन्धर विद्वान यहां पर उपस्थित हैं। वे अपनी पार्टी के संबंध में जानते होंगे कि "एस" से जरा सा खिसक जाने पर क्या दुर्गति होती है। बैरिया की जो दशा हुई वैसी दशा तो आये दिन रूस में होती ही रहती है। तो यहां "एस" और "नो" का प्रश्न नहीं है, चुनाव में हार जीत का प्रश्न भी नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत पार्लियामेंटरी प्रणाली से परिचित हूं खाली किताबों के द्वारा, थोड़े अध्ययन के द्वारा। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसे उपनिर्वाचनों के संबंध में, ग्रेस के नाम पर खुल कर के सभा भवन में विचार नहीं किया जाता। इसलिये कि यह स्थिर चीज है, आज जो बात होती है, कल न जाने कैसी उसकी प्रतिक्रिया हो, न जाने कैसा उसका परिणाम हो। बहुत ही थोड़े दिनों की बात है। इसी ९ मई सन् ५३, की एक छोटी सी घटना इस सदन के सम्मुख आप के द्वारा उपस्थित करना चाहता हूं। ९ मई, १९५३, को आस्ट्रेलिया की सिनेट का निर्वाचन हुआ था और वह निर्वाचन दो तीन प्रादेशिक निर्वाचनों के बाद हुआ था जो कि आस्ट्रेलिया में हुये थे और जिन निर्वाचनों में लेबर पार्टी ने कुछ सीटें जीती थीं और उन सीटों के जीतने के समय कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया और लगाने के बाद ऐसी कुछ धारणा बंध गई थी कि अब यह ९ मई का निर्वाचन आने वाला है इस निर्वाचन में तो लेबर पार्टी ने बाजी मार ली और फिर तो जो वर्तमान शासक पार्टी है उसका बंटाधार होगा। तो श्रीमन् बहुत बड़े विद्वान, बड़े अच्छे काबिल डाक्टर एवाटके होते हुये भी ऐसी बातें दो चार जगह कही गयी थीं। उसका बड़ा बुरा परिणाम निकला। ९ मई का निर्वाचन हो गया। जो लोग जानते होंगे उनको मालूम होगा कि जितनी धारणायें बनाई गयी थीं सब की सब ग़लत साबित हुईं। उस आम निर्वाचन का जो परिणाम निकला उससे लेबर दल पुनः अल्पमत में ही ज्यों का त्यों रह गया और सीटें लूज ही कीं, गेन नहीं कीं। यही सामंजस्य यहां के उपनिर्वाचन में भी हो सकता है कुछ में कांग्रेस हारी। मैं समझता हूं, श्रीमन्, कुछ हमारे दोस्त थे कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के दोस्त थे और कुछ शासन के दोस्त थे। लेकिन ऐसा कह देना कि इसका हमारे ऊपर एक आतंक छा गया है, इसका एक हमारे ऊपर ऐसा भय छा गया है, यह तो उनके दिल से भी पूछा जा सकता है जिन्होंने उपनिर्वाचन को जीता होगा और वह जानते होंगे कि उन निर्वाचनों में किस बात की सीमा कहां तक थी। इसमें मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि जो उपनिर्वाचन, आम निर्वाचन होने वाले हैं उसकी जो चीज ध्यान में रखी जाती है मैं पुनः उस ओर आना चाहता हूं। यद्यपि हमारे समाजवादी दल के लोग जब अपनी बात होती है तो स्पष्ट कह देते हैं कि हमारे भारतवर्ष की बात कीजिये बाहर की बात मत कीजिए लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कोई भी ऐसी सोशलिस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग नहीं होती है जिसमें वह स्वयं न जांय। मैं पुनः आस्ट्रेलिया की बात बताना चाहता हूं कि सन् १९४७ ई० की बात है। उस समय लेबर पार्टी पावर में थी तो जब दो चार निर्वाचन होने लगे तो वहां की लेबरपार्टी ने कुछ स्थानीय इश्यू और कुछ केन्द्रीय फेडरल इश्यू साथ-साथ पेश कर दिये तो समाजवादी दल ने कह दिया कि बड़ी

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

अनैतिक बातें करते हैं, बड़े भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। यह सभ्यशिष्ट और राजनीतिक जातंत्र की बात होती है। देश का निर्वाचन हो तो देश की बात की जाय, प्रान्त का निर्वाचन हो तो प्रान्त की बात की जाय। प्रान्त से बाहर की बात न की जाय। किन्तु दुर्भाग्य से या सौभाग्य से लिबरल पार्टी की उस बात को विरोध करने वाली लेबर पार्टी ने ५२-५३ में वही किया और उस की प्रतिक्रिया बहुत ही भंयकर यह हुई कि ६ मई, १९५३ ई० को वह हारे और इसलिये हारे कि उन्होंने प्रादेशिक, प्रान्तीय और केन्द्रीय विषयों को एक में मिला दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारे सम्मानित सदस्य जो उधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं कि वह प्रान्तीय निर्वाचन, उप निर्वाचन और म्युनिसिपल निर्वाचन दोनों समस्याओं को एक में मिला दें। इसकी मांग उनके लिये अच्छी नहीं होगी, उनके दल के लिये अच्छी नहीं होगी। हम तो "एस मैन" हैं लेकिन ठाकुर मलखान सिंह जी जिस दल में होंगे उसमें नो मैन की बहुतायत होगी। मैं उन के दल के हित की दृष्टि से निवेदन करूंगा कि कृपा करके इस भ्रम को दूर करें। हमारा दल जैसा कि आचार्य कृपलानी जी ने कह दिया कि कांग्रेस वाले रावण दशमुख हैं, उनको दशमुख घोषित कर दिया। कांग्रेस वाले रावण हैं इसलिये उनकी कोई भी चीज निश्चित नहीं। श्रीमन्, मैं मानता हूं कि रावण के दशमुख का जो भी शास्त्रीय अर्थ हो उसे आचार्य कृपलानी ने समझने की आवश्यकता नहीं समझी और न मैं समझता हूं कि हमें भी उसके लिये अपना समय नष्ट करना चाहिये। परन्तु यदि समाजवादी दल को कांग्रेस रूपी रावण से उत्पन्न मेघनाद कहें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। और इस मेघनाद के दल से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि याद रखिए गरजने से कोई फायदा नहीं होता है खासकर में उन बातों पर जो कि वास्तविकता से दूर नहीं है, आज म्युनिसपल निर्वाचन की समस्यायें हैं, इस मेयर के निर्वाचन की भी बात है, यदि यह कह दिया जाय कि प्रजातंत्र का इससे हनन होने वाला है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे माननीय मित्रों ने कुछ और देशों के कारपोरेशन्स और मेयर प्रणाली का अध्ययन किया है। जब कि हमारे देश में कारपोरेशन बनाने की आवश्यकता समझी जाती है तो उनका अध्ययन करना आवश्यक है। क्या हमारे मित्रों को मालूम है कि जिन देशों में आज कारपोरेशन और मेयर की प्रथा को बहुत ऊंचे चढ़ा दिया है उनको प्रजातंत्र का एक बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग बना दिया है, उन देशों में मेयर्स को क्या-क्या दंड तक मिले हैं।

मुझे लिवरपूल या आक्सफोर्ड की एक घटना याद आगई। वहां एक मेयर था। वहां पर क़ायदा था कि अमुक समय पर नगर का फाटक बन्द कर दिया जाय। एक दिन की बात है कि दुर्भाग्य से फाटक समय पर बन्द नहीं हुआ जिसके कारण एक क़ैदी नगर से निकल कर भाग गया। इसके लिये वहां की मेयर की और गेटकीपर दोनों को एक साथ एकही जगह फांसी पर लटका दिया गया। ऐसी जगह इस प्रकार मेयर की और कारपोरेशन की बहुत सी प्रथायें डेवलप होती रही हैं। तो अगर हम यह कह दें कि प्रजातंत्र के नाम पर हमें देखभाल कर कार्य करना होता है तो कोई ग़लत बात भी नहीं है। दूसरे देशों की बातों को भी हमें समझ कर चलना होगा और उससे हमारा अधिक लाभ होगा। आखिर हमारे देश का और खास कर हमारे प्रदेश का स्वशासन बहुत शिशु अवस्था में है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत को छोड़ कर कुल शायद ५८० म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनकी आमदनी सन् ४८-४९ में ७६.४ करोड़ रुपये वार्षिक की थी। जो म्युनिसिपैलिटीज बहुत बड़ी कही जाती हैं वे ४ थीं। बम्बई की आमदनी, ३ बरस पहले, लगभग ८ करोड़ रुपये की, कलकत्ते की ६.४ करोड़ और तीसरे नम्बर मदरास की और चौथे नम्बर अहमदाबाद की थी। अहमदाबाद के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। वहां की जन संख्या ७ लाख ८८ हजार और उसकी म्युनिसिपैलिटी की आमदनी १ करोड़ ६१ लाख थी। कानपुर आज से ५ बरस पहले या ६ बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में नहीं गिना जाता रहा होगा किन्तु आज कानपुर इस बात का दावा कर सकता है कि भारत की ६ प्रसिद्ध म्युनिसिपैलिटीज में उसका चौथा है। उसकी आमदनी २ करोड़ रुपये के क़रीब है। उसकी आबादी क़रीब ८ लाख के हो चली है। इसलिये इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुये भी कोई कारण नहीं है कि हम इसके विषय में बिलकुल उदासीन रहें कि हमारी म्युनिसिपैलिटी का शासन कैसे होता है। आखिर म्युनिसिपैलिटी कहते किसे हैं? म्युनिसिपल

का अर्थ स्टेट्स होता है । म्युनिसिपैलिटी उसे कहते हैं जो बाईलाज बना सके। नियम बनाने वाले को नियम के दायरे के भीतर रहना होगा। जहां उनके बनाने वाला दायरे के बाहर चलाँ जाता है वहां हमारे स्वशासन कानून की ३७वीं धारा के अनुसार उसको दंड दिया जा सकता है । यह एक साधारण, बहुत ही साधारण, जूरिसप्रूडेंस का बहुत ही साधारण सिद्धांत होगा। आखिर हमारे मित्रों ने इस बात की भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि किस वजह से हम इन म्यूनिसीपैलिटीज का पुनस्संघटन करना चाहते हैं। जब बुद्धि साफ़ नहीं होती तो अनायास निन्दा करने की बात से कोई लाभ नहीं होता है ।

एक छोटी सी बात बनारस की है कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने यह निश्चय किया कि हम अपने यहां के इतने कर्मचारियों को निकाल दें । वहां एक म्युनिसिपल कर्मचारी संघ है जो हमारे समाजवादी बन्धुओं के हाथ में है और दूसरा कांग्रेस वालों के हाथ में है । दोनों कर्मचारी संघ ने गवर्नमेंट से अपील की कि यह म्युनिसीपैलिटी निकम्मी है, इसके हाथ से अधिकार ले लेने चाहियें और एक भी कर्मचारी न हटाया जाय । उसके बाद कमिश्नर के आदेश के अनुसार यह निश्चय हुआ कि म्युनिसिपैलिटी का बजट स्वीकार नहीं किया गया और कर्मचारी नहीं निकाले गये। इस पर हमारे समाजवादी बन्धुओं ने शहर में जाकर नारा लगाया कि देखो यह हमारे आन्दोलन का परिणाम है कि गवर्नमेंट ने सिटी फादर्स की बात ठुकरा कर हमारी बात मान ली।

न जाने प्रजातंत्र के किस सिद्धांत के अनुसार किसी गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह जनता द्वारा चुने हुये मेम्बरों की बात को ठुकरा कर कोई बात सुने या माने। लेकिन जहां पर अपनी बात का समर्थन हुआ वहां पूरे तौर से प्रजातंत्र की बात समझ ली गई थी और वह स्वीकार कर ली गई थी इस में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है । जब म्युनिसिपैलिटी डिसौल्व हो गई और शासक की नियुक्ति हो गई तो बनारस की समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव द्वारा सरकार को बधाई दी गई कि म्युनिसिपैलिटी का डिसौल्व करके जो शासक की नियुक्ति की गई है हम उसका स्वागत करते हैं । इसके बाद यहां पर लखनऊ में बैठे हुये एक बड़े नेता के दिमाग में यह चीज आई कि यह तो कोई अच्छी चीज मालूम नहीं होती कि गवर्नमेंट की किसी भी बात की प्रशंसा हो। सब लोग श्री जय प्रकाश नारायण जी की तरह से उदार नहीं हो सकते हैं जो यह कह देते हैं कि हमें हर्ष है कि गवर्नमेंट ने बेकारी के मामले पर ध्यान देना शुरू कर किया है। सब लोग ऐसी बात नहीं कहते । बहुत से लोगों की केवल यही प्रेरणा होती है कि जैसे भी प्रास्ट्रेशन उत्पन्न किया जाय, जो शुद्ध समाजवादी होते हुये कम्युनिस्टों के केवल विरोधी हैं कि उनमें एक छोटा सा अंतर रह जाता है कि कम्युनिस्टि बड़े खुले दिल और साफ दिल से इतना तो स्वीकार कर लेगा कि शुद्ध समाजवाद की स्थापना के लिये कुछ समय के लिये डिक्टेटरशिप होना आवश्यक है। लेकिन समाजवादी तो चाहते हैं कि किसी प्रकार का अधिनायकवाद न हो। पर समाजवादी शासन जहां दृढ़ होता है वहां पर वह ऐसा अनिवार्यतः हो जाता है कि उनकी कंट्रोल आफ इकोनौमी में नौकरशाही मजबूत बनती जाती है और उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जाते हैं।

हमने केवल एक छोटा सा काम किया । हमने देखा कि इन म्युनिसिपैलिटीज की जो परिस्थिति है उससे समाज को कष्ट होता है कानपुर की म्युनिसिपैलिटी को ले लीजिये, आगरे की म्युनिसिपैलिटीज को लीजिये, इलाहाबाद की म्युनिसिपैलटी को ले लीजिये और बनारस की म्युनिसिपैलिटी को लीजिये। यहां पर लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बनारस की म्युनिसिपैलिटी के संबंध में बड़ी विपत्ति तो यह थी कि वहां पर हमारे वाटर वर्क्स का प्रबंध बहुत बुरा था। इसका इतना बुरा प्रबंध हो गया था कि आदमी को शुद्ध जल मिलना मुश्किल हो गया था साफ जल आदमी को न मिल सके तो जो वहां दुर्दशा हो सकती है उसकी कल्पना मेरे विचार से कोई कठिन नहीं है। बनारस कि म्युनिसिपैलिटी में इस जलकल की समस्या के अलावा एक बड़ी विपत्ति यह और हो गई थी कि वहां पर हिसाब किताब की भी बड़ी गड़ बड़ी थी। कोई

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

हिसाब नहीं मिलता था, कोई खाता नहीं मिलता था। बहुत सी शिकायतों के साथ साथ यह भी एक विशेष बात थी कि वहां पर मेम्बरान जाती फायदा उठा रहे हैं। कानपुर म्युनिसिपैलिटी की शिकायतें और भी ज्यादा हैं। एक खास शिकायत तो यह थी कि सब कुछ रुपया के होते हुये भी न तो सड़कों की ही उन्नति हो सकी, न ड्रेन्स की ही उन्नति हो सकी और न जलकूप के लिये रुपया ही मिला उसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे मामले भी थे जिनके विषय में यह फैसला नहीं हो सकता था कि कौन इनका फैसला करेगा। इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के बारे में यह शिकायत थी कि या तो डबल पेमेंट हो गया या एक्सेज पेमेंट हो गया। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है जब कि हमारी एक बहुत ही छोटी सी आमदनी है। हम अमेरिका जैसे देश की म्युनिसिपैलिटीज़ से अपने यहां की म्युनिसिपैलिटीज़ की तुलना नहीं कर सकते हैं। वहां पर करीब ७००० म्युनिसिपैलिटीज़ हैं और वहां पर ५ अरब के करीब म्युनिसिपैलिटीज़ की आमदनी है और वहां पर सब खर्चा करने के बाद १५ करोड़ रुपये सालाना की बचत होती है। हमारी इसके सामने क्या हैसियत है हमारे कबाल टाउन्स की आमदनी सब मिलाकर ३ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगी और हमारी समूची म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी ८ करोड़ से ज्यादा नहीं है ऐसी परिस्थिति में जब हम अपनी म्युनिसिपैलिटीज़ का मुकाबिला करें कि अमुक देश की म्युनिसिपैलिटीज जितनी सुन्दर हैं, क्या मुकाबिला हो सकता है। हम प्रयत्नशील भले ही हों लेकिन हमारे पास साधन ही क्या हैं। इंगलैन्ड की एक आध म्युनिसिपैलिटीज़ का जिक्र कर दिया जाता है। वहां पर १५० करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटीज ने अकेले मकानों पर ही लगा दिया, ७० करोड़ रुपये केवल पुल बनाने में लगा दिया हैं, ७५ करोड़ रुपये ट्रांस्पोर्ट पर खर्च कर दिया है और १४० करोड़ रुपये वाटर वर्क्स में लगा दिये तो ऐसे देश की म्युनिसिपैलिटीज से हम, आप ८ करोड़ की आमदनी वाले क्या तुलना कर सकते हैं? हमारे लिये तो आवश्यक यही है कि माननीय स्वशासन मंत्री ने जिस साहसपूर्ण रूप से इस कार्य को किया है उसका हम न केवल समर्थन करें बल्कि ऐसी सहायता करें जिससे वह इस घर के ठीक करने में सफल हो सकें, प्रजा के द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा बनाई हुई सरकार और उस प्रजा की सरकार के द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा उस घर को फिर से ठीक रास्ते पर ला सकें ताकि हम उसको कार्पोरेशन के लिये तैयार कर सकें। बात केवल इतनी सीधी सी है। बहुत सी और भी म्युनिसिपैलिटियां होंगी जिनको माननीय प्रशासन मंत्री जानते होंग कि उनका काम बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी म्युनिसिपैलिटीज को जिनको उन्होंने सस्पेंशन का नोटिस दे रखा है उनको काफी दिनों तक सरकारी संचालन में रखें ताकि उनकी हालत बिल्कुल सुधर जाय।

एक सज्जन ने कुछ चुनाव से डरने की बात कही। उस विषय में मैं केवल यही कह देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी इस सवाल को सभा भवन में उठाया उन्होंने कोई बहुत शोभनीय कार्य नहीं किया, न अपने दल के लिये और न अपने विचारों की पुष्टि के लिये। यदि ऐसा कोई फैसला करना है तो दो आदमी मिल कर इसका ही फैसला करलें। किन्तु ऐसे अवसर पर जबकि वास्तव में हमारे सामने गवर्नमेंट ने ऐसा अवसर दिया कि हम अपने उस बिगड़े हुये घर को ठीक कर लें तो उसकी निन्दा कर के जनता में एक प्रकार की विरोध की भावना उत्पन्न करने के लिये ऐसी बात करना कोई लाभदायक बात नहीं है। कम से कम प्रदेश के हित के नाम पर ऐसी बातों को न करना ही उचित होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल से इस विधेयक पर होने वाले बहुत से भाषण सुने और अन्त में जो माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उसके समर्थन में भाषण दिया उसको बड़े गौर से सुना।

श्रीमन्, जहां तक कार्पोरेशन बनाने का सवाल है मैं भी सरकार से सहमत हूं और मैं यह समझता हूं कि शहरों की तरक्की के लिये यह चीज जरूरी थी। लेकिन श्रीमन् माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जिस खूबी और योग्यता से सरकार की कार्यवाही को उचित बताया उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि जो पांच शहर आपने लिये उनमें से दो शहर तो ऐसे हैं जहां पर पहले से ऐडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर थे, इसलिये वहां अगर आपने फिर मुकर्रर कर दिये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपत्ति हो सके, लेकिन बाकी तीन म्युनिसिपैलिटियां जिनके बारे में न तो सरकार ने उद्देश्य में बतलाया है और न कोई ऐसे कागजात हम लोगों के सामने आये हैं कि उनको सुपरसीड करने की आवश्यकता क्यों हुई और यह समझ लेना कि चूंकि कार्पोरेशन बनने जा रहे हैं इसलिये सिर्फ ऐडमिनिस्ट्रेटर या सरकार के नियुक्त किये हुये आदमी द्वारा ही ऐसी सुविधा पैदा की जा सकती है और जनता द्वारा चुनी हुई लोकल बाडीज वैसा नहीं कर सकती हैं, इससे मुझे बहुत विरोध है कि यह सरकार जो इस बात का दावा करती है कि हमने प्रजातंत्रवाद यहां कायम किया और उसी के अनुसार हम सब का चलना कर्तव्य है और वही प्रजातंत्रवाद के विरुद्ध काम करे। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें बहुत अड़चनें हैं, तो मैं श्रीमन्, आपके जरिये से उन माननीय सदस्यों से यह बता देना चाहता हूं कि नशाबन्दी जो इस सूबे में चल रही है यह सभी जानते हैं कि वह प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है प्रेक्टिकल नहीं है। लेकिन श्रीमन् जब नशा बंदी का सवाल आता है तो यह सरकार और उसके ये माननीय मंत्रीगण यह मानते हुये भी कि इसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, इससे कोई लाभ नहीं है, प्रैक्टिकली नशाबंदी लागू भी नहीं है, तो भी यह आवाज बुलन्द की जाती है कि हम सिद्धांत को तो मानते हैं। अगर वहां सिद्धांत का सवाल आता है तो यहां भी सरकार को सिद्धांत पर विचार करना चाहिये। हम यह मानते हैं कि कार्पोरेशन बनाया जाय लेकिन हम सरकार को इस बात से सहमत नहीं हैं कि सरकार अपने एक व्यक्ति के द्वारा उसको डिक्टेटरशिप का रूप दे और जिससे यह जाहिर हो कि जनता के आदमी नाकाबिल हैं और उन्हीं में काबलियत है। इस प्रकार से जनता को नाकाबिल करार देकर एक आदमी को ऊंचा करना शोभा नहीं देता। आजकल प्रजातंत्र का नाम लेकर चाहे जो कुछ कर दिया जाता है। मैं यहां पर मिश्र का उदाहरण देना चाहता हूं जहां के एक फौजी जनरल ने प्रजातंत्र का ऐलान करके डिक्टेटरशिप की हुकूमत कायम की है और उसको प्रजातंत्र का नाम दिया जा रहा है। हम यह साफ कहना चाहते हैं कि कार्पोरेशन जरूर बनाये जायं लेकिन इन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत नहीं है और फिर उन जगहों जैसे बनारस और इलाहाबाद में जहां कि ऐडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे वहां पर उनको कायम नहीं करना चाहिये था और उन शहरों में उन म्युनिसिपल बोर्ड्स के जरिये से यह काम करना चाहिये था। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और यह समझते हुये भी कि यह चीज ठीक है लेकिन सिद्धांत की वजह से वह गलत है इसलिये उसका विरोध करता हूं।

**मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)**—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में यहां पर काफी बहस हुई। मुझे इस बात का खेद है कि मैं बराबर सभी भाषणों को सुनने का अवसर न पा सका। मगर जो कुछ भी बातें यहां कही गयीं उनको जानने का मैंने प्रयत्न किया। मैं किसी वादविवाद में पड़ना नहीं चाहता और न मैं कोई बात इस तरह की कहना चाहता हूं जिससे कि बजाय इसके कि हमारे सामने जो प्रश्न है उस पर हम अपना ध्यान दे सकें, और बातों में लग जायं और खास बात छूट जाय। जो हमारी खास खास बातें हैं, जो सेलियेंट फीचर्स हैं वे जाहिर हैं कि हमारे सूबे में कानपुर, लखनऊ इलाहाबाद, आगरा और बनारस ये पांच शहर सबसे बड़े हैं तथा उनकी आबादी इधर और भी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। इस आबादी के बढ़ने से यहां पर मकानों के बनाने, दूसरे और विकास करने तथा आबादी के बढ़ने से जो नया बोझ इन शहरों पर पड़ा है

[श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

उसको हल करने की कोशिश इसके जरिये से की जा रही है। यहां आज काई भी ऐसा आदमी नहीं है जो डेमोक्रेसी के विरुद्ध काम करना चाहता हो। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न वैसे भी नहीं उठता क्योंकि जब सारा ही शासन व्यवस्थापिका सभा के अधीन है तो फिर उस छोटे से टुकड़े से जो कि रोजमर्रा का काम करता है आपके और अधिक अधीन आ जाने से, जैसा कि इन ऐडमिनिस्ट्रेटरों के कायम करने से हो गया है, किसी भी प्रकार से डैमोक्रेसी का हनन नहीं होता उससे तो उसका दायरा कुछ बढ़ता है और यहां की जनता उन प्रश्नों में ज्यादा दिलचस्पी ले सकती है। परन्तु यह सही बात है कि वहां की म्युनिसिपैलिटियों मे चुनाव करके उसके सदस्यों द्वारा जो काम करने की एक शैली थी वह इस समय स्थगित हो गयी है। उससे डेमोक्रेसी के सिद्धांतों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। आया जो कारपोरेशन बनाने का सिद्धांत है या डेमोक्रेसी को बढ़ाने का है या घटाने का है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। इन पांचों शहरों में जब तक कि ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं हुये थे म्युनिसिपल बोर्ड भी थे और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जिसका कानपुर में डेवलेप्मेंट बोर्ड नाम था, वे भी थे। जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड्स का ताल्लुक है वे चुने हुये थे और जहां तक डेवलेप्मेंट बोर्ड्स का ताल्लुक है उनके सब चेयरमैन सरकार के नामजद किये हुये थे। उनकी सारी कार्यवाही डेमोक्रेसी ढंग से अगर समझा जाय कि चुने हुये लोगों के जरिये हो, वह नहीं होती थी बल्कि सरकार के मुकर्रर किये हुये जो लोग थे वे चेयरमैन थे। और इस समय उन स्थानों पर बहैसियत प्रतिनिधि के कोई भी नहीं था। अब कारपोरेशन बनाने का जो निश्चय हुआ है वह इस जनता के मत को उनके प्रभाव को और उनके बल को बढ़ाने की चीज है। और इन दो संस्थाओं के होने की वजह से, एक तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड इन जगहों में अच्छी तरह से काम करने में भी दिक्कतें होती थीं। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो एक तरह से ओवर लैपिंग थीं जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड को कुछ करना होता था और कुछ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को करना होता था। एक तो डेमोक्रेटिक बाडी थी और दूसरी नामिनेटेड बाडी थी। उनके बीच में वैसा सामंजस्य नहीं होता था जिसका कि होना वहां के काम को अच्छी तरह से चलाने के लिये जरूरी था।

अब इधर जैसा कि मैंने आपसे कहा शहरों में आबादी वगैरह बढ़ने से कई बातों का बोझ बढ़ गया है। डेवलेप्मेंट बोर्ड कानपुर और म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर में तो एक तरह से बहुत दिनों से खिचाव सा चल रहा था। कई चीजें जैसे कि वहां की कई सड़कों वाटर वर्क्स वगैरह उनका प्रबंध तो डेवलपमेंट बोर्ड को करना था परन्तु खर्चा उसका म्युनिसिपल बोर्ड देती थी, यह उसमें था। जब कोई काम खराब होता था तो डेवलेपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी होती थी और जब खर्चे का मामला आता था तो म्युनिसिपल बोर्ड को देना होता था। जाहिर है कि ऐसे जहां वजहात हों तो उसमें काम बहुत स्मूथली चलाने में दिक्कत होती है, उसका एफिशियेंसी पर भी असर पड़ता है। तो ये दिक्कतें मौजूद थीं। इसके अलावा जहां तक इन बोर्डों की आमदनी बढ़ाने की बात है उनमें यह समझने की काफी गुन्जाइश है कि टैक्स इस वक्त जो हैं उन्हीं की बुनियाद पर आमदनी बढ़ सकती है। उनका एसेसमेंट और ज्यादा ढंग से अगर किया जाय और वसूली की जाय तो आमदनी बढ़ सकती है यह उम्मीद है। इन दो संस्थाओं के दो होने से खर्चा भी कुछ ज्यादा होता था। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपना स्टाफ रखते थे और म्युनिसिपल बोर्ड्स अपना स्टाफ रखते थे जिसमें कि काफी ऐसा खर्चा होता था जिसको कि कम करने की शायद सम्भावना हो मुझ से तो इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने एक दफा कहा भी था कि आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को क्यों म्युनिसिपल बोर्ड के साथ नहीं मिला देते हैं। इसमें काफी स्टाफ रखना पड़ता है और खर्चा अधिक होता है और काम हमारे पास अधिक रहता नहीं। इसलिये किफायत की दृष्टि से भी यह जरूरी मालूम हुआ कि इन दोनों संस्थाओं को मिला कर एक करना चाहिये ताकि काम अच्छे ढंग से हो, मकानात वगैरह के तामीर का काम बढ़े और जो कुछ माली हालत है वह सुधरे। मैं यह नहीं कह सकता कि

वहां कि जनता ने इन बातों को पसन्द नहीं किया। जहां तक मुझे मालूम हुआ कि किसी जगह को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने भी कोई बड़ी सार्वजनिक सभा करके सरकार के इस काम को अवहलेना नहीं की है। अखबारों में भी जो कुछ टिप्पणी मैंने देखीं उनसे ऐसा नहीं लगा कि जो कुछ हमने विचार किया है लोगों को वह अच्छा नहीं लगा बल्कि उस जगह के रहने वाले तो सभी लोग यह कहते हैं कि यह आपने अच्छा किया, यह ठीक हुआ।

कुछ बनारस का जिक्र हुआ। मैं यही नहीं जानता कि राजनारायण जी बनारस म्युनिसिपल बोर्ड के इंतजाम से खुश थे या नहीं, इस संबंध में उन्होंने यहां कुछ कहा नहीं लेकिन अपने खयालात शायद उन्होंने और कहीं भी जाहिर किये हों यह वही बतला सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुये कारपोरेशन का करना जरूरी मालूम हुआ। इसमें डेमोक्रेसी बढ़ती है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है वह जनता के प्रतिनिधियों के अधीन कारपोरेशन बनने से आ जायगा। सरकार से जो नामजद चेयरमैन होते थे और मेम्बर्स थे वे उस कार्य को नहीं करेंगे बल्कि जो उन नगरों में रहने वाले लोग हैं उनके चुने हुये सदस्य अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और डेवलपमेंट बोर्ड का काम करेंगे और दोनों के बीच में जो खिचाव था वह दूर हो जायगा और दोनों का स्टाफ का एकीकरण हो जायगा जिससे एफिशियेंसी ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा। जो शैली और बड़ी बड़ी जगहों पर देश में बरती गई है, और जगह भी कारपोरेशनस कायम हुये हैं उसी गरज से यहां भी काम किया जा रहा है। इसमें यह बात लाना कि साहब बाई इलेक्शन में जीत गये या हार गये इस आधार पर बड़े बड़े कामों का प्रबंध नहीं होता यह ठीक है कि बाई इलेक्शनस में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीती है, यह भी ठीक है कि इससे उनको खुशी हुई। मैं उनका खुश होना स्वाभाविक सा समझता हूं क्योंकि उनको इस तरह की कामयाबी का तजुर्बा पहले बहुत था नहीं, अब जब हो रहा है तो उससे खुश होना स्वाभाविक सा है। मगर इससे यह नतीजा कैसे निकला कि जिस काम को हम पहले से कर रहे थे उसे बन्द कर दें क्योंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोग और कुछ इनडिपेण्डेण्ट लोग कामयाब हुये हैं। तब तो फिर सिलसिला किसी शासन का चल नहीं सकता। आपको याद होगा, मैं समझता हूं कि आप भूले नहीं होंगे कि जब गवर्नर ने १६ फरवरी को यहां भाषण दिया था तो उसमें भी कहा था—"My Government has further decided to hold general elections in the municipal boards, Town areas or notified areas in the coming hot weather. It is also proposed to establish municipal Corporations in some of the leading towns of the State. The necessary scheme in that behalf is under active consideration and you will be asked, in due course, to consider and pass the Municipal Corporations Bill and other necessary measures."

[हमारी सरकार ने अगामी ग्रीष्म ऋतु में म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया तथा नोटीफाइ एरिया में सामान्य निर्वाचन करने का भी विचार किया है। यह भी प्रस्ताव है कि प्रान्त के कुछ मुख्य नगरों में म्युनिसिपल कारपोरेशन स्थापित किये जाएंगे। उस संबंध में विशेष योजना मुख्य रूप से विचाराधीन है और उचित समय पर आपके सम्मुख म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल तथा कार्यवाहियां पारित करने के लिये प्रस्तुत की जाएंगी]

१६ फरवरी तक तो यह कोई एलेक्शन्स हुये भी नहीं थे और न उनका नतीजा निकला था। अब उस वक्त गवर्नमेंट का यह कतई फैसला हाउस के सामने आगया कि लीडिंग सिटीज (प्रमुख नगरों) में गवर्नमेंट कारपोरेशंस कायम करने जा रही है और कारपोरेशन बिल यहां आवेगा। अब इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि पार साल सन् १९५२ की गरमी से कुछ पहले एक कमेटी बनायी गयी थी गवर्नमेंट की जिसमें कि इन बातों के जानकार और ऐडमिनिस्ट्रेटर लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड कारपोरेशंस के बारे में कोई तजवीज कर सकें और उसके बारे में तमाम बातें

[ श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ]

एक्सप्लोर करने के लिये वह कमेटी मुक़र्रर हुई थी। उन्होंने अपनी बैठकें पारसाल ५२ की गर्मियों में नैनीताल में की। मई और जून सन् १९५२ में हमारी केबिनट ने जो कि मौलिक उसूल कारपोरेशंस के हो सकते हैं उनको मंजूर किया। उनको मंजूर करने के बाद यह तय हुआ कि बिल इनके आधार पर बनाये जायं। इससे आप यह देख सकते हैं कि यह कोई नया ख्याल नहीं पैदा हुआ। बल्कि पहले से जो फैला था वह किया गया। अब इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जब कि चुनाव का वक्त हो तो क्या करना चाहिये और चुनाव के ऊपर कुछ लोगों को शिकायत हो कि कुछ अरसे पहले इन बोर्डों को अलग किया जाय इसलिये कि वहां कारपोरेशंस कायम हों यह सब देखते हुये यह कहां तक मुनासिब बात होती है यानी कुछ पांच वर्ष के मुक़र्रर अरसे के लिये लोग चुनाव लड़ते हैं मगर थोड़े से अरसे के लिये चुनाव लड़ना ठीक नहीं होता। इसके अलावा म्युनिसिपल बोर्ड्स और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स में आपस में जो एक संघर्ष था उसे भी खत्म करना जरूरी था और इसके लिये एक बात हो सकती थी और इस जिम्मेदारी की बात माननी चाहिये कि इन शहरों में एलेक्शन करने की जरूरत नहीं थी। जहां भी कारपोरेशंस बने हैं जहां तक मुझे मालूम है वहां पहले ऐडमिनिस्ट्रेटर कुछ अरसे के लिये रखे गये ताकि एडमिनिस्ट्रेटर काम को संभाल लें, म्युनिसिपल बोर्ड्स और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स की आपस की बातों को मिला कर वहां के स्टाफ के बारे में ठीक ढंग से एक नया कोई तरीका काम का निकालें, और जो झगड़े की चीजे हैं जहां तक हो कारपोरेशंस के आने से पहले तय कराने की कोशिश करें। यह कारपोरेशंस की कामयाबी के लिए एक जरूरी बात समझी गयी। जब बड़े काम को करना है तो उसके लिये जिन लोगों को यह करना है उसकी जिम्मेदारी उठाना है उनके लिये दिक्क़तें जो शुरू से ही उनके सामने आवें उनको पहले से हल करने की कोशिश करें, उनके काम को कामयाब और सफल बनावें। यह एक जरूरी क़दम होता है और जैसा मैंने आपसे कहा कि और जगह भी इस क़िस्म की बात की गई और इससे यह उम्मीद की जाती है कि यहां का शासन इस ढंग से चलेगा। कुछ इसका जिक्र किया गया कि लोगों से इस्तीफे लेने की कोशिश की गई। मैं जानता नहीं हूं कि इस बारे में क्या शिकायत है। मैंने खुद कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरों से बातें कीं और डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन से बातें कीं और मैंने उनको बतलाया कि क्या-क्या वजूहात हैं जिनसे हम ऐसा करना चाहते हैं कि यह जो बाडीज हैं यह इनका काम एडमिनिस्ट्रेटर के सिपुर्द कर दिया जाय और इसका जो तरीका है वह सुपरसीड हो जाय। मैंने उनसे कहा और मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि हमारी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि जो काम किया जाय वह इस ढंग से किया जाय कि लोगों की मदद काम करने वालों को मिले। उनके दिल में यह ख्याल न हो कि यह हमारे ऊपर कोई जब्र करके कोई चीज करने जा रहे हैं। बल्कि यह कि उनके साथ गुफ्तगू कर के समझने और समझाने की कोशिश की जाय। इसलिये मैंने चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड और चेयरमैन डेवलपमेंट बोर्ड से बातचीत की और दोनों ने जो कुछ भी मैंने कहा था उसके सार को माना और मुझे उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग इस काम में मिलेगा और उन दोनों ने चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड और चेयरमैन, डेवलपमेंट बोर्ड ने अपना-अपना त्यागपत्र भेज दिया और लिख दिया कि जब भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाये हमारा त्यागपत्र आपके पास आ जायगा। वह सिर्फ इसलिये कि मिलजुलकर काम हो सके और आबहवा वैसी की वैसी बनी रहे। इधर इसमें कोई अन्तर भी नहीं हुआ है। इसमें क्या किसी को शिकायत हो सकती है यह समझ में बात नहीं आयी। यह क्या डेमोक्रेसी के लिए बुरी बात है कि जहां तक हो सबकी बातों को समझें और अपनी बात को सामने रखकर अपनी ग़लतियों को समझने का मौक़ा आदमी हासिल करे ताकि अगर कोई ग़लती करने का रास्ता हो तो उसको बतलाया जा सके और इससे यह भी एतमिनान हो सके कि वह उसकी बात को मानने पर रजामन्द है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई शिकायत किसी क़िस्म की होने की गुंजायश नहीं है।

यह समझना कि चुनाव की किसी बात को देखते हुये या कोई और मर्म की बात थी जिससे

यह कार्यवाही की गयी यह सही नहीं है। इसलिये कि यह बात सोचना इस हाउस और इसके किसी सदस्य की शान के मुताबिक नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह जो क़दम उठाया जा रहा है यह जरूरी था और मुनासिब था और इन शहरों के लिये और हमारे सारे सूबे के फायदे के लिये हर तरह से यह हितकर साबित होगा और मैं यह आशा करता हूं कि यह एडमिनिस्ट्रेटर जो बहुत ज्यादा तजुर्बेकार हैं और बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं इन कामों के लिये रखे गये हैं उनको सबका सहयोग प्राप्त होगा। चाहे हमारे यहां आपस में मतभेद भी हों, लेकिन यह कोई पालिटिकल ईशू नहीं है। यह तो शहर की बहबूदी के लिये काम है। इसलिये चाहे कोई कोई किसी विचार का हो, राजनैतिक या सामाजिक विचारों का हो जहां तक इन शहरों को बेहतर करने की बात है उसमें तो हम यह आशा करते हैं कि सब मिलजुल कर इस काम में अच्छी तरह से अपना सहयोग देंगे और अपने शहरों की उन्नति करने में सफल होंगे। यह कोई ऐसी आशा नहीं है जिसके बारे में कोई मुझे शंका हो कि यह पूरी न होगी। बड़े-बड़े आदमियों ने अपने शहरों को सुधारने के लिये अपना समय लगाया है। चेम्बरलेन तो काबिल आदमी थे मगर उन्होंने अपना सारा समय अपने शहर की बहबूदी में लगा दिया था और उसको एक बहुत अच्छा शहर बना दिया। आज हमको जरूरत है कि जो देश सेवक हैं वह इन शहरों को ऐसा बना दें कि जो शहर हमारे प्रदेश के नमूने के शहर हों और उनमें सब आदमियों को आराम और आसायश मिल सके और जिससे ग़रीब लोग भी वहां पर अच्छी तरह से रह सकें। वहां आप जानते होंगे कि कानपुर में बहुत से स्लम हैं। उनके लिये हमने सैकड़ों मकान इंडस्ट्रियल लेबर के लिये इधर बनवाये हैं और बनाते जा रहे हैं और भी बहुत सी बातें करनी हैं। बच्चों के लिए करना है, मजदूरों के लिये करना है और मिडिल क्लास वालों के लिये करना है क्योंकि आज आसाइश की बहुत कमी है और ऐमिनिटीज तक हमारी पूरी नहीं होती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सब लोग जो बड़ा काम इन शहरों में करने को है उसे पूरा करने में अपना सहयोग देंगे और इन शहरों की व्यवस्था दिन प्रति दिन सुधरती जायगी जिससे वहां रहने वाले लाखों लोग सुख से रह सकें और उन्हें आराम मिल सके।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से कल से वादविवाद को सुन रहा हूं। आज माननीय मुख्य मंत्री का भाषण भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा मालूम होता है कि हमारे दल की तरफ से जो भाषण हुये उनसे कुछ सरकारी दल को ग़लतफ़हमी हो गई है। उस संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। साथ ही साथ हमारे कुछ भाइयों ने उपदेश भी दिये हैं जैसे माननीय परिपूर्णानन्द जी। उसको हम कहां तक स्वीकार करते हैं इस संबंध में बतला देना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को इस बात का विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जहां तक कारपोरेशनों की स्थापना की बात है, वह और हम बिल्कुल एक जगह हैं। कल हमारी पार्टी के वक्ताओं ने एक स्वर से इस बात की प्रशंसा की थी कि कारपोरेशन की स्थापना एक सराहनीय कदम है।

माननीय मुख्य मंत्री ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बोर्ड की कठिनाइयां बतायीं और उनके आपसी झगड़ों का जिक्र किया। हम भी चाहते हैं कि वे झगड़े शीघ्र से शीघ्र खत्म हो जावें। लेकिन जहां तक एक उसूल का सवाल है वहां कुछ आदमियों को ऐडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर कर देने के कार्य का विरोध करना हमारा फर्ज था। जहां तक कांग्रेस पार्टी या हमारी पार्टी का सवाल है वैसे घोषणा करने के लिये व्याख्यानों में सभी कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है। लेकिन कांग्रेस को आज इस बात का मौक़ा है जब कि वह शासनारूढ़ है वह विकेन्द्रीयकण का नमूना पेश करे। इस सदन में हम जब से आये तभी से, पंचायतों के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट बिल के वक्त भी हमने बताया कि हम किसी हालत में भी नहीं चाहते कि प्रान्तीय सरकार या कोई भी पदाधिकारी, जो चुनाव द्वारा चुनी हुई म्युनिसिपैलिटियां या टाउन एरिया हैं, उनको खत्म करके, सुपरसीड करके उन पर ऐडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर कर सके। अगर उनको हटाने का हक़ है तो वहां की जनता को। इसीलिये बार-बार जोर दिया गया कि पावर आफ रिकाल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके यह मानी कतई नहीं हैं कि बनारस, कानपुर या इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटियों में जो धांधली हो रही है, वह

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

धांधलियां चलती रहें। हम चाहते हैं कि उनमें सुधार हो। लेकिन हमें रोना तो इस बात का है कि एक तरफ यह कहा जाता है कि वहां की अवस्था ख़राब है, जनता का पैसा बरबाद हो रहा है, एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि कानपुर के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने जब चार्ज लिया तो बैंक की जितनी चेकें निकली उनमें २९ हजार रुपये का फर्क पड़ा। हम सब कभी भी नहीं चाहते कि यह सब बातें हों। लेकिन सन् ४६ से कांग्रेस सरकार है। सात वर्ष तक यह म्युनिसिपैलिटियां चलती रहीं। यह किसकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस सरकार की या हमारी? अध्यक्ष महोदय इन म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव ४४ में होना चाहिए था। तब कांग्रेस सरकार नहीं थी। १९४६ में कांग्रेस सरकार आयी। सन् १९४८ में बहुत संशोधन करके ज्वाइंट एलेक्टोरेट से जिला बोर्डों का चुनाव हुआ। इसी कांग्रेस सरकार ने कराया। तो क्या वजह थी कि ४६ के बाद भी इस बात की व्यवस्था नहीं की गयी कि थोड़ा सा संशोधन करके ज्वाइंट एलेक्टोरेट द्वारा म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव कराया जाता। सात वर्ष तक वे उसी दशा में चलती रहीं। अब माननीय स्वशासन मंत्री को अगर दर्द देकर दवा देने का कोई शौक पैदा हो गया है तो दूसरी बात है। ७ वर्ष तक उस व्यवस्था के प्रश्न को देखते रहे और ७ वर्ष के बाद फिर इलहाम हुआ कि म्युनिसिपल बोर्डों की अवस्था ख़राब हो गई है, उसको सुधारने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इसीलिये हमें संदेह होता है और उसका निवारण करना आवश्यक होता है।

अभी-अभी स्वशासन मंत्री ने पत्रों में घोषणा की थी कि चुनाव होने वाला है अक्तूबर में, लेकिन अलीगढ़ और फीरोजाबाद का नहीं होगा। इस तर्क का क्या जवाब है कि सारे प्रदेश में होने जा रहा है लेकिन इन दो स्थानों में नहीं होगा। तो छोटे-छोटे म्युनिसिपल बोर्ड जो ६ महीने, एक साल पहले सुपरसीड कर लिये गये थे उनका चुनाव क्यों न हों? क्या वहां की जनता जागरूक नहीं है? इस बात की सारी जिम्मेदारी यहां की सरकार कैसे ले सकती है कि म्युनिसिपैलिटियों का सुधार केवल ऐडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रजातंत्रवाद हमारे देश में एक नया पौदा है और उसमें ग़लतिया होती हैं और काफी ग़लतियां क्षमा करने को हम तैयार हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि गलतियां करके ही इन्सान कुछ सीखता है। हर एक तैरने वाले के लिये पानी में उतरना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि २९ हजार की बात कही जाती है। मैं आपको बतलाऊं कि शारदा पावर प्रोजेक्ट की स्कीम का प्रारंभिक तखमीना डेढ़ करोड़ रुपये का था। अब उसका तख़मीना १० करोड़ बतलाया जाता है। राबर्ट्सगंज शुगर फैक्टरी का तख़मीना ३ करोड़ से ४ करोड़, ४० लाख हो गया। अभी पता नहीं कि, आगे और कितना होगा। ऐसी-ऐसी ग्लेरिंग मिसालें हैं। तो क्या मंत्रिमंडल के स्थान पर गवर्नरों का शासन होना चाहिए? कदापि नहीं।

हमारे विधान में इस बात की व्यवस्था है कि प्रेसीडेंट को अधिकार है कि हमारे मंत्रिमंडलों को डिजाल्ब कर दे। लेकिन हमारा कहना यह है कि किसी प्रेसीडेंट को यह अधिकार नहीं होना चाहिये। विधान में ऐसा हो सकता है। हम उसको मानते अवश्य हैं, लेकिन वह कांग्रेस मैजारिटी से बनाया गया विधान है। वह कोई पवित्र वेद जैसी पुस्तक नहीं है। वह बदला जा सकता है और उसको बदल करके काफी आसानियां पैदा की जा सकती हैं। प्रेसीडेंट मिनिस्ट्रीज को डिजाल्व कर सकते हैं, गवर्नर कर सकते हैं इस प्रथा को हम नाकिस समझते हैं। अगर किसी को यह पावर हो सकता है किसी मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ या असेम्बली के खिलाफ़ या मेम्बर के ख़िलाफ़ तो वह जनता को पावर आफ़ रिकाल होना चाहिये। हम जानते हैं कि इसमें देर होगी, जनता के पैसे की बरबादी होगी, लेकिन आज सच्चे मानी में जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है और जिस पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को गर्व है उसका यही तकाजा है कि जनता को ही पावर आफ रिकाल होनी चाहिये।

मैं माननीय परिपूर्णानन्द से कहूंगा कि वह इतना तो जानते हैं कि क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धांत क्या हैं। वह हमेंशा रूस और चीन की बात प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ रख दिया करते हैं और एक तीर से दो शिकार करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य माननीय झारखंडे राय पर और हम पर भी। उनको आज तक यह पता नहीं कि रूस से हमारा सम्बन्ध है या श्री झारखंडे राय उसके सिद्धांतों

पर चलते हैं। दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब माननीय परिपूर्णानन्द ने यह कह दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में थोड़ा सा फर्क है अधिनायकवाद का। उनका अधिनायकवाद को थोड़ा सा फर्क समझना जब कि कांग्रेस पार्टी भी उसकी मुखालिफत करती है और हम भी करते हैं यह उनको मुंह से सुन कर बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह किस के वकील होकर खड़े हुये ? एडमिनिस्ट्रेटर्स के वकील हो कर। अभी मैं समझता हूं कि मौके के विपरीत बात थी। कोई मिनिस्ट्री खतरे में नहीं थी जिसको बचाने के लिये उन्होंने इस प्रकार से सरकार को डिफेंड किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि अक्तूबर में चुनाव होने वाला है। ऐसी परीस्थिति में इन शहरों में नया चुनाव कराना ठीक नहीं था। चुनाव होने के बाद फिर बोर्डों को तोड़ना पड़ता। लेकिन सरकार का रवैया ऐसा है कि चुनाव कब होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कल हमने प्वाइंटेडली पूछा था कि क्या अक्तूबर में चुनाव होंगे या नहीं तो स्वशासन मंत्री ने जो कुछ कहा उससे कुछ भी नतीजा नहीं निकला। एक जिम्मेदार स्वायत्त-शासन मंत्री कैसे कहे कि चुनाव अक्तूबर ही में होंगे जब उन्हें ऐसा कराना नहीं है। बहुत सी बाते हो सकती हैं जिनसे ऐसा हो सकता है कि चुनाव अक्तूबर में भी न हो। वह एक मिनिस्टर हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकार उनकी है फिर भी वह यह नहीं कह सकते हैं कि अक्तूबर में चुनाव होगा या नहीं होगा। फिर एक कांग्रेस के वक्ता ने सिफारिश की और यह कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को इतने दिनों तक रखा जाय जब तक कि दशा सुधर न जाय। अब यह कौन कह सकता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर्स कितने दिनों में स्वर्ग बना पायेंगे। तो यह भी बहाना हो सकता है चार पांच साल तक सरकार की नजरों में जब कि सुधार हो जाय, वह शहर स्वर्ग हो जाय तब चुनाव किया जाय। ऐसी बात तो सरकार हमेशा ही किया करती है और कम से कम एक पापुलर गवर्नमेंट के लिये यह मुनासिब नहीं है कि वह यह कहे कि जनता जब इस लायक़ हो जाय, और इस काबिल हो जाय तब ऐसा किया जायगा। तो मैं यह समझता हूं कि चुनाव अगर २६ अक्तूबर के बाद करने की बात कही जाती है तो जब सात वर्ष तक धांधली और जनता के धन की बर्बादी देखी जा सकती थी तो एक सिद्धांत हत्या करने की क्या जरुरत थी। अगर अक्तूबर में सरकार चुनाव कराती है, कारपोरेशन बिल तैयार है, और वह कारपोरेशन बिल अगर जनवरी से लागू होने वाला है तो वैसी सूरत में सरकार कह सकती थी कि इन पांच जगहों पर जनवरी में कारपोरेशन कानून के अनुसार होगा इसलिए उस समय तक उन पांच जगहों का चुनाव रोक दिया जाए। तब तक एक अफ़सर उक्त बोर्डों में सलाहकार के रूप में रख कर कारपोरेशन कानुन की आवश्यकतानुसार तैयारी की जा सकती थी। लेकिन जनता के प्रतिनिधियों का सारा अधिकार उसको देकर, सर्वसर्वा उसको बना देना यह विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। महात्मा गांधी ने हमेंशा यह कहा कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर प्रजातंत्रवाद को क़ायम करना है। तो उसी तरह रिस्क तो इसमें लेना ही पड़ेगा। आज हमारे सामने यह कैबिनेट के मेम्बर बैठे हुये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ही वाक्पट हैं और उनका हास्य भी बहुत ही सूक्ष्य होता है। उन्होंने यह कहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जीत का तजुर्बा नया नया है जिसकी खुशी है लेकिन इसके साथ साथ इससे जो चोट उनको लगी होगी यह देख कर कि जनता का रुख किस तरफ है वह भी हमें कहने की जरूरत नहीं है और इसकी उनको चिन्ता भी होगी और वह बराबर प्रयत्न भी करते हैं कि इस तरह का सुधार कांग्रेस पार्टी में हो जाय कि जिससे ऐसा न हो सके। हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी ने तो आगरे में ओपे-नली कहा कि हमें इसकी चिन्ता नहीं है कि कांग्रेस की हार हुई है इससे कांग्रेस पार्टी के लोग सोचेंगे तो कि वह ग़लती करते हैं और इससे वह अपना सुधार करने की कोशिश करेंगे। मान-नीय मुख्य मंत्री जी या उनकी कैबिनेट के लोग इससे सबक लेने को तैयार नहीं हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब होगा अगर इन चुनावों से कांग्रेस सबक़ नहीं लेती क्योंकि इन चुनावों में आज जनता ने साबित कर दिया कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है और अध्यक्ष महोदय में यह भी कहूंगा, यह बात बार बार कही जा चुकी है, पुराना क़िस्सा है, दुहराने की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन

[ श्री रामनारायण त्रिपाठी ]

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि ३७९ की तादाद उनकी आज की और ३९१ की तादाद पहले की यह प्रदेश के अल्पमत के रिप्रेजेंटेटिव की तादाद थी। अगर वैसा मौका मिलता और कई पार्टियां खड़ीहो गई थीं वह इकट्ठा हो जातीं तो हम,अपनी जीत का और मुख्य मंत्री जी की हार का एहसास उनको जनरल एलेक्शन में ही कराते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर आदमी ने उस समय यह सोचा कि वह जीत जायगा और सब अलग अलग चुनाव लड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं, मद्रास में राजगोपालाचार्य एक सीट का चुनाव जब हार गये तो फिर से उन्होंने विधान सभा से वोट आफ कांफिडेंस के लिये रिजोल्यूशन रखवाया और तब वह आगे बढ़े। मुझे तो आशा थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी सीट से ही रिजाइन कर देंगे और बरेली से ही फिर से चुनाव लड़कर, जीत कर आयेंगे और कहेंगे कि देखिए जनता का समर्थन हमारे लिये है।

**श्री अध्यक्ष**---मैं समझता हूं कि यह असंगत सा हो रहा है।

**श्री राम नारायण त्रिपाठी**---जी हां। मैं अभी खत्म करता हूं। तो मुझे तो आशा यह थी। बहरहाल उनकी खुशी, कांग्रेस पार्टी अगर सबक न लेना चाहे तो न ले और वह सबक न ले तो हमें तो प्रसन्नता ही है। हम तो चाहते ही हैं कि आप सबक न लीजिये, आप अपने मद में चूर रहिये। यह हमारे लिये भलाई की बात है और सही मानों में यह जनता के लिये भी भलाई और कल्याण की बात है।

तो कुछ उसूल होता है। विरोध करना कोई विरोध करने के लिये नहीं है। सात वर्ष तक धांधली और जनता के धन की बर्बादी को किस आंख से देखते रहे इसका जवाब माननीय मंत्री जी को देना पड़ेगा। मान लीजिए कि कार्पोरेशन बिल तीन महीने के बाद लागू होने वाला है इसलिये अब ऐलेक्शन नहीं कराये जायेंगे यह बात तो समझ में आ सकती थी तो जहां सात वर्ष तक आप ने बर्बादी देखा वहां कुछ दिन और देख सकते थे लेकिन एक सिद्धांत की जो हत्या की और उन स्थानों पर लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये इसीलिए हमने इस डिक्टेटर की नियुक्ति का विरोध किया। जहां तक कार्पोरेशन का सवाल है कार्पोरेशन का हम लोग वेलकम करते हैं और इसकी स्थापना में हमारा सबका सहयोग रहेगा। साथ ही साथ वह कोई गवर्नमेंट बनाने की चीज तो है नहीं। वहां तो जनता की सेवा का सवाल है। वहां कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी की बात नहीं होनी चाहिये। वहां तो तमाम पार्टियों का सहयोग होना चाहिये। लेकिन सिद्धांत की जब हत्या होती है तो हमें डर होता है कि आज आप शासक हैं, एक सिद्धांत की हत्या होती है, दूसरे सिद्धांत की हत्या होती है, धीरे धीरे इसी तरह कहीं आदत न खराब हो जाय। इसलिये मैं इसके विरोध में आवाज बुलन्द करना मुनासिब समझता हूं। इन शब्दों के साथ मैं कहुंगा कि कार्पोरेशन का मैं स्वागत करता हूं लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति से हम सहमत नहीं हो सकते।

**श्री राम नरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)**---माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी देर से इस छोटे से बिल पर जो वादविवाद हो रहा है उसमें एक बात तो सभी मानते हैं कि कारपोरेशन्स का बनाना इन नगरों में आवश्यक है और उससे हालत सुधरेगी। जो बिल इस वक्त इस सदन के सामने है, उसका जो आधार कारपोरेशन्स बनाना है और उसमें कोई मतभेद नहीं है, यह देख कर मुझे बहुत संतोष होता है। बाकी जो दो एक बातें सही ढंग से कही गयीं और बहुत सी बातें जो इससे संबंध नहीं रखतीं थीं उनको कह कर इस सदन का समय लिया गया, उनका बहुत कुछ उत्तर इस सदन में दिया जा चुका है। मेरा काम

तो बहुत हलका हो गया जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन तमाम मुनासिब बातों का उत्तर दे दिया जो इस बहस के दौरान में पैदा हुई थीं। कुछ बातें ऐसी भी थी, जिनका और माननीय सदस्यों ने भी उत्तर दे दिया। इस लिये मैं सदन का अधिक समय न लेकर जो दो एक ऐसी बातें हैं जिन का उत्तर मुझे ही देना जरूरी है वह देकर मैं सदन का और ज्यादा समय लेने का प्रयत्न नहीं करूंगा।

पहली बात तो यह है कि इन ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति और म्युनिसिपल बोर्ड का आम चुनाव दो अलग अलग चीजें हैं। जहां तक म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव का संबंध है मुझ से कहा गया कि तुम ने कहा था कि चुनाव होंगे लेकिन इस वक्त तक क्यों नहीं हुये। इतनी फुरसत तो मुझे नहीं मिली कि मैं पिछली कार्यवाही देख सकूं लेकिन यहां तक मुझे याद है मुझ से पूछा गया था कि यह चुनाव कब तक हो जायेंगे, क्या गर्मियों के शुरु होने से पहले हो जायेंगे? मैंने कहा था कि गर्मियों के खत्म होने से पहले हो जायेंगे। फिर मुझ से प्रश्न किया गया कि गर्मी कब तक खत्म होती है? मैंने कहा कि जब आप जेल मे बाहर से अन्दर सुलाये जाते हैं।

**एक सदस्य**—दारुलशफा में तो हमेशा अन्दर सुलाये जाते हैं।

**श्री मोहन लाल गौतम**—दारुलशफा में जो अंग्रेजियत आप बरतते हैं, उसके लिये मैं आप को बधाई देता हूं लेकिन बहुत से लोग अभी तक बाहर सोते हैं। तो जहां तक मुझे याद है और मैंने एक आध साथी से भी कुछ पूछ लिया है कि हम लोग बैरिक्स में बाहर से अन्दर सोया करते थे अक्तूबर में लगभग १० या १५ अक्तूबर से। उससे पहले चाहे बारिश में अन्दर ही सोते हों लेकिन बैरिक्स का दरवाजा खुला रहता था, जो बाहर सोना चाहते थे वे बाहर सोते थे और जो अन्दर सोना चाहते थे वे अन्दर सोते थे। मुझे इस बात को सुन कर ताज्जुब होता है कि जब मैंने कल अपने उत्तर में यह कहा था कि अब एलेक्शन्स अक्तूबर के पिछले पक्ष में होंगे तो इसमें और मेरे उस कहने में जो मैंने उस वक्त कहा था बहुत बड़ा कंट्रेडिक्शन कहां हो गया। १७ अक्तूबर को शायद दशहरा है। यहां इस तरह की चीजों का ख्याल करना ही पड़ेगा कि दशहरा, दिवाली, रमजान शरीफ में एलेक्शंस न कराये जायं। कल मैंने अपने उत्तर में कहा कि २६ अक्तूबर को यानी अक्तूबर के दूसरे पक्ष में एलेक्शन होंगे, तो इसमें कहां कंट्रेडिक्शन हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके ऊपर तूल तवील लेक्चर देना और यह कहना कि एलेक्शन पोस्टपोन हो गये और जो इस हाउस में कहा गया था वह नहीं किया गया, इस प्रकार एक छोटी सी चीज को बगैर सोचे हुये तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जानबूझ कर तूल देना मुनासिब नहीं इस एलेक्शन के अलावा इन पांच म्यूनिसिपल बोर्डों में कारपोरेशन बनाने की बात और उनमें एलेक्शन न कराने की बात भी साफ थी। इसलिये इन म्यूनिसिपल एलेक्शन से इसको अलग करके। अब सवाल यह है कि इन पांच बड़े बड़े शहरों में। अभी एलेक्शन करा दिया जाय या जब कारपोरेशन बिल पास हो जाय साल डेढ़ साल में तब एक आम एलेक्शन कराया जाय। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि साल डेढ़ साल के अन्दर दो जेनरल कराये जायं इस लिये इन नगरों का एलेक्शन कराने का प्रश्न नहीं उठता।

अब प्रश्न यह है कि यह एन्टीडेमोक्रेटिक होगा। उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी जवाब दे दिया है लेकिन मैं मिसाल के लिये कहना चाहता हूं कि नागपुर में चुने हुये प्रतिनिधियों के अधीन नहीं बल्कि गवर्नमेंट से मुकर्रर किये हुये व्यक्ति के अधीन काफी दिनों तक कारपोरेशन के एलेक्शन के पहले, इंतजाम रहा था। सारा इंतजाम उसमें व्यक्तिगत अकेले का था। नागपुर के अलावा जबलपुर में भी ऐसा ही हुआ। पटना में भी इसी तरह से इंतजाम हुआ। पूना में एक व्यक्ति मुकर्रर किया गया सन् १९४८ ई० के ऐक्ट के अनुसार और कारपोरेशन आया १५ फरवरी, १९५० को उसमें यह लिखा हुआ है कि कारपोरेशन ऐक्ट के पास हो जाने से पहले एक अफसर मुकर्रर हुआ, सन् १९४८ के ऐक्ट के अनुसार और ऐक्ट इंटेगरेट हुआ फरवरी, १९५०

[श्री मोहन लाल गौतम]

में और एलेक्शन होने वाला था मार्च या अप्रैल, १९५२ में तो इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कहा जाय कि साहब यह बड़ा अनडेमोक्रेटिक होगा या क्या होगा। इस में एक बात और है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन डेवलेपमेंट ट्रस्ट और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थीं और हम उनको ठीक करना चाहते हैं जब कि उनको एक साथ मिलाय जाय। वगैर इसके उसका इंटेग्रेशन नहीं हो सकता इस लिये यह एक अलग चीज है जिसकी वजह से उनका इंटेगरेशन होना जरूरी हो गया और इस तरह के अफसर जैसा कि मैंने कहा जो कि अकेले काम करते थे जिनके साथ कोई चुन हुये प्रतिनिधि नहीं थे, न कारपोरेशन था न स्टैंडिंग कमेटी थी न म्युनिसिपल बोर्ड था, रखे गये। इस लिये इस तरह की चीजें अगर आप देखें होती हैं हम लोगों ने ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिपुर्द जो इन्तजाम किया है वह इस लिये नहीं किया है कि इंतजाम खराब था, यह कहकर उनको यह मौका नहीं दिया कि कहें कि हमारा इन्तजाम अच्छा है या बुरा इसलिये हमारा अधिकार नहीं है कि हम कहें कि उनका इन्तजाम अच्छा है या बुरा लेकिन जनता ने इसे प्रसन्नतापूर्वक रिसीव किया है उसे अगर आप देखें तो मैं आपसे वहीं निवेदन करूंगा जिसका कि श्री परिपूर्णानन्द जी ने भी जिक्र किया था। मुझे मालूम होता है कि सोशलिस्ट पार्टी के साहबान जनता से दूर रहते हैं मिनिस्टस तो रहते ही थे लेकिन वे भी नजदीक नहीं रहते हैं और जानते नहीं हैं कि जनता की क्या दिक्कतें हैं। जो जनता से सीधा सम्पर्क रखते हैं वह क्या कहते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लोग क्या कहते हैं उनको यह भी पता नहीं है। यह "बनारस" ७ जून का हिन्दी का समाचारपत्र है जिसमें हेडिंग है कि "पालिका जब्त की जाय, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मांग 'बनारस' शनिवार, कल शहर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्य समिति की बैठक श्री कृष्ण मोहन वर्मा की अध्यक्षता में हुई। दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्थानीय नगरपालिका की वर्तमान स्थिति एवं रवैये को देखते हुये उसे अविलम्ब जब्त कर लेने की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया है कि पालिका ईर्ष्या, द्वेष कलह दलबंदी भ्रष्टाचार एवं गैर जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करने का अड्डा बनी हुई है। इससे मेरा मतलब केवल यह है कि मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग जिनको जनता के बीच में काम करना पड़ता है उनका रवैया क्या था। वह आपके साथ सहमत नहीं हैं, ऐसी मेरी भावना है। इसलिये और किस तरह से उसका स्वागत किया गया, इसकी बहस में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं।

यह मैं कह सकता हूं कि पहली और दूसरी अक्तूबर को मैं कानपुर में था और सब तबके के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला मैं मजदूरों की बस्ती में गया, भंगियों की बस्ती में भी गया, बीच के तबके के लोगों से भी मिला और ऊंचे तबके के लोगों से भी जिन्हें आप लोग अमीर कहते हैं, मिला, जो चेयरमैन इस समय थे उनसे भी मिला और जो पहले चेयरमैन थे उनसे भी मिला। प्रेस वाले भी काफी संख्या में थे। सब प्रेस वाले ही बतलाये गये, वह करीब ५०,६०,७० होंगे। इतने लोग से मैं मिला और सब लोगों ने मेरी पीठ ठोंकी और मुझे बधाई दी और स्वागत किया और कहा कि कि बहुत अच्छा किया पहली और दूसरी अगस्त की बात कहता हूं। मैंने कई पब्लिक मीटिंग एड्रेस की और दो दिन तक मैं बहुत ही बिजी रहा। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि आपने यह बुरा किया। बहुत से उन लोगों में बुजुर्ग भी थे।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--अगर यह मिनिस्ट्री डिज़ाल्व कर दी जाय तो ज्यादा भलाई मिलेगी।

**श्री मोहन लाल गौतम**--मुश्किल यह है कि मिनिस्ट्री डिज़ाल्व हो और हटा दी जाय लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे कि श्री परिपूर्णानन्द जी को भी समझने में दिक्कत थी। दिक्कत यह है कि यह पार्टी एक तरफ डिक्टेटरशिप कहती है और दूसरी तरफ

डेमोक्रेसी कहती है । लेटेस्ट श्री एम० एन० राय का यह कहना है कि " The General Secretary of the Praja Socialist Party has publicly advocated its dissolution and merger with the party in power."

[प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने शासनारूढ़ पार्टी के साथ एवं इस के विघटन विलयन को सार्वजनिक रूप से समर्थित किया है।]

अब मुश्किल यह है कि किसके हाथ में पावर जाय । यह डिज़ाल्व होने वाली है लेकिन यह किसको दें ।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—बतला देंगे आपको ।

**श्री मोहन लाल गौतम**—इसलिये मैं समझता हूं कि जिस काम को सामने रख कर हमने जो यह काम किया है और जिसको सारा हाउस ठीक मानता है और जो कदम हमने उठाया है उसकी जनता स्वागत करती है। यहां कई नगरों के प्रतिनिधि बोले उन्होंने अपनी कांस्टीटुएंसी का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया बल्कि सारे देश की ओर से आश्वासन दिया कि जनता ने इसका स्वागत किया है अब एक बात यह कही गई कि इलेक्शन कब होगा । मैंने आपसे निवेदन किया कि मेरे लिये यह मुनासिब नहीं है कि इस सदन के हाथ में बांध दूं । मैं यही कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी हम आपके सामने कारपोरेशन बिल पेश कर दें और यह इस सदन का काम है कि वह कब तक इस बिल को पास करती है अगर मैं यह कह दूं कि ६ महीने या १ साल तक ऐडमिनिस्ट्रेटर का जमाना रहेगा और उसके बाद कारपोरेशन हो जायगा और यदि बिल पेश होने के बाद यह सदन उसे पास करने में ज्यादा समय लेना चाहे तो मेरा यह कहना नामुनासिब होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जब यह सदन बिल पास कर देगा और उसके बाद जरूरी कार्यवाही के लिये जितना समय लगेगा उतना लगाकर कारपोरेशन का इलैक्शन होगा।

कई चीजें गलत ढंग से पेश की गई और वे बार बार इस सदन में दोहरायी जाती हैं यद्यपि उनका स्पष्टीकरण गवर्नमेंट की ओर से यहां दिया जा चुका है। अलीगढ़ म्यूनिसिपैलिटी के सुपरसेशन का सवाल आया और आम तौर से इसे जोड़ देते हैं लोग अलीगढ़ में जो असेम्बली के इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई उससे मेरे मंत्रिपद का कार्यभार संभालने के पहले और जनरल इलेक्शन में पूरी जीत के बाद, फौरन बाद, ३० अप्रैल सन् १९५२ को इस म्युनिसिपैलिटी को कहा गया कि तुमको क्यों न सुपरसीड किया जाय, उनको नोटिस दिया गया। किसी के गुमान में भी उस समय नहीं हो सकता था कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी विशेष इस इलेक्शन को हार जायगी । अगर हर काम को इस तरह से वाकयों से जोड़ कर देखा गया तो मुश्किल होगी क्योंकि गवर्नमेंट का तो यह काम रहेगा ही कि कभी किसी म्युनिसिपैलिटी का काम खराब है तो उस पर कार्यवाही करे और वह रोज इस तरह के एक्सप्लैनेशन मांगती रहे। लेकिन इन तारीखों को मैं इसलिये पेश कर रहा हूं कि यह मालूम हो सके कि इस कहने में कि कांग्रेस की हार के कारण म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर दिया गया इसमें कहां तक तत्व हो सकता है। उनका एक्सप्लेनेशन ९ जून को आया । कमिश्नर का एंडोर्समेंट ३ जुलाई को हुआ और खास बात यह है कि मैंने उस फ़ाइल में, अगर आप चाहें तो मैं उसे पढ़कर सुना सकता हूं २-९-५२ को यह आर्डर कर दिया था कि यह बोर्ड सुपरसीड कर दिया जाय । इलेक्शन ७ सितम्बर को था । अगर ठाकुर मलखान सिंह जो यहां पर मौजूद हैं तो वे यह नहीं कह सकते कि २५० वोट से जीतने वाला .....

**श्री मलखान सिंह** (जिला अलीगढ़)—क्या आप बता सकेंगे कि २ सितम्बर को आप कहां मौजूद थे ?

**श्री मोहन लाल गौतम**—मैं यहीं था ।

श्री मलखान सिंह---आप अलीगढ़ में थे। आप जो चाहें तारीख डाल दें।

श्री मोहन लाल गौतम---ठाकुर साहेब उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिये मैं अगर यह कहूं कि मेरी याददाश्त ज्यादा सही है तो शायद नामुनासिब बात नहीं होगी। मैं ४, ५ सितम्बर को अलीगढ़ में था। ५ सितम्बर को मैं, हाफिज साहेब और बेगम एजाज रसूल वहां थे। पोलिंग से पहले हम दोनों वहां से चले आये थे। ये सब बातें मैं ठाकुर मलखान सिंह जी को याद दिलाता हूं। २ सितम्बर का यह आर्डर मौजूद है। और उनको यह ख्याल है कि मैं वहां था तो फाइल मेरे पास वहां भी जा सकती है। लेकिन २ सितम्बर को यह आर्डर पास हो गया था। यह गलत है कि इलेक्शन से उसका कोई संबंध था। जैसा मैंने पहले कहा, नोटिस पहले दी जा चुकी थी, लीगल ओपीनियन पहले आ चुकी थी और सेक्रेटरी की नोटिस पहले हो चुकी थी। ये सारी कार्यवाहियां एक दिन में नहीं हो सकतीं। लेकिन शायद इन सब चीजों को मेरे समझाने में बहुत देर लगे लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के सुपरसेशन का कोई ताल्लुक वहां का असेम्बली की सीट की हार जात से नहीं था। कल इत्तिफाक से याद दिलाया गया कि सीतापुर को भी नाटिस दे दिया गया है तो क्या इनका भी सिघौली के इलेक्शन से ताल्लुक है? सीतापुर म्युनिसिपैलिटी की इनवायरी साल भर पहले से चल रही थी और मुझे शिकायत थी कि इसमें इतना देर क्यों लग रही थी। क्या सोशलिस्ट पार्टी का नीति का इस गवन से जिसकी इक्वायरी से मतलब है, कोई ताल्लुक है? आखिर क्या है? इसलिये इस तरह से थोड़ी सी चीज पर इस सदन में इस तरह की बातें कह देना ज्यादा मुनासिब नहीं है। इसके अलावा जो दो एक बातें और थीं वे गैरजरूरी थी उनका जवाब कभी और देखा जायगा। इन लफ्जों के साथ मैं इस बिल को इस सदन के सामने रखता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २ से ४

परिभाषायें। २---इस अधिनियम में जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो---

(१) 'बोर्ड' का तात्पर्य डेवलपमेंट बोर्ड तथा किसी म्युनिसिपल बोर्ड से है;

(२) 'डेवलपमेंट बोर्ड' का तात्पर्य कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ की धारा ५ के अधीन स्थापित कानपुर (अर्बन एरिया) डेवलपमेंट बोर्ड से है;

(३) 'काबाल नगर' ( kabal towns ) का तात्पर्य कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ नगरों से है,

(४) 'स्थानीय निकाय' (लोकर बाडी) का तात्पर्य डेवलपमेंट बोर्ड, या किसी म्युनिसिपल बोर्ड अथवा ट्रस्ट से है,

(५) 'म्युनिसिपल बोर्ड' का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ की धारा ३ के अधीन स्थापित किसी म्युनिसिपल बोर्ड से है, तथा इसके अन्तर्गत बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा ३१ के खंड (बी) के अधीन नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों भी है।

(६) 'ट्रस्ट' का तात्पर्य यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ३ के अधीन स्थापित किये ट्रस्ट से है।

प्रशासकों की नियुक्ति।

३—(१) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ अथवा कानपुर अर्बन एरिया डैवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ में किसी बात के होते हुये भी, काबाल नगरों में कारपोरेशन की स्थापना को सुकर बनाने तथा सुविधाजनक संक्रमण (ट्रैंजिशन) के विचार से, राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके काबाल नगरों के किसी भी स्थानीय निकाय के लिये प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है, तथा

(क) प्रख्यापित कर सकती है कि उस दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय उस स्थानीय निकाय, उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेण्ट), सभापति (चेयरमैन) अथवा समिति (कमेटी) के सभी अधिकार, कर्त्तव्य तथा कार्य चाहे वे उक्त विधायनों (इनैक्टमेण्ट्स) के अथवा अन्य किसी विधि के अन्तर्गत हों, उक्त प्रशासक में निहित हो जायेंगे और जब तक कि उक्त आज्ञा अधिक्रांत अथवा निरस्त न हो जाय, वे प्रशासक, जिसे विधित: यथावसर बोर्ड, ट्रस्ट, अध्यक्ष, सभापति अथवा समिति समझा जायगा, द्वारा अथवा उसके अधिकार के अन्तर्गत प्रयुक्त होंगे, कार्यान्वित होंगे तथा किये जायेंगे, और

(ख) ऐसे आनुषंगिक अथवा पारिणामिक उपबंध, जिनमें उक्त ऐक्टों (अधिनियमों) के किसी भी उपबंध का अधिक्रमण (सस्पेंडिंग) भी सम्मिलित है, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हो, बना सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार एक ही नगर में किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत आज्ञा प्रकाशित होने पर—

(क) पहले से संगठित बोर्ड अथवा ट्रस्ट कार्य करना समाप्त कर देगा तथा बोर्ड अथवा ट्रस्ट के सभी सदस्य, जिनमें उसके सभापति, अध्यक्ष अथवा उसकी समिति भी सम्मिलित है, जैसी भी दशा हो, उपधारा (१) के खंड (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट दिनांक से अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) यदि अपना पद रिक्त करने से पूर्व अध्यक्ष अथवा सभापति को किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत हो चुकी हो और छुट्टी की अवधि समाप्त न हुई हो तो इस बात के होते हुये भी कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है उसे अवशिष्ट अवधि के लिये अवकाश वेतन मिल सकेगा ।

(३) विशेष रूप से तथा उपधारा (१) के खंड (ख) की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार उस ही आज्ञा में या बाद में दी गई आज्ञा में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है :—

(क) कि उक्त ऐक्ट्स (अधिनियम) उस अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, उस स्थानीय निकाय के क्षेत्र में जिसके लिये प्रशासक नियुक्त हुआ हो, ऐसे अनुकलनों, परिवर्तनों अथवा परिष्कारों के साथ प्रभावी होंगे जो उक्त उपधारा के खंड (क) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों ;

(ख) सम्बद्ध स्थानीय निधि अथवा निधियों (लोकल फंड आर फंड्स) में से प्रशासक के वेतन अथवा भत्तों का भुगतान; और

(ग) जब किसी नगर में एक ही व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय निकायों का प्रशासक नियुक्त हो, तब ऐसे स्थानीय निकाय अथवा निकायों के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये जाने वाले स्थानों अथवा पदों का भरा न जाना अथवा सम्बद्ध स्थानीय निकायों के लिये संयुक्त रूप से भरा जाना और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्तों का भुगतान सम्बद्ध स्थानीय निधि अथवा निधियों में से किया जाना।

(४) उपधारा (१) के खंड (ख) अथवा उपधारा (३) के अन्तर्गत दी गयी कोई भी आज्ञा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ में किसी भी बात के होते हुये भी, प्रभावी होगी।

निरसन। ४—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्त) अध्यादेश, १९५३ एतद्द्वारा निरस्त (रिपील) किया जाता है और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबंध इस पर इसी प्रकार लागू होंगे मानों यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियम हो।

**श्री अध्यक्ष**—चूंकि इसके ऊपर कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं इसके ऊपर भी वोट ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

## उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३

कारपोरेशनों (निगमों) की स्थापना को सुकर बनाने के विचार से, काबाल नगरों के नागरिक विषयों (सिविक अफेयर्स) के निमित्त प्रशासकों की नियुक्ति की व्यवस्था करने का विधेयक

कारपोरेशनों (निगमों) की स्थापना को सुकर बनाने के विचार से काबाल नगरों के नागरिक विषयों (सिविक अफेयर्स) के निमित्त प्रशासकों की नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिये राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अध्यादेश, १९५३ प्रचारित किया था,

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल का एक अधिनियम प्रस्तुत करना है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सारे उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ८ जुलाई, १९५३ को प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोहनलाल गौतम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ को पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है और न कोई ऐसी बात ही है जो कहने को बाक़ी रह गई हो, इसलिये इस विधेयक को बिना कुछ कहे हुये सदन के सामने पारित किये जाने के लिये रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## *उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों के (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

विधेयक का आशय बिलकुल सरल है। हमारे यहां जब कभी औद्योगिक झगड़े होते हैं यानी मिल मालिकों और मजदूरों के जितने भी झगड़े होते हैं, वे सब किसी न किसी श्रमिक अदालत में जाते हैं चाहे वह अदालत एक आदमी की हो या ट्रिब्यूनल हो। कायदा यह होता है कि जब कभी ऐसा मामला किसी अदालत के पास जाता है तो उस आदेश के साथ मियाद भी मुकर्रिर कर दी जाती है कि इतने दिनों के भीतर इसका फैसला हो जाना चाहिये। कई बार कई कारणों से उस मियाद के अन्दर फैसला नहीं हो पाता है तो उसके लिये आज तक यह दस्तूर रहा है कि अगर कोई फैसला नहीं हो पाता था तो गवर्नमेंट उसकी मियाद बढ़ा दिया करती थी और फिर उसका फैसला हो जाया करता था। इसके बारे में अब तक किसी को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ और यह दस्तूर बराबर जारी रहा। कुछ दिन हुए एक मिल मालिक ने एक फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अपनी ग्राउन्ड् आफ अपील में यह भी लिखा कि गवर्नमेंट को मियाद बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात को मान लिया कि गवर्नमेंट को मियाद बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले हजार से ऊपर फैसले हो चुके हैं और वे फैसले ज्यादातर मजदूरों के हक़ में ही हुये हैं। बहुत से मुकद्दमों में मिल से निकाले हुये मजदूरों को दोबारा रखा गया था और कुछ में हर्जाने के रूप में उनको कुछ न कुछ दिलाया गया था। अगर ये फैसले रद्द हो जाते हैं तो जिन मजदूरों को हर्जाने के रूप में कुछ मिला था वह उनसे दावा करके वसूल कर लिया जायगा और उनको मिल से निकाल दिया जायगा। इस प्रकार यह एक बड़ी भयंकर परिस्थिति हो जायगी। अतः इस विधेयक द्वारा दो बातें की गयी हैं एक तो यह कि गवर्नमेंट को यह अधिकार हो कि किसी ऐसे मुक़द्दमें की वह मियाद बढ़ा सके जिसका फैसला उस मियाद के भीतर न हो सका हो। दूसरा यह कि जो फैसले हो चुके हैं उन फैसलों पर भी यह कानून लागू कर दिया जाय यानी इस अधिकार को रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट दे दिया जाय। उसका नतीजा यह होगा कि जो फैसले इस कानून से पहले भी हो चुके हैं वे भी जायज हो जायेंगे।

---

*३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं समझता हूं कि इसका आशय जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ही सरल है तथा इसको सब लोग पसंद करेंगे और मेरा प्रस्ताव स्वीकार होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पास किया जाय लेकिन इसके साथ ही साथ हमको यह भी देखना होगा कि इन फैसलों के होने में देरी क्यों होती है और उन देरियों को कैसे खत्म किया जाय, यह भी हमें विचार करना होगा। मैं आप को बतलाउं कि अभी अभी पड़रौना के मजदूरों का एक केस था जिसकी पिछले महीने की १२ की तारीख थी। मिल मालिक उस मुकदमें के सिलसिले में जितने भी काग़जात थे उनको नहीं लाये हालां कि उनसे निवेदन कर दिया गया था कि वे उन काग़जात को लेकर आवें। उसके बाद १६ को तारीख पड़ी लेकिन वे १६ को भी नहीं लाये, फिर २५ को तारीख पड़ी लेकिन २५ को भी नहीं लाये। अभी अभी पिछले महीने की ३० तारीख को भी वे कागजात नहीं लाये। इस तरह से मिल मालिक जानबूझ कर मुक़दमों में देरी करते हैं। इसका कोई तरीक़ा निकाला जाय ताकि इस तरह की देरी को ख़त्म किया जा सके। केवल पिछली कार्यवाही को लीगलाइज कर देने से ही काम नहीं चलने का है। मैं देखता हूं कि बहुत से मुक़द्दमे नीचे से चलते हैं, कंसिलियेशन बोर्ड में आये, उसके बाद वहां से बढ़े, फिर यही गवर्नमेंट की रोकथाम वाली जगह है जहां कि कंसिलिएशन बोर्ड अपनी रिपोर्ट को भेजते हैं वहीं या तो एडजुडिकेशन में भेजते हैं या वे इन-एक्सपिडिएंट कर के वापस कर देते हैं। माननीय श्रम मंत्री जी को चाहिये था कि वह इन सारी चीजों को इस बिल में लाने की कोशिश करते। जब एक दफा ऐक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है तो यह जरूरी था कि उस ऐक्ट को ठीक से देखा जाय और जो जो त्रुटियां ऐक्ट में मौजूद हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाय। इतना ही नहीं, मैं आप को बतलाऊं कि कानून तो बनते जा रहे हैं बहुत से कानून बन गये हैं, तमाम विधान सभा के सदस्य आते हैं तमाम सरकारी पैसा ख़र्च होता है, कानून बनते हैं लेकिन जहां इतने कानून बनते हैं वहां सरकार का यह भी फर्ज हो जाता है कि वह इस बात को देखे कि उसके बनाये हुये कानून को अमल में लाया जा रहा है कि नहीं। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसके दोषी को सजा दी जाती है या नहीं। अगर खाली कानून बना देने से ही मतलब है तब तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने पाता है। मैं मिसाल के तौर पर आप को बतलाऊं कि कायदा यह है कि जब कोई केस किसी मिल का किसी अदालत में हो तो बिना उस अदालत की इजाजत के कोई भी मजदूर नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है लेकिन केस की पेंडेंसी में पड़रौना मिल के दो तीन मजदूर निकाले गये हैं। इस संबंध में मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास लिखा क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा १६ के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही यह अधिकार है अगरचे कोई उस कानून को भंग करता है तो वही उस पर मुक़दमा चलाता है। मैं आप की आज्ञा से उस धारा को पढ़ता हूं—

"16. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the District Magistrate or by a public servant other than a District Magistrate with the previous sanction in writing of the District Magistrate."

इसका मतलब यह है कि महज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही उन मुकदमों को चला सकता है और अगरचे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास यह ख़बर दी जाती है कि फलां जगह, फलां फैक्टरी या फलां आदमी कोई कानून तोड़ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये लाजिमी है कि वह उस कम्पनी पर मुक़दमा चलावे क्योंकि महज वही मुकदमा चला सकता है। मैंने जब इस तरह की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजी तो उन्होंने मेरे पास जो उत्तर भेजा है उसमें उन्होंने यह नहीं लिखा कि हम मुकदमा चलायेंगे या नहीं चलायेंगे इसके बजाय उन्होंने यह लिखा कि सेक्शन २३ के अनुसार यूनियन को कहला दीजिये कि वह अपीलेट ट्रिब्यूनल को

पेटिशन दे। उसे पढ़ कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। सेक्शन २३ के अनुसार यूनियम को कोई अधिकार नहीं है कि वह अप्लीकेशन दे। वह तो जो मजदूर, जिसको कि वह सजा दी जाती है महज वही अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने दरख्वास्त पेश कर सकता है लेकिन मुझे यह दुख है यह देखकर कि जब मैंने यह कहा कि मुक़दमा चलाइये तो मुझसे उल्टा कहा जाता है कि पहले आप दरख्वास्त दें तब सोचा जायगा कि मुकदमा चलाया जाय कि नहीं। न कोई इंक्वायरी ही की गयी। मैं आप को बतलाऊं कि अगर इस तरह से मिल मालिकों को छूट दी जाती है और वह गवर्नमेंट आर्डर्स तोड़ते रहें तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई कानून ठीक से चल सकेगा या नहीं। मुझे माननीय श्रम मंत्री की सेवा में यह कहना है कि इस कम्पनी ने ८ मर्तबा एपेलेट ट्रिब्युनल के एवार्ड्स को नहीं माना। दो दो वर्ष से एवार्ड्स वैसे ही पड़े हुये हैं। कोई भी अधिकारी नहीं बचा जिसके पास न लिखा गया हो कि आप इस कम्पनी पर मुक़द्दमा चलाइये लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और नतीजा यह है कि दिन रात एक न एक कानून तोड़ा जा रहा है। मैं चाहता यह था कि जब एक तरफ से इस ऐक्ट का अमेंडमेंट हो रहा है तो ऐसा अच्छा कानून बनाया जाय कि जो दिक्कते मजदूरों को हो रही हैं वे सारी दिक्कतें दूर हो जायं। अभी परसों चीनी मिल के मजदूरों की एक मीटिंग हुई। उसमें हमारे यहां दो फेडरेशन हैं युनाइटेड यू० पी० बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन और हिन्द चीनी मजदूर फेडरेशन हैं। इन दोनों फेडरेशंस की एक्जिक्युटिव की मीटिंग थी। दोनों ने यह तय किया कि एक साथ रहेंगे और दोनों का मर्जर हो गया उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में अमेंडमेंट किया जाय तो मजदूरों को हक़ दिया जाय कि जिस मुक़दमें को वह चाहें उसे डायरेक्ट भेज सकें और मुकदमा सुना जा सके। मेरा कहने का मतलब यह है कि कंसिलियेशन बोर्ड में जो केसेज जाते हैं, ऊपर जाने के लिये उनको इनएक्सपीडियेंट करार दिया जाता है और वापस कर दिया जाता है यह न होने पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बतलाऊं कि बहुत सी जगह ऐसी बातें हुई हैं जिनको पक्षपात-पूर्ण कहा जा सकता है और इसमें कोई ताज्बुब की बात न होगी क्योंकि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। सिसवा मिल के मजदूरों ने मुकदमा कायम किया और कंसिलियेशन बोर्ड से लिख कर भेज दिया गया कि सेटिलमेंट नहीं हुआ। और ऊपर से यह लिख दिया कि यह केस इनएक्सपीडियेंट है। ठीक उसके कुछ दिन बाद जब इस मिल का यह केस दूसरी यूनियन के पास गया और उस इश्यू को कंसिलियेशन बोर्ड के पास भेजा तो उसके ऊपर एडजुडिकेटर मुकर्रर कर दिया जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है।

दूसरा सबूत मैं और दूं। फैजाबाद इलेक्ट्रिक लाइसेंस, १९३३ ने एक मोटर ड्राइवर को अलग कर दिया। उस केस को हमारी यूनियन ने कंसीलियेशन बोर्ड में दाखिल किया। समझौता नहीं हो सका और लिख कर आ गया कि केस इनएक्सपीडियेंट है। बड़ी परेशानी हुई। फिर यह सोचा गया कि वह केस आई० एन० टी० यू० सी० के द्वारा भेजा जाय उसके द्वारा जब वह केस जाता है तो केस एडजुडिकेशन में चला जाता है। मैं आप को बतलाऊ कि वे कैसे आइ० एन०टी०यू०सी के नेता के यहां भेजे गये और कैसे उस मजदूर के नेता ने उनसे कहा कि हां हम तुम्हारा केस लड़ेंगे और उसी यूनियन द्वारा वह केस कंसीलियेशन बोर्ड में भेजा गया और वह नेता जब गए तो उस केस को फिर ऐडजुडीकेशन को रेफर कर दिया गया। तो यह ऐसा मामला है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी हुकूमत हो जो अपने को प्रजातांत्रिक कहती है उसके लिये यह कलंक की चीज है कि वही केस जब एक पार्टी के द्वारा भेजा जाता है तब तो वह ठीक होता है और जब एक अपोजीशन की पार्टी उसी केस को ले जाती है तो उस केस को यह कह कर हटा दियाजाता है कि इस केस में कोई ताक़त नहीं है। तो मैं जरूर चाहता हूं कि इस क़िस्म के कामों का मौका अगर सरकार को न मिलता तो बहुत अच्छा होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन सारी चीजों को देखते हुये इनडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की पूरी धाराओं में संशोधन लावें और एक ऐसा बिल पेश करें जिसमें कि जो कुछ भी दिक्कतें हमने बतलायीं वे सुलझ जायं और सरकार को इतनी पावर न रहे कि वह इस क़िस्म के

[श्री जगन्नाथमल्ल]

काम कर सके। मैं पुनः माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस बिल को लाकर जो संशोधन पेश किया है उसमें जिस किस्म का यह कानून है और जिस किस्म की और बातें हैं उसको देखते हुये इसका होना तो जरूरी ही है। इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्री जी द्वारा पेश बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेण्ट माननीय श्रम मंत्री जी ने उस सदन के सामने पेश किया है हमें खुशी है कि हमारे साथ साथ हमारे विरोधी दल के लोग भी माननीय श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये लेकिन मुझे इस बार ही नहीं बल्कि इस हाउस में जितनी बार भी मजदूर समस्या के बारे में सुनने को मिला उतनी बार केवल एक ही शिकायत थी कि आई० यन० टी० यू० सी० के लोगों के केस ऐडजूडिकेशन में गये और दूसरे लोगों के नहीं गये। मैं अपने मित्र को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा आप बतलावें कि इसमें कितने आई० एन० टी० यू० सी० के हैं और कितने आप के हैं। श्रमविभाग द्वारा सन् १९५२ की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है और माननीय सदस्य ने उसे पढ़ा भी होगा ऐसा मेरा विश्वास है। सन् १९५२ में कुल मुकदमें इस प्रदेश में कंसीलियेशन बोर्ड के सामने ३३१८ गये और उनमें से ८५९ में आपस में समझौता हो गया। ऐडजुडीकेटर के पास चाहे वह इंडस्ट्रियल कोर्ट में गये और चाहे ऐडजुडीकेटर के पास गये हों उनकी संख्या है ५७७। शेष बच जाते हैं १६१०। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये १६१० मुकदमें जिनको गवर्नमेंट ने न ऐडजुडीकेटर के पास भेजा और न इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, ये मुकदमें दोनों के ही हैं हमारे भी हो सकते हैं और आप के भी हो सकते हैं और मुझे यह कहने के लिये क्षमा करें कि यह तो स्वाभाविक है कि जिसकी यूनियन जितनी ज्यादा होगी उसके मुक़दमें उतने ही ज्यादा लड़े जायंगे और जिनकी यूनियनें जितनी कम होंगी स्वाभाविक है कि उनके मुक़दमें भी उतने कम लड़े जायंगे। अब अगर आप बार बार इस दलील को उठाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी मंशा क्या है।। हां, कुछ मसलों में हम और आप साथ हैं। हम समझते हैं कि उन बातों को ले करके जिस तरह से पिछली बार भी मैंने कहा था और आज भी इस सदन में कहता हूं कि आप अभी रेलवे में समझौता हुआ, टैक्सटाइल की बातें चल रही हैं और बहुत सी बातों में समझौता हो चुका है क्योंकि हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि मजदूरों के आन्दोलन में एकता होनी जरूरी है। जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। इम्पलायर से लड़ सकते हैं इसलिये इस एकता के मामले में भी यदि आप हमारी मदद करते तो ज्यादा अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस हाउस को कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। पिछली ११ जुलाई को एक विज्ञप्ति सरकार की ओर से निकाली गयी। उसके द्वारा कानपुर के आठ सूती मिलों के जो मजदूर निकाले जा रहे थे और जिनकी टैम्पोरेरी भर्ती की जा रही थी या जो लोग काफी दिनों से काम कर रहे थे उनको मुस्तकिल करके उल्टे उन्हें निकाला जा रहा था और उनके स्थान पर उन्हीं को फिर टेम्पोरेरी रखा जा रहा था। तो जब ऐसा संकट बढ़ा तो सरकार ने ११ जुलाई को आर्डर निकाला और उन कार्यवाहियों को बन्द किया। हमें खुशी है कि सरकार ने ऐसा क़दम उठाया। हम इसके लिए माननीय श्रम मंत्री को धन्यवाद देते हैं। लेकिन उस आर्डर को १५ दिन भी नहीं बीतने पाया था कि सरकार ने वापस ले लिया। मेरी समझ में नहीं आया कि १५ दिन के बाद ऐसी कौन सी खास बात पैदा हो गई कि जिसकी वजह से इसका वापस लिया गया। जब यह आर्डर निकाला गया था तो जो परिस्थिति बतलाकर यह क़दम उठाया गया था तो जब यह वापस लिया गया उसमें क्या परिवर्तन हो गया था सिवाय इसके कि सरकार को मिल मालिकों ने यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में ऐसा नहीं किया जायगा और मजदूरों के साथ उनका बर्ताव आगे ठीक तरह से रहेगा। लेकिन मिल मालिकों को श्रम मंत्री जी जानते हैं कि उनका यह काम है कि एक बार विश्वास दिला देते हैं कि हम ऐसा नहीं

करेंगे लेकिन फिर वे उस निश्चय पर नहीं चलते हैं और खुद उसको तोड़ते हैं। इसके बारे में कुछ फिगर्स मेरे पास हैं जिनके बारे में मिल मालिकों ने जिसका प्रमाण मैंने भेज दिया है इम्प्लायमेंट एक्सचेंज को मीटिंग में मुझे चैलेंज किया था। मेरा अब भी विश्वास है कानपुर का हर मिल मालिक कम से कम २ हजार आदमियों को हर माह निकालता और फिर से नयी भरती करता है। पर वास्तव में उनको आदत सी पड़ गयी है कि हर बात का चेलेन्ज करते रहें। एक हमारे मित्र ने नैनीताल में एक बात कही थी, बस मालिकों ने कहा कि तुम साबित करो कि यह बात ठीक है। पर मेरे पास कुछ मिलों के फिगर्स हैं और कोई कारखाना ऐसा नहीं है जिसमें ४००, ५०० मजदूर नहीं निकाले गये और उनकी जगह पर नयी भरती नहीं की गयी। भरती का तरीका यह है कि वह हर महीने भरती करते हैं और नियमानुसार जब मजदूरों के परमानेण्ट करने के २ दिन रह जाते हैं तब उनको निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पर दूसरे आदमियों की भरती कर ली जाती है। इसके बाद सरकार को जब बताया गया और फिगर्स भी भेजे गये तो बाद में माना कि जो कुछ तुम्हारा कहना है कि वह सही है। जब दो हजार आदमी की बात मैं कह रहा हूं बल्कि इससे भी ज्यादा आदमी हर महीने निकाले रखे जाते हैं तो कल तो आपकी रेशनलाइजेशन की स्कीम चालू होने जा रही है तो फिर यह किस प्रकार से चलेगी।

अभी पिछले दिनों दिल्ली में मजदूर, मालिकों और सरकार के लोगों की एक कांफ्रेंस हुई और उसमें यह निश्चय हुआ कि अगर किसी भी मजदूर को निकालना आवश्यक हुआ तो उसको असल वेतन का और किसी मंहगाई का ५०,५० फीसदी दिया जायगा। ४५ रोज तक यानी उसको २७॥ रोज का वेतन मय मंहगाई के मिलेगा। उसको पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई लेकिन मिलमालिकों ने यह कहा कि ठीक है और इसको जो सरकारी कारखाने हैं उनमें भी लागू किया जाय तो सरकार ने सोचा कि हमारे यहां टैम्पोरेरी डिपार्टमेंट हैं, हमारे यहां कायदे कानून तो चलते नहीं तो उन्होंने यह रखा कि यह उन लोगों पर लागू किया जाय जो परमानेण्ट हों। इसका नतीजा यह हुआ कि कानपुर में ही नहीं बल्कि बहुत जगहों पर हजारों मजदूर इससे वंचित रह गये। मिलों के अन्दर भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग टेम्पोरेरी काम करते हैं और आज भी टेम्पोरेरी काम पर रखे जाते हैं। इस आज्ञा के वापस होने के बाद तो उनको परमानेण्ट होने का सहारा ही नहीं रह गया।

दूसरी शिकायत यह है कि अगर मजदूर मालिक पर केस चलायें तो मालिक की हालत यह है कि वह हाईकोर्ट में रिट दाखिल करते हैं। मैं जगन्नाथ मल्ल जी को याद दिलाऊं कि १९५१ में तीन मुकदमों के रिट दाखिल हुये हाईकोर्ट में और १९५२ में भी तीन मुकदमों के रिट दाखिल हुये और हाईकोर्ट में आज तक कोई सुनवाई न हीं हुई। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम और आप दोनों मिल कर, आंदोलन करके ऊपर से नीचे तक का जो ढांचा बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने का प्रयत्न करें। मुझे आशा है कि बाहर की बात तो छोड़िये कम से कम हाउस में ही हम और आप मिल कर प्रयत्न करें ताकि सरकार पर कुछ असर पड़े।

इसके बाद मुझे दो और बातें कहनी हैं और वह यह कि जो मुकदमें चल रहे हैं उनमें आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की तरफ से ऐसी परिस्थितियों में ही समय दिया जाय जब कि वह समझे कि समय देना आवश्यक है। जैसा कि श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने बताया है यह एक दो केस की बात नहीं है हर मिल में जहां मिल मालिक समझता है कि इसमें हमारी हानि होगी वह फैसले को नहीं मानने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि उस वक्त तक जब तक कोर्ट में कोई केस चल रहा है मिल का कोई आदमी निकाला नहीं जा सकता है। अगर कोर्ट में केस चल रहा है और मालिक किसी को निकालना चाहता है तो मालिक कोर्ट में जाय और इसको पहले इजाजत ले तब निकाल सकता है। इसलिये मुझे क्षमा किया जाय हम लोग भी कोशिश करते हैं कि मुकदमें चलते रहें

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

जरूरत है कि हम और आप बैठें और सोचें कि इस तरह की टैक्टिक्स को कैसे रोका जाय। हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिये कि मुकदमें जल्द से जल्द खत्म हो जायं। जब मुकदमे फैसल हो जाते हैं उसके बाद भी एम्प्लायर्स नहीं मानते हैं। माननीय श्रम मंत्री ने नंद बस के मालिकों को अपने कमरे में बिठा कर तीन बार समझाया। उनको डांटा भी। और अन्त में यह कहना पड़ा कि ऐसी हालत में हम दूसरी कार्यवाही करेंगे। लेकिन उस। मुकदमें के फैसल हो जाने के बाद भी अब एक चौथाई, २० हजार रुपये बांटने का उन्होंने वादा किया। जिसमें से अभी १५ हजार बटा है। फिर चाहे जिस मिल को ले लीजिये जहां मिल मालिक के विरुद्ध फैसला हो जाता है तो वह फैसले पर अमल नहीं करते। मुझे खुशी है कि जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट निकली है उसमें गवर्नमेंट ने मान लिया है कि मिल-मालिकों के खिलाफ जो फैसले होते हैं उन्हें मिल मालिक नहीं मानते। ऐसे मामलों में जरूरत है कि मिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। क्योंकि अगर मजदूर के खिलाफ होता है तब तो वह उसी दिन से लागू हो जाता है। ऐसी दशा में मैं चाहता हूं कि जिस बात को गवर्नमेंट ने खुद मान लिया है उस पर कार्यवाही भी की जाय ताकि भविष्य में ऐसी नौबत न आये।

इसके बाद मैं फिर माननीय श्रम मंत्री को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ११ तारीख वाले आर्डर को जो उन्होंने वापस ले लिया उसके संबंध में हम लोगों को बतायें कि क्यों वापस लिया और अगर आवश्यकता हो तो उसे लागू रखें।

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों के संशोधन विधेयक का सिद्धांततः समर्थन करता हूं। मैं आज के मजदूर आंदोलन या मजदूर संघ के बारे में कोई वार्ता उपस्थित करना नहीं चाहता क्योंकि इस विधेयक का सिद्धांत सूक्ष्म है और उन्होंने एक प्रकार से एक प्रतिबन्ध भी लगा दिया है क्योंकि हम अपने सामान्य वादविवाद को केवल एडजुडिकेशन और ट्रिब्यूनल्स के सामने जो मुकदमे जाते हैं उन्हीं के संबंध में ही सीमित रख सकते हैं। लेकिन जहां तक औद्योगिक झगड़ों का प्रश्न है, एडजुडिकेशन्स का प्रश्न है या स्टेट ट्रिब्युनल्स में किसी मामले की तारीखों के या अवधि के बढ़ाने का प्रश्न है मैं एक चेतावनी आपके द्वारा अवश्य देना चाहता हूं कि कहीं यह न समझ लिया जाय। मैं यह बात नहीं कहता कि जो हमारे औद्योगिक न्यायालय के सदस्य हैं या जो पंच निर्णायक हैं वे कभी भी इस प्रकार देरी कर सकते हैं। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है। लेकिन यह होता ही है। इस प्रकार का विधेयक पास हो जाने से यह न समझ लिया जाय कि अब एडजुडिकेशन के फैसला करने में या पंच निर्णयों के देने में या ट्रिब्यूनल के फैसला करने में ज्यादा देरी हो जाय। आज जबकि मजदूर यह चाहता है कि उसकी तकलीफों को जल्दी दूर किया जाय, जबकि हमारे भारत के श्रम मंत्री बी०बी० गिरि कलेक्टिव बारगेनिंग के प्रिंसिपिल को लेकर डेढ़ साल से प्रचार करते रहे हैं, जबकि नैनीताल सम्मेलन में भी इस बात को मान लिया गया है कि कलेक्टिव बारगेनिंग के सिद्धांत को लेकर आपसी विचार विमर्श के सिद्धांत को लेकर ही अधिकतर औद्योगिक मामले तय होने चाहिए, तो ऐसे समय में जबकि भारतीय श्रम मंत्री भी इस सिद्धांत को प्रतिपोषित करते रहे हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्हें केवल इतना ही कहने पर बाध्य कर सकी है कि अभी फिलहाल ऐसी हालत पैदा नहीं हुई है तो ऐसी हालत में पंचनामों को या पंचनामों के समय को बढ़ाना समझता हूं कि सरकार ऐसे अधिकार को कम ही बरतेगी और तब ही उनका प्रयोग करेगी जबकि अवश्यम्भावी हो जायगा। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ तथ्यों के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जोकि माननीय अवस्थी जी ने प्रस्तुत किये। उन्होंने इसमें यह देखा कि ३,३१८ मामले कंसिलियेशन बोर्ड के सामने सन् १९५२ में उपस्थित हुये, जिनमें से केवल ८४९ मामले एडजुडिकेशन को दिये गये और १,६१० उनमें ऐसे थे जिन पर कोई निर्णय नहीं किया गया यानी एडजुडिकेशन को नहीं दिये गये

तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की मांग करना चाहता हूं कि आखिर ऐसे मामलों को भी जिनको कंसिलिएशन बोर्ड तय नहीं कर सकता उनको एडजुडिकेशन में भेजने का नियम क्या है ? कौन से ऐसे मामले हैं जोकि कंसिलिएशन बोर्ड के द्वारा तय नहीं होते, लेकिन वह एडजुडिकेशन को भेजे जाते हैं। कौन से ऐसे हैं जो कंसिलिएशन बोर्ड के द्वारा तय नहीं होते लेकिन स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भेजे जाते हैं। मुझे तो ऐसे केसेज मालूम है दो तीन मामलों में तो मैं मौजूद था जिनमें ऐसे टर्म्स आफ रेफ्रेंस ट्रिब्युनल के सामने भेज दिये गये जिनका कोई महत्व नहीं था और ऐसे मामले जिनका महत्व था उनको छोड़ दिया गया, वह नहीं भेजे गये ट्रिब्युनल के डिसिशन के लिये। तो मैं चाहता हूं कि जहां पर हम इस बात की इच्छा करते हैं कि अधिक से अधिक न्यायालयों के द्वारा न्याय मजदूरों को मिले वहां पर इस बात का निश्चित नियम बनना चाहिये या तो यह तय हो जाय कि प्रत्येक मामला जो कंसिलिएशन बोर्ड में तय नहीं होगा वह ऐडजुडिकेशन में चला जायगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर उसके क्या नियम हैं ? उसकी क्या पद्धति है यह स्पष्ट होना अत्यन्त आवश्यक है। ये १६१० मामले हमारे डिपार्टमेंटल फाइलों में पड़े रह जायं यह अस्वाभाविक मालूम होता है। साथ ही साथ जब मैं यह देखता हूं कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल और लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल के सामने १९५२ में २१ मामले ऐसे थे जिन पर फैसला नहीं हो पाया और जहां तक लेबर अपिलेट ट्रिब्युनल का प्रश्न है यू० पी० से २३० मामले लेबर अपिलेट ट्रिब्युनल के पास गये। उनमें से ६२ मामले फैसल हो सके और १६८ ऐसे थे जिनका कोई फैसला नहीं हो पाया। इसी लिये मजदूर नाराज होता है और न्यायालय को भूलभुलैया कहता है। मजदूर तो सीधी भाषा बोलता है, वह पार्लियामेंट्री भाषा नहीं जानता। सरकार बार बार कहती है कि शांति रखो, तसल्ली रखो, मजदूर कहता है कि हम न तो वकील हैं न बैरिस्टर हैं न कानून जानते हैं, न यूनियन के पास इतना रुपया है कि वह वकील बैरिस्टर रख सके या लेटेस्ट रूलिंग मंगा सके तो जब यह काम नहीं होता तो इसकी अपील लेकर लेबर अपीलेट ट्रिब्युबल, स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल, सुप्रीम कोर्ट और कहां कहां मालिक तो जा सकता है लेकिन हम नहीं जा सकते। तो जब मजदूर न्यायालय की बात हम उनसे करते हैं तो यह दलील साधारण से साधारण मजदूर देता है जिसको कि चन्दा देना पड़ता है। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायालय के जरिये फैसलों को जल्दी और ज्यादा सरल बनाने की चेष्टा की जाय और जिस प्रकार से सामान्य तौर पर आज न्याय प्रणाली के अनुसार जुडिशल प्रोसेस के अनुसार हाईकोर्टों में जो और मामले जाते हैं उसी प्रकार ये लेबर के मामले मजदूरों के न्याय संबंधी मामले जब वहां जायं तो उनमें देरी न हुआ करे। इस बात के लिये हमें पूरी चेष्टा करनी पड़ेगी। सन् १९५१ के बारे में जब मैं लेबर अपिलेट ट्रिब्युनल के मामलों को देखा तो ३३७ मामलों में १३४ मामलों में फैसला नहीं हुआ है। मैं इन सब उदाहरणों को देखकर कोई लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल के जो न्यायाधीश हैं उनके लिये कोई निन्दा की बात नहीं कहता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी भी अपनी सीमायें हैं लेकिन उनकी सीमायें, उनकी योग्यताएं जब मजदूरों को सामान्य न्याय देने में बाधक पड़ती हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी को और आदरणीय सदन को सोचना पड़ता है कि कहां तक प्रणाली उपयुक्त है। तो इस समय इस बिधेयक के सीमित सिद्धातों के अनुसार मैं इतना ही कहकर इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक का प्रयोग हर पंच-निर्णय, हर एडजुडिकेशन पर नहीं करना पड़ेगा और ऐसे कम ही अवार्ड होंगे जिन पर समय बढ़ाने की नौबत आये।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है उसका तो मैं समर्थन करता हूं और मैं जो कुछ रोजाना की दिक्कतें मजदूरों के सामने आती हैं, उस तरफ सदन का और माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कानून में इस बात की गुंजाइश की जाती है कि जिस तरह

[श्री गेंदा सिंह]

से हो सके मजदूर अपने उचित हकों को पा सकें। मेरी जहां तक जानकारी है जो एवार्ड दिय जाते हैं इन एवार्ड्स को इम्प्लीमेंट करने में मालिकान जिस तरह से ढिलाई करते हैं तो उस ढिलाई का जवाब उन मिल मालिकान को उसी ढंग से नहीं दिया जाता है मुझे निजी तौर पर इस बात की जानकारी है कि कुछ मिल मालिकान जो करोड़पति हैं अपने करोड़पति होने की शान में अवार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अदालतों में मुकदमें जब आते हैं एवार्ड इम्प्लीमेंट करने के इल्जाम में तो उस मुकदमें में मुख्तारनामा उनका हाजिर हो जाता है। बेचारे गरीब मजदूर १० तारीख १५ तारीख बीसों तारीखों तक वह हाजिर हुये, उनकी गरीब यूनियन लड़ी और जो मिल का मालिक है वह उस पर मजाक उड़ाता है कि तुम तीन तीन, चार चार वर्ष तक लड़कर एवार्ड हासिल करो और उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और न करके भी हम उसी हैसियत में रहेंगे जिस हैसियत में पहले से थे। अगर माननीय श्रम मंत्री जी इन चीजों के जानने की इच्छा करेंगे तो मैं उनके सामने उदाहरण भी पेश करने के लिये तैयार हूं। मुझे और फैक्टरियों का तो ज्ञान ज्यादा नहीं है लेकिन शुगर फैक्टरियों के मजदूरों की जो मुश्किल है उस संबंध में मेरी कुछ जानकारी है और मैं संकेत करना चाहता हूं माननीय श्रम मंत्री जी को कि जो लोग नजदीक का उनसे रिश्ता रखते हैं उन लोगों की शेखी कुछ और ज्यादा है और वह कुछ अपना गौरव इसमें समझते हैं कि जो सरकार के जरिये अदालतें मुकर्रर हैं और वह अदालतें एवार्ड देती हैं उन एवार्डों को वह इम्प्लीमेंट न करें। चूंकि कुछ ऐसा रिश्ता है हमारी सरकार का उन मिलमालिकों का कि उस रिश्ते को वह बताते हैं स्थानीय अधिकारियों के ऊपर, और स्थानीय अधिकारियों के ऊपर वे यह रोब गालिब कर लेते हैं कि वे अगर न भी हाजिर हों तो कोई हर्ज नहीं है। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह अगर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो तो इस कानून में इस बात की गुंजाइश करनी चाहिये कि जिस समय वे एवार्ड को इम्प्लीमेंट न करें और उनका मुकदमा हो तो उनको मुख्तारामा पैरवी करने की सुविधा न दी जाय। इसमें कोई शक नहीं कि वे जिस समय अदालतों में स्वयं हाजिर होने लगेंगे उस वक्त उनको उन एवार्डों को इम्प्लीमेंट करने में इतनी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं एक उदाहरण जरूर दे देना चाहता हूं। कटकुइयां एक मिल है जो बहुत ही बदनाम मिल है और इस सदन में मालूम नहीं कितनी मर्तबा उसकी चर्चा हो चुकी है। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने तो आज उसको कहना मुनासिब नहीं समझा इसलिये कि लोग कह देते हैं कि यह कटकुइयां और पडरौना की बात अवश्य करेंगे। लेकिन शायद हमारे प्रदेश में सब से यूनीक पोजीशन कटकुइयां की है। इसलिये कटकुइयां की चर्चा न करना भी मुनासिब न होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटकुइयां ही ऐसी एक मिल है कि जिस मिल ने पिछले पांच महीनों से मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी। पांच महीनों से मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी और एक पैसा गन्ने की कीमत का नहीं दिया। इस समय यह भरोसा भी नहीं है कि वह गन्ने की कीमत दे पायेगी और मजदूरों की मजदूरी दे पायेगी और अगले वर्ष वह मिल चल पायेगी। इसके बारे में कोई आशा दिखाई नहीं देती। वह मिल मालिक मिल मालिक नहीं है बल्कि अथारिाइज्ड कंट्रोलर है। पिछले वर्ष हमारी सरकार ने उन्हें अथराइज्ड कंट्रोलर बनाया था, अथराइज्ड कंट्रोलर बनाते समय के उनके बहुत लायक समझा और लायक समझ करके उनको मिल सुपुर्द कर दी। उसके मिल पीछे बड़ी बड़ी कहानी थी। बड़ी कोशिशें हम लोगों ने भी की थीं माननीय श्रम मंत्री जी से कि वह उस अथराइज्ड कंट्रोलर को न दी जाय बल्कि कोआपरेटिव फेडरेशन को दी जाय। लेकिन कमबख्ती थी, हमारी उन मजदूरों की और सरकार की भी और सब की कमबख्ती ऐसी सवार हुई कि आखिर में सरकार ने यह फैसला किया कि उससे बढ़िया आदमी नहीं मिल सकता, उसी को दे दो चाहिये। इस प्रकार फैक्ट्री दे दी गयी और फैक्ट्री दे देने के बाद, बहुत जोर लगाने के बाद और माननीय श्रम मंत्री के डांटने के बाद अथराइज्ड कंट्रोलर ने कई महीने की

जो तनख्वाह बाकी थी उसमें से दो महीने की तनख्वाह उस वक्त जब कि मामला चल रहा था दे दी। लेकिन उसके बाद से फिर तनख्वाह नहीं दी गयी। वहां के कुछ मजदूर भूख हड़ताल कर रहे थे। माननीय श्रम मंत्री जी ने १४ दिन के बाद हम लोगों से कहा कि भूख हड़ताल से मामला तय होने वाला नहीं है, भूख हड़ताल की बात छोड़ो। हम लोगों ने कहा कि हम भूख हड़ताल तुड़वायेंगे और हमने भूख हड़ताल तुड़वाई लेकिन उसके बाद भी जैसी हालत सुधरी वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। तारीफ यह है कि जो दूसरी फैक्टरी उनकी थी उसमें भी सारी चीनी जब्त करके गन्ने की कीमत दी गयी। वहां भी कुछ महीनों की तनख्वाह मजदूरों की बाकी है। तो इस प्रकार मैंने एक मिल मालिक की दो फैक्टरियों का उदाहरण दिया। वैसे ही उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने संकेत किया कि जिन का बहुत नजदीक का रिश्ता इस सरकार से है वे यह समझते हैं कि उनको एवार्ड इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है।

अपने प्रदेश भर में खेतिहर मजदूरों का एक ही रजिस्टर्ड संघटन है और वह सौभाग्य से हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है।

यू०पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड जो कि जेम्स फिनले की है। उसके पास इस समय देवरिया के जिले में करीब ६ हजार एकड़ का फार्म है। यह फार्म उस चीनी मिल से लगा हुआ है। उस फार्म के मजदूर यूनियन को रजिस्टर्ड कराने के बाद एक मुसीबत आ गयी उन मजदूरों के ऊपर और मैं इस बात की ओर माननीय अवस्थी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस पर गौर करें। यह यूनियन रजिस्टर्ड हुयी और रजिस्टर्ड होने के बाद कम्पनी के मालिक साहब जो हैं, मैनेजर साहब उनकी भृकुटी टेढ़ी हुयी। एक मर्तबा उन्होंने ४०० या ५०० मजदूरों में से ९६ मजदूरों को निकाल दिया और यह कहा कि यहां कुछ जमीन ठेके को निकल गई, इसलिए अब हम इन मजदूरों को नहीं रख सकते। मैं माननीय श्रम मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस तकलीफ को लेकर हम लोगों ने उनसे कुछ निवेदन किया और उन्होंने हमसे यह कहा कि तुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलो। चूंकि कानून खेतिहर मजदूरों के संबंध में नहीं है इसलिये कोई चीज इसमें करना मुमकिन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहो अगर वह उन्हें समझायेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब एक गये दूसरे आये और दोनों के दरवाजे खटखटाते खटखटाते हमारी जिन्दगी बीत रही है। तीन चार वर्षों का जमाना गुजर गया लेकिन आजतक उन ९६ मजदूरों की पूछ नहीं हुयी। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद एक दूसरी किस्त आ गयी और उन्होंने ४५ और मजदूरों को निकाल दिया। उधर ९६ की हम चर्चा कर रहे थे तब तक उधर को ४५ को और निकाल दिया गया। उनको फिर यह कहकर निकाला कि चूंकि जमीन निकाल रही है इसलिये हम मजदूरों को निकाल देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस झंझट से बचने के लिये मैं इस कोशिश में पड़ा कि वह जमीन न निकलने पावे। हमारे करने से नहीं लेकिन कानून की वजह से और कुछ थोड़ी बहुत हमारी कोशिश से भी वह जमीन रह गयी कम्पनी के पास। फिर कहा गया कि भाई जमीन तो रह गयी, इसलिये अब इन ४५ मजदूरों को रख लो लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मैंने लेबर कमिश्नर साहब का दरवाजा खटखटाने से नहीं छोड़ा। जो हमारे भूतपूर्व लेबर सेक्रेटरी थे उनका दरवाजा मैंने बहुत खटखटाया और मैंने श्रम मंत्री महोदय का भी दरवाजा बहुत खटखटाया लेकिन उन ९६ और ४५ की कोई सुनवाई नहीं हुयी।

आज उस इलाके में अगर यह पूछा जाय कि उन ९६ और ४५ मजदूरों की क्या हालत है, उन लोगों को किसी जमाने में उस कम्पनी ने उजाड़ा था और वह नील का जमाना था। उस जमाने में उनको उजाड़ा था और उनको उजाड़ कर फार्म को बनाया था। आज वे बेरोजी के हैं, उनका कहीं ठिकाना नहीं है, मारे-मारे फिरते हैं। वहां की मैं इतनी जानकारी जरूर माननीय श्रम मंत्री जी को करादूं कि जब कोई मुसीबत आती है, बाढ़ या स्केयरसिटी, तो सब से पहले उस जगह जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को ग्रैचुटीटी रिलीफ बाटने के लिये। खेती उनके पास नहीं है। फार्म के पास खेती है। तो मैं इस संबंध में माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह कोई सरकार को बदनाम करने के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि सरकार

[श्री गेंदा सिंह]

के पास बड़ा भारी काम है और सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा सकता है, बगैर कहे हुये। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां इस तरह के लोग जानबूझ कर कानून शिकनी करते हैं उन कानून शिकनी करने वालों को रास्ता सिखाने का हमारी सरकार के पास बड़े तेज हथियार हैं। अगर मैं कहीं पर कोई कानून शिकनी की बात करूं तो उसके लिये हमारे लिये दफा ११७, १५१ और १०७ खुली हुयी है और पुलिस का डंटा खुला हुआ है हमारे सिर पर और इसकी मैं शिकायत भी नहीं करता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर वही कानून शिकनी कोई मिल मालिक या बड़ा आदमी करता है तो उसे भी नहीं बख्शना चाहिये। इसका परिणाम यह होगा कि जो एवार्ड्स होते हैं वे इम्प्लीमेंट किये जावेंगे और जो रोज के बखेड़े पैदा होते हैं वे कम पैदा होंगे। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। थोड़ी सी अपनी जानकारी से यह मैंने जरूर चाहा कि उन मजदूरों का कुछ भला हो सके और मुझे उम्मीद है कि उस पर ध्यान दिया जायगा।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अलमोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि उन्होंने यह संशोधन यहां पर पेश किया। मुझे यह सुनकर बड़ी हैरत सी हुई जब हमारे माननीय मित्र अवस्थी जी मुझे यह कहने लगे कि हमारी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को माना है कि हमारे मिलमालिक अवार्डों को नहीं मानते। यह बड़े दुख और लज्जा की बात है कि हमारी सरकार उन अवार्ड्स को जो हमारे यहां की लेबर ट्रिब्युनल्स देती हैं और सुप्रीम कोर्ट देती हैं उनको मिल मालिकों से नहीं मनवा सकती है। यह गर्व की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों पर सरकार को बहुत सख्त कार्यवाही करनी चाहिये ताकि वे बहुत जल्द मान जावें और मजदूरों का भला हो। इस मामले में, जैसा अवस्थी जी ने कहा हम बराबर उनके साथ हैं। हम बराबर चाहते हैं कि मजदूरों का हक उनको मिले। मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि सरकारी दल के मेम्बरान इस बिल पर बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि शायद वे मजदूरों की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं और उनका सारा काम माननीय अवस्थी जी को ही सौंप रखा है। मैं तो यह चाहूंगा कि हमारे और माननीय सदस्य भी मजदूरों में काम करें और उनकी तकलीफों के बारे में सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कानपुर के विश्वमित्र के कर्मचारियों की भी याद आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट से मजदूरों के फेवर में फैसला होने पर उनको रिइन्स्टेट तो कर दिया है लेकिन उनके एरियर्स नहीं दिये जा रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि उनको कभी इधर रख दिया जाता है और कभी उधर डाल दिया जाता है। यह भी मालूम हुआ है कि विश्वमित्र वालों ने सरकार को एक पत्र लिखा है कि हमें अखबार को बन्द करने की इजाजत दे दी जाय ताकि उनका हमेशा के लिये उन मजदूरों से पिण्ड छूट जाय। उसके साथ वह एक नया अंग्रेजी का अखबार कानपुर से निकालना चाहते हैं। शायद अंग्रेजी अखबार में काम करने के लिये उन्हें आदमी कानपुर से न रखना पड़ें और बाहर से आवें क्योंकि हिन्दी में काम करने वाले कानपुर में हैं और वे लड़ते हैं, इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अवार्ड भी हमारी सरकार विश्वमित्र से नहीं मनवा सकती है तो वह क्या करने जा रही है।

इसी प्रकार दिल्ली से पहले इंडियन न्यूज क्रानीकल निकलता था, उसके बाद डेली एक्सप्रेस हुआ और अब उसका नाम इंडियन एक्सप्रेस हो गया है। उसके भी एक हमारे साथी काम करने वाले लखनऊ के थे उनका भी केस बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। डेढ़ दो साल हो गया है लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हुआ है कि आया वह एडजूडिकेटर के पास जायगा या नहीं। जैसा कि श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि क्या पहचान है कि कौन सा केस जाने वाला है और कौन सा नहीं। जहां तक मजदूरों का सवाल है हमारे मंत्री जी की उनके प्रति बड़ी हमदर्दी है और हम लोग भी मजदूरों में काम करते हैं और उनके साथ जो काम करने में मुसीबतें होती हैं उनको भी मंत्री जी जानते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर हमारे अवार्ड्स जो गैर कानूनी हो जाते उनको कानून के अन्दर लाने की कृपा की है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आइन्दा जो हमारे अवार्ड्स निकलें उन्हें वह कार्यरूप में परिणत करायें, और जो मानने के लिये तैयार न हो तो उसके लिये आपके पास कानून है, आप उससे करा सकते हैं। इसलिये मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं ताकि मजदूरों की भलाई हो सके। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन्, जिस विधेयक का समर्थन इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य कर रहे हैं और जिसके विरोध में एक भी व्यक्ति नहीं है, उसके संबंध में इतने भाषण हो सकते हैं यह भी एक आश्चर्य की बात है। इस प्रस्ताव के संबंध में बहुत सी बातों का जिक्र हुआ खेतिहर मजदूर भी आये, पडरौना की मिल के संबंध में श्री जगन्नाथ मल्ल ने जो खत्तो किताबत की उसका भी जिक्र किया गया, ट्रिब्यूनल्स की नालायकी की भी आलोचना हुई और दिल्ली में गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोई स्टैंडिंग कमेटी हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ उनका भी जिक्र हुआ। लेकिन आपने इन सबकी चर्चा होने दी इसलिये अगर मैं यह कहूं कि यह अप्रासंगिक है तो मेरा कहना गुस्ताखी होगा। फिर भी मेरी स्थूल बुद्धि में इस विधेयक से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। उन बातों के संबंध में दिल्ली की बात के लिये तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के संबंध में जो बातें हैं उनके संबंध में हम इस बात को कह सकते हैं और मेरा विश्वास है कि यदि मैं उनका जिक्र करूं और उनका उत्तर देने की कोशिश करूं तो सदन का समय नष्ट करना होगा। इसलिये मैं कुछ नहीं कहूंगा।

हां, यह जो देर हो जाती है जिसकी वजह से मियाद बढ़ानी पड़ती है उसके संबंध में दो एक बातें कही गईं। मैं भी दो एक शब्द कहूंगा कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है हम नहीं चाहते हैं कि देर हो। चाहे मिल-मालिक जीतें या मजदूर जीतें। लेकिन फैसला देर में हो इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, हम जरूर चाहते हैं कि फैसला जल्दी हो। लेकिन बहुत सी मजबूरियां होती हैं। एक मजबूरी बहुत बड़ी यह है कि जो प्रत्यक्ष है और मैंने कई बार कहा है कि मिल-मालिकों के पास बहुत बड़े साधन होते हैं और उनका हाथ बहुत लम्बा है और जो कानून है उसके तहत में वह बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिनकी वजह से देर हो सकती है। जितने मुकद्दमे हुये हैं उनकी अगर छानबीन की जाय तो दिखाई पड़ेगा अधिकांश मामलों में मिल-मालिकों की वजह से देरी हुई है। मसलन एक बड़ी आसान चीज है कि अगर कोई चीज समझ में न आई तो हाई कोर्ट में रिट ले आये हमारे यहां लेबर की अदालतों में वकील नहीं जा सकते हैं। सलाह वगैरह तो लेते ही हैं लेकिन अदालत में नहीं जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में वकील जा सकते हैं, बैरिस्टर जा सकते हैं और वह जानते हैं कि किस तरह मुकद्दमा ज्यादा लम्बा खिंच सकता है। जब कोई मुकद्दमा हाई कोर्ट में दायर कर दिया जाता है तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक लेबर ट्रिब्यूनल हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट को तो हम बांध नहीं सकते, हमारे हाथ की चीज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सिटीजन्स के जो भी अधिकार हैं, जिनका किसी भी कानून में उल्लेख नहीं है उन सब का रक्षक हाई कोर्ट है। बहरहाल, यह साधन उनके हाथ में है। साथ ही इसके जैसा कि अभी श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी जी ने बताया कभी कभी मजदूरों की तरफ से भी ऐसी कार्रवाई होती है कि मुकद्दमा देर तक चले। उसका मुख्य कारण यह है कि जब तक कोई लेबर का मुकद्दमा चलता रहता है, तो कम से कम हमारे यहां यह कायदा है कि तब तक मजदूर निकाला नहीं जा सकता। कभी-कभी मजदूरों को इस बात का डर होता है कि यदि यह मामला जल्दी ही खत्म हो गया तो किसी मजदूर को निकालने की कोशिश होगी। बहरहाल, ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से देर तक खिंच जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुकदमा देर तक खिंच जाय। न पहले हमारी कोई ऐसी कोशिश हुई और न आगे होगी। हां, जहां मजबूरी हो जाय वहां फैसला हो सके, इसलिये हमने इस अधिकार को मांगा है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों के (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २—४

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० २८, १९-४७ में धारा ६ (क) का रखा जाना

२—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० की (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ६ के बाद निम्नलिखित धारा ६(क) के रूप में बढ़ा दिया और यह सदा जुड़ा हुआ समझा जाय—

"पंच निर्णयों को उपस्थित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना

६—क—यदि इस ऐक्ट के अन्तर्गत या इसके अनुसार दी हुई किसी भी आज्ञा में जिसके द्वारा कोई औद्योगिक झगड़ा (विवाद) निर्णय के लिये सौंपा गया हो, पंच निर्णय (एवार्ड) देने, उसे प्रख्यापित करने अथवा उपस्थित करने की अवधि निर्दिष्ट की गयी हो या उसका निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार को यह क्षमता प्राप्त होगी कि वह समय-समय पर इस अवधि को बढ़ा सके यद्यपि आरम्भ में निश्चित की गयी अथवा बढ़ायी हुई अवधि व्यतीत हो चुकी हो या पंच निर्णय दिया जा चुका हो।"

सन्देहों का दूर करना तथा वैधीकरण।

३—सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि :—

(१) धारा ६ (क) में अभिदिष्ट समय बढ़ाने की किसी ऐसी आज्ञा (Order) के संबंध में जो मूल अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत पारित किसी आज्ञा (Order) के अधीन इस अधिनियम के पूर्व दी गयी हो और जो मूल अधिनियम के अधीन यदि धारा ६ (क) उक्त अधिनियम का अंग होती तो वैध तथा यथोचित रूप से दी जाती यह समझा जायगा कि वह उक्त अधिनियम के अधीन वैध तथा यथोचित रूप से दी गयी और दी जा चुकी है,

(२) मूल अधिनियम के अधीन निर्णय के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सौंपे गये किसी औद्योगिक झगड़े में कोई भी पंच निर्णय चाहे वह उक्त प्रारम्भ से पहले या बाद में दिया गया हो, केवल इस आधार पर अवैध न होगा कि आरम्भ में निर्दिष्ट अथवा बाद में बढ़ायी गयी अवधि पंच निर्णय देने, प्रख्यापित करने अथवा उपस्थित करने के दिनांक पर समाप्त हो चुकी है और उस पंच निर्णय पर या उसके अनुसार किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया आदेश या प्रयुक्त अधिक्षेत्र विधितः ठीक और वैध होगा मानो कि ऐसे सभी दिनांकों पर जिनका उस विषय में कोई महत्व हो धारा ६ (क) प्रचलित थी।

(३) पंच- निर्णय के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में विचाराधीन प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय इस प्रकार किया जायगा मानों कि ऐसे सभी दिनांकों पर जिनका उस विषय में कोई महत्व हो धारा ६ (क) प्रचलित थी।

निवर्तन। ४--(१) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश १९५३ एतद्द्वारा निवर्तित किया जाता है और यू० पी० जेनरेल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि यह किसी उत्तर प्रदेशीय अधिनियम द्वारा निवर्तित विधायन हो,

(२) सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश की धारा ४ के अधीन और उसके अनुसार प्रत्यालोचन के लिये दिया गया कोई प्रार्थना-पत्र अध्यादेश के निर्मित होते हुये भी उसी प्रकार जारी रहेगा और समाप्त होगा मानो कि उक्त धारा इस अधिनियम द्वारा पुनः विहित हुई है।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड २, ३ तथा ४ इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

## उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में संशोधन करने का

## विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में संशोधन करना आश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। १--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का संशोधन विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## *उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०

**माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५० को, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १०५ (ख) (१) के अधीन फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक १३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्वाइण्ट आफ आर्डर। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५० को फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के बारे में जो माननीय मंत्री प्रस्ताव कर रहे हैं उसके विषय में मुझे यह कहना है कि इस सदन के सामने रिपोर्ट आ चुकी थी और इस सदन के माननीय सदस्य अपने संशोधन भी दे चुके थे। कई दिनों तक एजेंडे में उस पर विचार और संशोधन साथ साथ छपते रहे लेकिन जो अनुसूची मिली है उसमें उन संशोधनों का कहीं जिक्र भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें नियम १०५ (ख) (१) लागू नहीं होता है बल्कि नियम १०६ और उसके बाद तत्संबंधी बिलों पर विवाद के जो नियम हैं वे लागू होते हैं। अब माननीय मंत्री जी ने काफी देर कर दी है। अगर उनको प्रवर समिति को रिकमिट करने का प्रस्ताव रखना था तो इससे पहले जब हाउस के सामने रिपोर्ट आई थी उस समय रिकमिटल का कोई प्रस्ताव रखते। यह विधेयक २० जनवरी, सन् ५० को असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उसके ऊपर समिति बैठी। फिर ५ अक्टूबर, १९५१ को दुबारा यह प्रवर समिति को सौंपा गया। उसकी रिपोर्ट जनवरी में निकल चुकी है तथा वह फरवरी में हाउस के सामने आ चुका है अब फिर अगस्त में वह तिबारा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है। इस प्रकार से बार बार सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना एक असाधारण प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उद्देश्य और कारणों की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिनमें यह बताया गया है कि यह बिल कब आया और कितनी बार सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया। इससे तो अच्छा यह हो कि सरकार इस बिल को वापिस ही ले ले और कह दे कि नागर क्षेत्र में जमींदारी को खत्म ही नहीं करेंगे। जब यह दो बार सेलेक्ट कमेटी में हो आया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर इसका तीसरी बार सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना किस प्रकार नियमानुकूल है।

श्री चरण सिंह---मेरी समझ में तो नहीं आता कि यह किस प्रकार से प्वाइंट आफ आर्डर हुआ जो कुछ भी बातें उन्होंने कही हैं वे तो केवल आब्जेक्शन हो सकती हैं। उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है।

मोशन जो मैंने पेश किया है उसके सम्बन्ध में जरूर मैं कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त ने यह बताया कि यह विधेयक तीसरी बार प्रवर समिति के समक्ष भेजा जा रहा है लेकिन वास्तविकता यह है कि यह दूसरी बार ही भेजा जा रहा है। जनवरी सन् ५० में किन्हीं वैधानिक बातों को दृष्टि में रखते हुए यह विधेयक वापिस किया गया था। वैसे तो यह महत्त्वपूर्ण है ही, लेकिन जो भी विधेयक यहां गवर्नमेंट की ओर से प्रस्तुत किये जाते हैं वे सब महत्त्वपूर्ण ही होते हैं चाहे वे एक आदमी से संबंध रखते हों या एक से अधिक से लेकिन एक दूसरी दृष्टि भी है जिसके अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि इसका असर केवल १ लाख ४२ हजार एकड़ जमीन पर ही होता है जब कि हमारी तहसीलों में कल्टीवेटेड जमीन का औसत १ लाख ८० हजार एकड़ जाता है यानी एक तहसील के तीन चौथाई कृषि योग्य भूमि से ही केवल इसका सम्बन्ध है जब कि हमारे यहां २०६ या २०७ तहसीलें हैं। इस दृष्टिकोण से यह बिल बहुत लोगों की जिन्दगी पर असर डालने वाला नहीं है यह विधेयक केवल इस ख्याल से पेश किया गया है कि हम जमीन से मध्यवर्ती को निकालना चाहते हैं चाहे वे एक बिस्वा में हो या ५ एकड़ में।

तिवारी जी ने कहा कि गवर्नमेंट साफ-साफ कह दे कि वह इस बिल को वापिस लेना चाहती है। अगर तिवारी जी को प्रसन्नता हो तो मैं हर बात बड़ी सफ़ाई से कहने को तैयार हूं लेकिन मैं समझता हूं कि इससे उनको प्रसन्नता नहीं होगी। उनको तो इसी से प्रसन्नता होगी कि मध्यवर्ती जहां भी हो वहां से निकाले जायं। वे बाहर से चाहे जो कुछ कहें लेकिन मैं उनके मन की बात जानता हूं। वे इस बात को दिल से तस्लीम करेंगे कि यह गवर्नमेंट इस बात का भरसक प्रयत्न कर रही है जहां तक कृषि योग्य भूमि का ताल्लुक है कि उस पर से मध्यवर्ती को दूर किया जाय। यहां पर जब ऐसा प्रस्ताव या विधेयक पेश

किया जाता है जिस पर सब की सम्मति हो, टोटल ऐग्रीमेंट हो, उसमें भी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, देर लगती है, कानून के मुताबिक काम करना होता है। ५ परसेंट रकबे से अभी इंटर मिडिअरी नहीं निकल सके हैं लेकिन मैं समझता हूं ९५ परसेंट रकबे से इंटरमीडिअरी जरूर निकल चुके हैं। जहां तक इंटरमिडिअरी को दूर करने की बात है मैं समझता हूं कि अपने दिल में वे भी इस बात को जानते हैं और वे खुद इसमें विश्वास नहीं करते, ऐसा मेरा यकीन है।

अब मेरा जो प्रस्ताव है वह केवल दो कारणों से है। एक तो यह है कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है जिस पर तीन सौ संशोधन आये हैं। मेरे पास २ अप्रैल सन् ५३ तक तीन सौ संशोधन आये हैं। तो इससे मालूम होता है कि इस विधान सभा के सभी सदस्य या बहुत अधिक तादाद उनकी यह चाहती है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय या कम से कम उनके कुछ सुझाव हैं जो कि वे पेश करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय। दूसरी बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में अगर यहां विचार करना शुरू किया जाय तो सिवा इसके कि गिलोटिन लगाया जाय और गिलोटिन लगाने से सहमत होने के बाद भी लोग बाग नाराज होकर छोड़ कर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं लाना नहीं चाहता हूं। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। जिस भाई को जितनी बात कहनी हो वह बजाय ४३० आदमियों के सामने कहने के २१ आदमियों के सामने अपने विचार को रख सकता है। इसलिये मैंने यह मोशन पेश किया और यह मोशन बिलकुल नियम के अन्दर आता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंग्रेजी की प्रति से पढ़ दूं। नियम १०५ (ए)

"*After* the presentation of the report of a Select Committee on a Bill, the member incharge of the Bill may movel—

(*a*) That the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration, but any member may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of the members for three days, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the report to be taken into consideration ;

(*b*) that the Bill as reported by the Select Committee be re-committed either (i) without limitation or (ii) with respect to particular clauses or amendment only or (iii) with instructions to the Select Committee to make some particular of an additional provision in the Bill."

[(१) विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेतन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विधेयक भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकता है—

(क) कि विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, विचारार्थ लिया जाय; परन्तु कोई भी सदस्य उसके इस प्रकार विचारार्थ लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है, यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये तीन दिन तक उपलभ्य न रही हों, और यह आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रतिवेदन को विचारार्थ लेने की अनुज्ञा न दे दें; या,

(ख) कि विधेयक को, जैसा कि उस पर समिति ने प्रतिवेदित किया है, (१) निर्बन्ध के बिना, या (२) विशेष खंडों या केवल सदस्यों के सम्बन्ध में, या (३) प्रवर समिति को विधेयक में कोई विशेष या अन्य कोई और उपबन्ध सम्मिलित करने के निर्देश के साथ, पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय।"]

इस तरह से जो हमारा संविधान है, जो हमारी नियमावली है उसके अन्तर्गत जिस साहब को जो बात कहनी हो वे वहां कह सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी में जो पुराने मेम्बर थे उन्हीं की फिर

[श्री चरण सिंह]

सेलेक्ट कमेटी रहेगी। उनको इन संशोधनों को दृष्टि में रखते हुये जो बातें भी कहनी हों उनको कहने का फिर से मौका होता है। रहा यह कि एक साल से है, दो साल से है या दोबारा भेजा जा रहा है तिबारा भेजा जा रहा है, जनवरी का महीना है या अगस्त का महीना है ये सब गैर मुताल्लिक बातें हैं। ऐसे कोई बहुत जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्तों की इत्तिला के लिये यह कहना चाहता हूं कि जो नियम १०६ में लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो डिबेट होगा वह संक्षिप्त होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जिस आदमी का मोशन होगा एक तो वे और सज्जन इसके अपोजीशन में होंगे वे ही अपनी अपनी बातें कह सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान के साथ माननीय माल मंत्री जी के इस भाषण को सुना।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का ध्यान नियम १०६ की तरफ तो गया होगा। वे अपना भाषण बहुत संक्षिप्त करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं तो बिलकुल नियम १०६ के अन्दर ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी---जी हां, मैं विरोध ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--विरोध भी आप संक्षेप में ही करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं नियम की तरफ ध्यान रखूंगा। तो मैंने माननीय मालमंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। माननीय माल मंत्री जी जैसा विद्वान् जो कि जमींदारी विनाश के बार में मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त के माने हुए पंडितों में से हैं अब हैं और पहले से भी माने जाते हैं। वे इतने संक्षेप में अपने भाषण को खत्म कर देंगे यह बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने चकबन्दी के बारे में उनका भाषण सुना। मैंने ग़लत इन्दराजों के बारे में, लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के बारे में उनके भाषण सुने। मैंने तो यह देखा कि लोग समझते थे कि काफी हो गया लेकिन फिर भी ब्योरेवार और धारा, उपधारा जितने भी सिद्धान्त थे माननीय मंत्री समझाते जाते थे। लेकिन इस मर्तबा मैंने देखा कि उनके पास कोई दलील नहीं है दोबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिये और मैं तो समझता हूं कि वह भी दिल में समझते होंगे कि इसके भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक ही दलील दी चूंकि ३०० संशोधन इस विधेयक पर आये हैं, इसलिये विधान सभा के सदस्य यह चाहते हैं कि इस पर फिर से विचार हो। किन्तु श्रीमन् मैं यह नहीं जानता कि यह ३०० संशोधन एक सदस्य ने दिये हैं, ५ सदस्यों से या दस सदस्यों ने दिये हैं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमारी ओर से ५, १० संशोधन होंगे और ऐसे ही थोड़े बहुत संशोधन हमारे कांग्रेसी भाइयों की ओर से होंगे या फिर माननीय मंत्री इतने अधिक सहिष्णु हो गये हैं कि अपने कट्टर से कट्टर विरोधी की बात को इतने हद तक समझना चाहते हैं कि पहले एक सलेक्ट कमेटी में एक बार समझा जा चुका, फिर सलेक्ट कमेटी में समझा गया और अगर कोई नोट आफ डिसेण्ट हुआ तो फिर सेलेक्ट कमेटी में समझा जाय, अगर इतनी सहिष्णुता आ गई है तो मुझे उम्मीद है कि पटवारी दोबारा रख लिये जायंगे। जब चकबन्दी विधेयक यहां आया था तो संशोधन उसमें ५० से ६० थे लेकिन माननीय माल मंत्री उन संशोधनों को इस तरह से साफ कर रहे थे जैसे घास

काट रहे हों। खैर इन ३०० संशोधनों से हमें यह फार्मूला मालूम हो गया कि जब कोई विधेयक माननीय मंत्री लायेंगे और मैं चाहूंगा कि कमेटी कायम हो तो ३०० के बजाय ५०० संशोधन पेश करूंगा ताकि माननीय मंत्री उसे सिलेक्ट कमेटी ले जायं।

**श्री शिवनाथ काटजू** (जिला इलाहाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर सर। मेरा यह निवेदन है कि नियम १०६ के अन्दर माननीय नारायणदत्त जी को इस तरह की बहस करने का अधिकार नहीं है। वह काफी सदन का समय ले चुके हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**---माननीय सदस्य का ध्यान मैं पहले ही इस नियम की ओर खींच चुका हूं।

**श्री राम नारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---रूल १०६ में यह लिखा हुआ है कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई हो और उस पर बहस होती हो तो उस पर अधिक बहस नहीं हो सकती। यहां सवाल तो दोबारा सलेक्ट कमेटी को भेजने का है। इसलिये सदन को पूरा अधिकार है कि हर कोई उसमें हिस्सा ले सके।

**श्री उपाध्यक्ष**--- माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी थी वह तो मुझे शिरोधार्य थी लेकिन माननीय काटजू से मैं कहूंगा कि वह दोबारा १०६ पढ़ लें।

**श्री उपाध्यक्ष**---मैं माननीय सदस्य का ध्यान १०५ (२) की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम १०५ (२) इस प्रकार है---

"If the Member in charge of the Bill moves that the Bill as reported by the Committee be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be re-committed"

यदि विधेयक भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक को, जैसा कि वह समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ ह, विचारार्थ ले लिया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि उसको एक समिति को पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय।]

तो यह माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक अमेंडमेंट दिया है। इस वक्त इसके लिये जो प्रक्रिया होगी वह १०६ में होगी और मैं समझता हूं कि उसको देखते हुये दो से अधिक स्पीचेज इस पर नहीं हो सकतीं।

**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---यहां की जबान हिन्दी हो गई है और मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय आप हिन्दी भी जानते होंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**---(श्री नारायण दत्त तिवारी से) आप प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**---मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता।

**श्री उपाध्यक्ष**---आप इस बिल के विरोध में जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं लेकिन संक्षेप में।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**---मैं श्रीमान् का ध्यान १०५ ए की तरफ दिलाना चाहता हूं---

"After the presentation of the report of a Select Committee on a Bill, the member in charge of the Bill may move that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration but any member may object to its being so taken into consideration."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

[विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन किये जाने के पश्चात् विधेयक भार साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, विचारार्थ लिया जाय, परन्तु कोई भी सदस्य उसके इस प्रकार विचारार्थ लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है।]

तो यह तरीका है जो माननीय मालमंत्री जी ने नहीं अपनाया। माननीय मालमंत्री जी ने बजाय १०५ (ए) के १०५ (बी) को अपनाया--

"that the Bill as reported by the Select Committee be re-committed either (i) without limitation or (ii) with respect to particular clauses or amendments only, or (iii) with instructions to the Select Committee to make some particular or an additional provision in the Bill."

[(ख) कि विधेयक को जैसा कि उसे प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, (१) निर्बन्ध के बिना या (२) विशेष खंडों या केवल संशोधनों के संबंध में या (३) प्रवर समिति को विधेयक में कोई विशेष या अन्य कोई और उपबन्ध समिलित करने के निदेश के साथ, पुनर्निदिष्ट कर दिया जाय।]

अगर उन्होंने १०५ (ए) को अपनाया होता तो मैं समझता कि मुझे भी अधिकार नहीं है। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इस वादविवाद की व्यवस्था को जरा समुचित रूप देना चाहता हूं। इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**--मेरी तो राय यही है कि यह दोनों को अप्लाई करता है। इसलिये इस हालत में मैं यह समझता हूं कि सिवा दो भाषणों के और नहीं हो सकते।

**श्री चरण सिंह**--आपके समझने को वे हुक्म नहीं मान रहे हैं।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**-- जब आपने यह व्यवस्था दे ही दी तो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है चाहे नियमों का पालन हो या न हो। मैं बैठ जाना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १०५(ख) (१) के अधीन फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)--मेरी एक प्रार्थना माननीय माल मंत्री जी से थी जो कि मैं नहीं कर सका कि अगर सेलेक्ट कमेटी में दो साहबान को और रख दिया जाय तो हमें कामा फुलस्टाप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय श्रीचन्द्र जी और माननीय जयराम जी वर्मा का नाम इसमें रख दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता।

## *उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३

**अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)**--मैं उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य विधेयक (संशोधन), सन् १९५० में इसी सदन द्वारा पास किया गया था। उसमें नियम बनाने के बाद इस वर्ष २६ जनवरी सन् १९५३ से उसके अनुसार इस प्रान्त के अन्दर अमल किया गया मौजूदा विधेयक की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि उसमें एक नियम के द्वारा जो अधिक से अधिक जुरमाना हो सकता था वह वह दो हजार रुपया था

---

* ३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

और मौजूदा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के अनुसार किसी भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को एक हजार रुपये से ज्यादा जुर्माना करने का अधिकार नहीं है। इसलिये इस बिल के द्वारा विशेष रूप से फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जा रहा है कि इस प्रकार के अपराधी के लिये दो हजार रुपये तक का जुर्माना कर सके।

दूसरी एक धारा के द्वारा इसी मूल अधिनियम के अनुसार धारा ३० में यह है कि कोई आदमी अगर किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य करने में बाधा डालेगा या हस्तक्षेप करेगा तो उसके ऊपर ४०० रुपया तक का जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन उसके अधिनियम धारा ३१ के अनुसार पुनः २०० रुपये रखा है वह नहीं होना चाहिये। इस बिल के अन्दर उसको निकालने का विधान किया गया है। इस बिल के अन्दर उसको निकालने का विधान किया गया है। इसलिये यह बिल इस सदन के सामने पेश किया गया है।

जहां इस बिल की उपयोगिता और आवश्यकता का सवाल है उसको सदन पहले स्वीकार कर चुका है। चूंकि अमल के अन्दर यह कठिनाई जाहिर हुई थी उसके लिये यह संशोधन सदन के सामने पेश किया जा रहा है।

**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपसचिव ने जो यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि जहां तक इसकी आवश्यकता का सवाल है उन्होंने यह बताया कि चूंकि धारा ४२ ख के अन्दर यह दिया हुआ है कि दो हजार तक जुर्माना किया जा सकता है और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को इसका अधिकार है कि वह एक हजार तक ही जुर्माना कर सकता है लेकिन ऐसा भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ३२ में देखा गया है कि उसमें २ साल की सजा भी दे सकता है। तो यह मैजिस्ट्रेट २ साल की सजा के अलावा एक हजार रुपया जुर्माना कर सकता है। तो ऐसी हालत में यह जो जुर्माने का सवाल है यह जरूरी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने ४२ ख के अन्दर एक हमारे ऊपर जुर्माना किया है और वह हायर कोर्ट ने इल्लीगल करार दी है। क्योंकि उनके अधिकार की सीमा के बाहर की चीज थी। इसलिये यह दिक्कत तो गवर्नमेंट के सामने या लोअर कोर्ट के सामने आ सकती है कि जो २ हजार का जुर्माना किया गया है उसको किस प्रकार से लीगलाइज किया जाय। इस वक्त इस तरह की परिस्थिति है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक भोजन का सवाल है वह स्वास्थ्य से संबंध रखता है। अगर किसी तरह से भोजन खराब हो गया तो स्वास्थ्य भी खराब होना लाजिमी है। अगर किसी प्रकार से भोजन में मिलावट हो गयी तो उसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार से कोई खराब चीज खाद्य वस्तु में मिला देने से भोजन खराब हो जाता है और इस तरह से मिलावट पैदा करने से ज्यादा संसार में और कोई पाप नहीं है क्यों कि इस प्रकार से कोई चीज मिलाने से हजारों लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यदि इसको प्रैक्टिकल रूप में देखा जाय तो दो तरह से इसमें मिलावट होती है। एक तो साधारण जनता के द्वारा और दूसरे सरकार के जरिये, क्योंकि यह देखा गया है कि सप्लाई विभाग जो कि हमारे यहाँ खाने का सामान सप्लाई करता है वह अक्सर हर जिले के अन्दर खाने के सामान में मिलावट करता है।

**श्री बनारसी दास**——मैं यह प्वाइण्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं कि संशोधन के लिये जो विधेयक इस समय सामने है उसमें शुद्ध खाद्य बिल है और वह बिल पहले यहां पर बन चुका है। इस समय उसके सिद्धांत पर बहस का प्रश्न नहीं है। जो इसके आबजेक्ट एण्ड रीजन्स हैं उसके मुताबिक केवल जो उसके अमल में कठिनाई आ गयी है केवल वही बहस सामने है। इसलिये मैजिस्ट्रेट को यह पावर दी जा रही है। उसमें अगर उनको कोई आपत्ति हो तो उस पर वह कह सकते हैं। अधिनियम का जो मंशा है वह इस विधेयक में पेश नहीं है। इसलिये यह नियम के अनुसार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर इस समय साधारण वादविवाद हो रहा है।

श्री कमला सिंह—इसके ऊपर प्रकाश डालना जरूरी है। जहां तक सप्लाई विभाग का संबंध है उसमें यह अक्सर देखा गया है कि बरसात के महीने में जो गल्ला स्टेशन पर पड़ा रह जाता है वह सड़ जाता है और उस सड़े हुये गल्ले में सप्लाई विभाग के द्वारा अच्छा गल्ला मिलाया जाता है तब उस गल्ले को वितरण किया जाता है। उस सड़े हुये गल्ले की वजह से सरकार को जो आर्थिक होनि होती है उसको पूरा करने के लिये इस गल्ले को मिलाया जाता है जैसे जनता पर सख्ती बरती जाती है सरकारी विभाग जिनके द्वारा खाने का सामान वितरण होता है उसी प्रकार उन पर भी सख्ती बरतनी चाहिये। और मैं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे गवर्नमेंट किसी विभाग पर जो सप्लाई करता है उसके ऊपर किसी तरह की रोक लगायी जा सके। लेकिन फिर भी चूंकि हम यह देखते हैं कि ऐसे लोग जो किसी तरह का मिश्रण करते हैं, जैसे पहले कड़वे तेल में आर्जिमोनी मैटिसकाना मिलाकर बेचा जाता था। गवर्नमेंट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और हमने देखा कि जो खाद्य पदार्थ खराब हालत में मिलता था वह अब अच्छे रूप में मिलने लगा। इसी तरह से यह जरूरी है कि जितनी सख्ती हो सके की जाय तभी यह हो सकता है कि हमें खाद्य पदार्थ अच्छी हालत में मिल सके और इससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ हो सकता है। लेकिन जहांतक इनफोर्समेंट का सवाल है पावर्स के मुताल्लिक हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर दो हजार से ऊपर भी मैजिस्ट्रेट को जुर्माना करने की ताकत देने की आवश्यकता हो तो हमें कोई एतराज नहीं पैदा होना चाहिये क्योंकि १९४६ के इसेंशल सप्लाइज टैम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट की धारा १३ में दिया हुआ है कि अगर विधान सभा चाहे तो मैजिस्ट्रेट को जितना जुर्माना करने का साधारणतया अधिकार है उससे अधिक जुर्माने करने का अधिकार दे सकती है और उसी धारा का यह अनुवाद है जहां तक लीगल प्रोसीजर का सवाल है हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वह परिस्थिति जिसमें कि हमें इन चीजों को करना है उनको सामने रखना जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय उपमंत्री जी सख्ती से काम करेंगे तो यह काम सुचारू रूप से चल सकता है और हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंच सकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये उपस्थित हुआ कि एक बहुत छोटा सा संशोधन वाला बिल है और माननीय कमला सिंह को हमने देखा कि इधर से उधर बह गये।

कल विरोधी दल के लोगों ने कहा कि माननीय शिवनारायण इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन उनकी तरफ के जो टापमोस्ट वकील हैं वह इधर से उधर बह जाते हैं।

सिर्फ मैजिस्ट्रेट को एक पावर देने की बात है। हमारी गवर्नमेंट ने सही मानी में सही ढंग से सुन्दर संशोधन करके मैजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार दे कर सही मानी में, जो बाजारों में करप्शन है जो गल्ला बाजारों में रद्दी मिलता है उसको ठीक करने के लिये, बड़े बड़े सेठ और दूकानदारों को ठीक करने के लिये सही पावर मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं। लेकिन माननीय कमला सिंह गंगा के कछार में चले गये। मुझे दुख है कि इतने रेस्पांसिबिल लोग कानून की धारा में बह जाते हैं। हम लोग तो वकील नहीं हैं। साधारण बुद्धि के व्यक्ति हैं। हम देखते हैं कि सदन में बहुत इल्लोगल बातें कह दी जाती हैं। मान अपमान का ध्यान नहीं रहता। माननीय उपाध्याय जी यहां नहीं हैं। माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि माननीय शिवनारायण जी फेल हो गये। मैं तो एक साल फेल हुआ वह कई साल फेल हुये।

यह तो सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट को पावर देने की बात है। इसमें तो दो मिनट का काम था यहां रोज सदन में कहा जाता है कि समय बरबाद किया जाता है। समय तो विरोधी दल के भाई इस तरह नष्ट करते हैं। विरोध करते हैं और गलत विरोध करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ मान्यवर इसका समर्थन करता हूं और आशा है कि विरोधी दल आइन्दा से इस बात का

ख्याल रखेंगे कि गवर्नमेंट के जो इकोनामिकल खर्चे होते हैं, पैसे की बचत में, वे सहायक हों, बाधक न हों।

**श्री शिवनाथकाटजू** (जिला इलाहाबाद)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, अभी विरोधीदल की ओर से इस विधेयक के ऊपर जो कमला सिंह जी ने कहा, उसके संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं।

जहां तक खाने पीने की शुद्धता का प्रश्न है उस में किसी को यह कहने की गुंजाइश नहीं है कि आज जनता चाहती है कि उसको शुद्ध चीजें मिलें। इसका संबंध स्वास्थ्य से है और यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि ऐसी व्यवस्था रहे जिसमें खाने पीने की चीजें अच्छी तरह से, शुद्ध रूप से मिल सकें।

आज यह भी देखा जा रहा है कि बहुत से स्वार्थी लोग स्वार्थ के वश यह नहीं देखते कि जनता का क्या होगा, लाखों आदमियों पर क्या बीतेगी, केवल अपने फायदे के लिये वह खाने पीने की चीजों में तरह तरह की चीजें मिला देते हैं और खाद्य को अशुद्ध कर देते हैं। सिर्फ इसलिये कि उनको ज्यादा फायदा हो। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने रुपया बनाया उसका जब मुकदमा चले तो न्याय की दृष्टि से यह लाजमी हो जाता है कि उसको सिर्फ सजा ही न दी जाय बल्कि उस पर कड़ा जुर्माना किया जाय।

पहले विधेयक में दो हजार रुपया जुर्माने की सीमा थी, लेकिन मैजिस्ट्रेटों को अक्सर एक हजार ही की पावर रहती है। उसी कठिनाई को दूर करने के लिये यह छोटा सा विधेयक रखा गया है और उसमें यह अधिकार दिया गया है उन मैजिस्ट्रेटों का जिनकी अबतक सीमा एक हजार थी कि यदि वे उचित समझें तो वह विधेयक में दिये हुये अपने पूरे अधिकार, अर्थात् दो हजार रुपया जुर्माने को लगा सकें। अब तक तो उनके हाथ बंधे हुये थे। अगर ऐसा कोई मामला आये जिस में एक हजार रुपया जुरमाने की सजा काफी न हो तो अब इस संशोधन के द्वारा उनके अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं। मेरे ख्याल में यह सदन इसको उचित समझेगा कि मैजिस्ट्रेटों को ज्यादा अधिकार दिये जायं जिनके द्वारा वह मुनासिब सजायें दे सकें।

आजकल बहुत जरूरत है कि खाने पीने की चीजों में खराब वस्तुओं के मिलाने की रोक की जाय और केवल कहने सुनने से ही काम न चलेगा बल्कि इसमें सख्ती की जरूरत है और उसी सख्ती को लाने के लिये यह विधेयक इस सदन में रखा गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मैं समझता हूं कि बहुत लम्बी-चौड़ी कोई बहस नहीं होनी चाहिए थी और इस विधेयक को बिना दूसरे पक्ष की ओर से कोई एतराज किये मंजूर कर देना चाहिये था। किन्तु मैं देख रहा हूं कि एक ऐसी भावना हो गयी कि चाहे मिनिस्ट्री की तरफ से कितना ही अच्छा विधेयक क्यों न लाया जाय मगर कुछ न कुछ उसका विरोध करना जरूरी समझा जा रहा है।

हमारे मित्र उपाध्याय जी फरमाते हैं कि चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा विधेयक क्यों न हो, डेमोक्रेसी इसी बात में है कि कुछ न कुछ समय उसके विरोध में जरूर लिया जाय। मैं तो यह समझता हूं कि यह कभी भी किसी डेमोक्रेसी का सिद्धांत (प्रिंसिपल) नहीं हो सकता कि किसी अच्छे विधेयक का विरोध किया जाय। हां, यह हो सकता है कि किसी मामले में दो रायें हों मगर जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह तो हम पहले ही मान चुके हैं कि खाने पीने की चीजों में जो मिलावट की जाती है ऐसा करने वालों पर अधिक से अधिक सख्ती की जाय और उनको अधिक से अधिक सख्त सजा दी जाय। इसी बात को विचार में रखते हुये मिनिस्ट्री ने यह सोचा कि एक आदमी जिसने पहले मिलावट का अपराध किया, खाने पीने की चीजों में मिलावट की, दूसरी बार उस पर इतना कड़ा जुर्माना किया जाय और सजा दी जाय कि आगे चल कर उसको इस बात की जुर्रत न रह जाय कि वह फिर से इस बात को दुहराये। इसीलिये इस बात को सोचा गया कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की एक हजार रुपया जुर्माना करने की जो सीमा है उस

[श्री बलवन्त सिंह]

सीमा को बढ़ाकर दो हजार रुपये से भी अधिक जुर्माना किया जा सके और इसी कारण से उस मैजिस्ट्रेट पर जिस पर आर्डिनरी कोर्स आफ ला में मामूली तरीके से एक हजार रुपये की अवधि है, उसकी अवधि बढ़ा करके दो हजार रुपये कर दी जाय। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का विधेयक लाना इस प्रान्त की जनता के लिये सब प्रकार से लाभकारी है और जितनी देर इसके लाने में हुई, वह मैं तो यह समझता हूं कि किसी प्रकार से भी क्षम्य नहीं है। यह तो बहुत जल्दी लाना चाहिये था और फिर ऐसे आदमी जो कि इसका विरोध करके समय नष्ट व वक्त खराब करें उनके लिये तो क्या कहा जा सकता है। इसलिये मैं तो अपने सभी साथियों से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम समय में ऐसे विधेयक को जो कि प्रांत के लिये और जनता के लिए इतना आवश्यक है शीघ्रातिशीघ्र पास कर देना चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बिल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और मालूम नहीं कैसे माननीय बलवन्त सिंह जी को यह मालूम हो गया कि हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। माननीय बलवन्त सिंह जी जैसे आदमी को ऐसा भ्रम हो तो मुझे कुछ अफसोस होता है। कहना केवल इतना ही है कि दो हजार रुपये जुर्माना करने की बात हम मानते हैं कि यह अख्तियार मैजिस्ट्रेट को दे दिया जाय जो कि क्रिमिनल प्रोसीजोर कोड में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दो हजार नहीं जिस तरह का यह अपराध है उसमें और ज्यादा सजा देनी चाहिये और मैं तो माननीय बलवन्त सिंह जी से यह कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ होता कि बजाय दो हजार के पांच हजार रुपये जुर्माने की बात की गई होती। पांच हजार रुपये जुर्माना की बात हम सोचते और जो ऐसा जघन्य अपराध करते हैं अध्यक्ष महोदय, सारे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। इस विधेयक को रखते हुये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जो कुछ उद्देश्य बताया गया जो कारण बताये गये हैं उसमें कहीं यह नहीं बताया गया है कि कहीं किसी को सजा हुई और उसकी सजा अदालत में टूट गई इस वजह से कि मैजिस्ट्रेटों को अधिकार नहीं था कि एक हजार रुपये से ज्यादा जुर्माना करें। यहां पर इस बात की कोई जानकारी हमको नहीं है और न तो यह जानकारी कराई गई। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहबान ने एक हजार रुपये से ऊपर जुर्माना करने की जरूरत ही नहीं समझी और न तो जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आवश्यक समझते हैं वैसी आवश्यकता हमारे मैजिस्ट्रेटों ने समझी। प्योर फूड ऐक्ट है सन् १९५० का इसको देखने से मालूम होता है कि न केवल जुर्माना करने का अख्तियार मौजूद है बल्कि अख्तियार तो उसे यह है—

"(*a*) for the first offence, to an imprisonment which may extend to one year or to a fine which may extend to an amount mentioned in the second column of Schedule I to this Act, or to both ;

(*b*) for the second or subsequent offence to an imprisonment of either description for a term which may extend to two years and to a fine which may extend to Rs.2,000 but which shall not be less than the maximum amount specified in the second column of Schedule I."

ऐसी हालत में जेलखाना भेजने का अधिकार उसे है और वह जेलखाना भेज सकता है। यदि इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री सदन की जानकारी कराते और इस से हमें लाभ उठाने देते कि कितने लोगों को प्योर फूड ऐक्ट के सिलसिले में धारा ४२ के अधीन जेलखाना जानेकी नौबत आयी तो हमें बड़ी खुशी होती और वैसे समर्थन तो हम इस बिल का कर रहे हैं लेकिन खुले दिल से और खुशी के साथ इसका समर्थन करते। मुझे संदेह है कि शायद ही कुछ लोगों

को इसमें जेलखाने जाने की नौबत आयी हो। अध्यक्ष महोदय, यह संदेह हमारा इसलिये दृढ़ होता है कि पहले कसूर में तो इसमें यह लिखा हुआ है कि एक वर्ष सजा या जुर्माना और दूसरे में लिखा हुआ है कि दोनों और यह मैजिस्ट्रेट की मरजी के ऊपर है कि जुर्माना कर दे या दोनों सजा दे दे। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं किजिसको जघन्य अपराध समझा जाता है, सदन जिसको इतना जघन्य अपराध समझता है उसमें जेल जाने की नौबत नहीं आयेगी। जो भोजन खराब देते हैं, दुनिया भर की बीमारी पैदा करते हैं, इनफेक्शस डिज़ीजेज ले आते हैं जिनसे महामारी फैलती हैऔर उस महामारी के हम शिकार होते हैं, उनके लिये जेलखाने की नौबत नहीं आने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती यदि मैं यह सुनता कि जो हमारा खाना खराब करने वाले लोग हैं उनको जेल का खाना पाने के लिये साल छै महीने के लिये भेजा जायगा। जब वहां उनका स्वास्थ्य सुधरता तब शायद वे बाहर आकर भोजन खराब करने की आदत छोड़ देते और वहां जाने के बाद भोजन की कुछ कदर करने लगते। फिर भी मैं आशा करूंगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो सदन को इसकी जानकारी करा के हम को लाभ उठाने का अवसर देंगे कि कितने आदमी जेलखाने गये। मुझे यह कहते हुये डर लगता है कि मैजिस्ट्रेटों को इस तरह के अधिकार हम देने जा रहे हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा मुकदमों में सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया करें और जेलखाने में उन्हें न भेजें। यह कहा जा सकता है कि हम को हमेशा इस तरह का शक हुआ करता है, तो हमें कोई शक की बीमारी नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उन हालात को देखने से हमें यह मालूम होता है कि केवल इसलिये यह बिल है कि उन्हें जेलखाना जाने से बचाया जाय और उन्हें केवल जुरमाना करा करके छोड़ दिया जाय। आर्थिक दंड उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। वे रोज घी और डालडा में और कोई चीज और गेहूं में बजड़ी और न मालूम क्या क्या चीज मिलाते हैं। इसलिये जो उनको लाभ होता है वह इतना लाभ होता है कि अगर एक दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दो हजार रुपया जुरमाना ही करा देंगे तो दूसरे दिन जब वे जुरमाना दे करके आयेंगे तो अगर रोजाना पांच सौ या सौ रुपया कमाते होंगे तो यह कहेंगे कि जुरमाना दे करके आये हैं, अब जरा और तेजी से धन्धा जारी करो ताकि जुरमाने की रकम जल्दी से जल्दी निकल आवे। मैं समझता हूं कि इस कानून में जो जेलखाना भेजने की गुंजायश है, मैं नहीं कह सकता, कानून के पंडित लोग इस सदन में मौजूद हैं, कहां तक सरकार मैजिस्ट्रेटों को हिदायत दे सकती है कि जेलखाने की सजा दी जाय। यदि हम ऐसा कर सकें कि जुरमाने की सजा न देकर के जेलखाने की सजा उनको दिलवाई जाय तो जो उद्देश्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का है वह सफल हो सकता है। इस उद्देश्य की सफलता के लिये अच्छा होता कि वे आज नहीं कल या जिस दिन चाहें उस दिन एक बिल ले आयें और उस बिल को, हम समझते हैं कि बिला किसी डिबेट के जैसा वह रखेंगे उसी तरह से हम लोग समर्थन करेंगे और वह बिल पास कर दिया जायगा।

**श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की उपयोगिता के संबंध में इस सदन में दो रायें नहीं हो सकतीं और न बाहर ही हो सकती हैं। जिस दृष्टिकोण से यह विधेयक उपस्थित किया गया है कि खाद्य पदार्थों में अडल्टरेशन करने वालों को अधिक से अधिक सजा दी जाय उस दृष्टिकोण से मैं माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख कुछ उपाय उपस्थित करना चाहता हूं।

एक तो समरी ट्रायल जैसी कोई व्यवस्था इस संबंध में होनी चाहिये। समरी ट्रायल व्यवस्था इसलिये मैं कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि रेगुलर ट्रायल्स में जो कोर्टस् होते हैं वह इतने लम्बे चलते हैं और उनको इतनी सुविधा मिल जाती है और इतनी तारीखें बढ़ती हैं कि जिससे जितनी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं वह पैदा करते हैं क्योंकि उनके पास रुपये की कमी नहीं होती है और इससे उनको सुविधा मिलती है। लम्बे ट्रायल में वह मुकदमे के महत्त्व और भीषणता का खत्म कर देते हैं। आखिर में चाहे उनको कुछ थोड़ी सजा भी मिल जाय लेकिन उसकी भीषणता जिसका कि मनोवैज्ञानिक, साइकालाजिकल इम्प्रेशन पड़ता है उसको वह समाप्त कर देते हैं।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

इसलिये मेरी यह राय है और मेरा यह सुझाव है समरी ट्रायल जैसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी होना चाहिये कि केस दायर होने के एक हफ्ते के भीतर उस केस का फैसला भी हो जाय।

दूसरे मेरी राय यह है कि यदि खाद्य समस्या के प्रश्न में सजा के संबंध में संदेह हो तो मेरा ख्याल है कि जेलखाने और जुरमाने के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिये लेकिन यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जेलखाने की भी सजा होनी चाहिये और साथ ही साथ जुरमाने की भी सजा होनी चाहिये। एक बात स्पष्ट में और ऐड कर देना चाहता हूं कि आमतौर से मजिस्ट्रेट या कोर्ट यह करती है कि बजाय मैक्सिमम के मिनिमम पर आती है, ऐसी आजकल टेंडेंसी है। तो उसमें यह स्पष्ट हो जाय कि जो मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक जुरमाना या सजा हो वह होनी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि खाद्य समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि बिला किसी भेद भाव के इस कदर हमारे स्वास्थ्य के संबंध में व्यापार किया जा रहा है, जगह जगह और गली गली और उससे जो हमारे स्वास्थ्य का बुरा नुकसान हो रहा है उससे स्वास्थ्य विभाग की कुल स्कीम्स डिफीट कर जाती है। इसलिये जब यह ट्रायल हो और जो उसके जुरमाने हों तो उसको कार्यान्वित और क्रियात्मक रूप शीघ्र दिया जाय। होता यह है कि अपील और उसके बाद जो दूसरी बातें होती हैं वे सब इन परपजेज को डिफीट कर देती हैं। मैं समझता हूं कि इसकी उपयोगिता के बारे में दो रायें नहीं हैं। मैं समझता हूं कि विरोधी दल की ओर से जो भाषण हुये हैं वे भी स्वागत के रूप में हुये हैं। इसलिये अगर सरकार इसे इन सुझावों के साथ स्वीकार कर ले तो बेहतर होगा।

**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का सहर्ष समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खाद्य की शुद्ध चीजों के मिलने की समस्या आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज हमें न शुद्ध घी दूध ही मिलता है और यहां तक कि दवाइयों में भी इनजैक्शन्स में शुद्ध जल भर कर बेचते हैं। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम सख्त से सख्त सजा इस रोग की चिकित्सा के लिये दें।

साथ ही मैं बिल के बारे में २-४ सुझाव देना चाहता हूं जिन पर मेरा ख्याल है कि विचार किया जायगा। एक तो यह है कि नमूनों के विश्लेषण में इतना अधिक समय लगता है कि उनका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। मैं चाहता हूं कि एक ही औषधि विश्लेषण का स्थान न होकर एक और होना चाहिये। दूसरे जहां ज्यादा दवाइयां बनती हैं या खाने पीने की चीजें बनती हैं वहां रेग्यूलर साम्पल कलैक्शन का इन्तजाम होना चाहिये। तीसरी बात यह है कि साम्पल कलैक्शन का काम केवल ईमानदार इंसपैक्टरों को ही देना चाहिये जिनका रेकार्ड बहुत अच्छा हो और जो संदेह के परे हों। ऐसे व्यक्तियों को छांट कर हर बड़े शहर में रखना चाहिये और वह कार्य हैल्थ आफसर के अन्तर्गत करें और साम्पल कलैक्शन करें। दफा २६ में यह है कि यदि कोई ऐक्ट की अवहेलना करे यानी लाइसेंस जिन चीजों पर ईशू किया गया है उनकी अवहेलना करें तो उसका समर्थन छीन लिया जाय। लेकिन इस बात का प्रावीजन नहीं किया गया है कि उसके बाद यह बिना लाइसेंस के वह चीज बेंचता है तो उस पर क्या पैनाल्टी होनी चाहिये। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसे तो यह भवन स्वीकार करेगा ही लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस आशय से सरकार ने १००० हजार से २००० रुपया जुरमाना रखा है वह पूरा नहीं होगा।

हमको मालूम होना चाहिये कि अदालतों के सामने जब कोई मुलजिम आता है तो सजा देते वक्त अदालतों को विचार करना पड़ता है कि उसकी जुरमाना अदा करने की शक्ति कितनी है। अगर वह गरीब आदमी है तो अदालत कभी भी उस पर १ हजार या २ हजार रुपया जुरमाना करने के लिये तैयार नहीं होगी। हम लोगों के अनुभव में भी है कि जितने केसेज अदालत के सामने आयें, वैसे तो मैं समझता हूं कि अगर किसी जिले में दो चार केसेज आ गये हों, लेकिन हम समझते हैं कि कहीं कहीं ऐसे केसेज आये भी नहीं होंगे। लेकिन जब मुलजिमान अदालत के सामने आये तो हर अदालत एक हजार रुपये तक जुरमाना कर सकती थी लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी को देखते हुये ही उन पर ५० रुपये, १०० रुपये और २०० रुपये ही जुरमाने किये गये।

हमें मालूम है कि यह प्योर फूड ऐक्ट है। हम इसके मुलजिमान की तुलना ब्लैक मारकेट करने वालों से नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे भाई श्री पद्मनाथसिंह जी ने कहा कि इन सबको समरी शेप दे दी जाय, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस तरह के मुलजिमान में और ब्लैक मार्केट करने वाले मुलजिमान में जमीन आसमान का अन्तर होता है। वास्तव में अगर सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है तो उसको यह चाहिये कि जितने सजा के मामले हों या जितने मामले चलाये जाने का सवाल हो उनमें सजा अनिवार्य कर दी जाय।

प्योर फूड ऐक्ट की दफाओं के तेहत में यह बात प्रतीत होती है कि अगर कोई मुलजिम जुर्म करता है तो पहली बार अदालत उस पर जुरमाना करेगी लेकिन जब वह दूसरी दफा जुर्म करता है तो उसको सजा भी की जा सकती है। मैं अध्यक्ष महोदय, इस भवन के सामने यह रखना चाहता हूं, हालांकि कि संशोधन तो इस समय नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर मुमकिन हो सकता हो या निकट भविष्य में सरकार को अगर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है तो जितने मामले चलाये जाने वाले हैं उनमें सरकार कैद की सजा को अनिवार्य कर दे। अगर यह नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि सरकार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार का विचार है कि अदालत दो हजार रुपया जुरमाना कर देगी लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। इस संबंध में जो व्यापारी हैं वह बहुत छोटे छोटे हैं और वह गरीब आदमी हैं। जहां तक यह सवाल है मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है जो हमारे भाई श्री पद्मनाथ सिंह जी ने कहा कि इनको समरी शेप दे दी जाय लेकिन मैं कहता हूं कि उनका यह कहना उचित मालूम नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि हालांकि कानून में ऐसे प्रावीजन हैं जिनमें कुछ आफेन्सेज को समरी शेप दे दी गई है लेकिन मैं उनको अनडेमोक्रेटिक कहने के लिये तैयार हूं।

मैं सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप जनहित और स्वास्थ्य के हित में कदम उठाते हैं तो आपको यह कड़ी कैद की सजा देनी पड़ेगी। केवल दो हजार या तीन हजार जुरमाना के कर देने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि उनमें बड़े आदमी हों जो इस ऐक्ट के अधीन आ सकते हों, वह भी डरेंगे नहीं। वह तो हमेशा इस बात को चाहते हैं कि कैद की सजा न हो। जैसे ही अदालत हुक्म सुनाती है, आदेश देती है, वह अपनी जेब में रुपया रखते हैं और फौरन एक हजार दो हजार या तीन हजार रुपये देने के लिये तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप कैद की सजा को अनिवार्य कर देते हैं तो सरकार के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है वरना जिस शेप में जिस शक्ल में यह संशोधन लाया गया है उससे आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस वक्त माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन जैसा कि हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि फूड एडल्टरेशन के लिये लोगों को बहुत सख्त सजा दी जाय, उसका भी मैं समर्थन करता हूं।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

आजकल यह देखा जा रहा है कि हमारे यहां गांवों की जो दुकानें हैं वहां जब हम जाते हैं तो वहां पर हर प्रकार के खाने के सामान में एडल्टरेशन होता है, अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था वहां मैंने देखा कि वहां के सेनेटरी इंस्पेक्टर्स ने इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों का चालान किया है। हमारे यहां गोलमिर्च के साथ तो पपीते के दाने जो यहां से इकट्ठा करके ले जाते हैं वे मिला देते हैं। जीरे में भी मिलावट होती है और घी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। लोग लिखते हैं कि शुद्ध घी में खाना बन रहा है लेकिन वह डालडा या और बेजिटेबिल आयल का होता है। जो गांव में चीजें बेंचने वाले हैं वे शहर के होलसेलर्स से इन चीजों को खरीद कर ले जाते हैं और वहां जाकर अफ़सरान लोग उनको पकड़ते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह सचमुच एडल्ट्रेशन को रोकना चाहते हैं तो जो बड़े बड़े होलसेलर्स शहरों में होते हैं जो कारखानों से तेल के टिन निकलते हैं उनकी जांच करावें। गांव के दूकानदारों को ज्यादा पहचान होती तो है नहीं, लेकिन हम लोग उनको समझाते हैं कि वे पहले से ही जब शहर में होलसेलर्स से चीजें खरीदें तो खूब देखभाल कर खरीदें ताकि पकड़ में न आवें। हमारे यहां तो यह महकमा बहुत काफी तेजी पकड़ता जा रहा है, क्योंकि वह इलाका बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है और अगर वहां इस तरह से खराब चीजें बेची गईं तो हैजा वग़ैरह के फैलने का डर रहता है। इसलिये हमारे यहां के जो इस विभाग के अधिकारी हैं वे काफी ऐक्टिव हो रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना अवश्य करूंगा कि जो लोग होलसेलर्स हैं वहां पर अगर सरकार इसकी ओर ध्यान देगी तो बहुत अच्छा होगा।

जहां तक सजा देने की बात है इसका लीगलाइज हो जाना तो बिलकुल ठीक ही है और सरकार ने दो हजार तक के जुर्माने के लिये ऐसे केसेज को किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई करने की अनुमति मांगी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, जरूर होना चाहिये। संशोधन तो शायद ही सरकार माने लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि इसका इनफोर्समेंट बड़ी सख्ती के साथ होगा। शहरों ही में, अध्यक्ष महोदय, आजकल जो अंडे बिक रहे हैं उनमें सुर्गी के अंडों में कछुए के अंडे भी बिक रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उधर भी सरकार का ध्यान दिलाने की जरूरत है। अन्त में मैं इस चीज के लिये स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि बड़े-बड़े होलसेलर्स और मिल वाले गड़बड़ी करते हैं उसकी ओर भी सरकार ध्यान देने की कृपा करेगी।

**श्री महावीरप्रसाद शुक्ल** (जिला इलाहाबाद)— माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े हर्ष की बात है कि जो विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है सदन के सभी पक्ष के सदस्य उसका हृदय से समर्थन कर रहे हैं। वस्तुतः यह ऐसा विधेयक है जिसका सम्बन्ध हमारे समाज के सर्वव्यापी जीवन से है। इस समय हमारे समाज में शुद्ध खाद्य का पाया जाना इतना दुरूह हो गया है कि जिसके कारण हमारे समाज का जीवन और स्वास्थ्य खतरे में है और इसमें कोई शक नहीं, जैसी कि इस सदन के प्रत्येक कण से ध्वनि आई है कि जो भी व्यक्ति समाज के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करता है वह समाज का सबसे बड़ा अपराधी है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रस्तुत विधेयक इस समस्या को दूर करने में, जैसी कि सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने शंका प्रकट की है और मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि अत्यन्त अपर्याप्त होगा। केवल जुर्माने की रकम बढ़ा देने से आप इन व्यापारियों को उनके इस घृणित कार्य से रोक नहीं सकते। क्योंकि वे लोग तो जुर्माने और घूस के रूप में दी हुई रकम को देकर और उसको पूंजी में जोड़ कर लागत पर लाभ उठाने के आदी हैं और इस प्रकार से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः यह विधेयक उस वक्त ही किसी प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात का उपाय सोचें कि जिनके हाथों में इस विधेयक को काम में लाने का भार है, वे अपने कर्त्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करें। हमारा इस सम्बन्ध में यह अनुभव गांवों से और कचहरियों

से है और वह यह कि जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि ऐसे कर्मचारी उन जगहों पर नहीं जाते जहां पर अधिक रूप में लाभ उठाने के लिये खाद्य पदार्थों को बिलकुल विकृत किया जाता है। वे लोग केवल वहीं जाते हैं जहां छोटे मोटे व्यापारी, गरीब दूकानदार होते हैं और उनको पकड़ते हैं लेकिन उन दूकानों पर नहीं जाते जहां पर यह सामान थोक में रहता है। वे इस बात को दिखाने के लिये केवल उन गरीब लोगों को ही पकड़ लेते हैं कि कुछ कार्य अवश्य हो रहा है लेकिन असल में जहां खाद्य पदार्थों को विकृत किया जाता है वे लोग वहां जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वहां से तो उनको एक बंधी हुई रकम मिलती रहती है। अतः मेरा स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि चाहे इस विषय में कितना ही व्यय क्यों न हो समाज के स्वास्थ्य और जीवन के लिये आपको यह करना होगा कि आप अपने कर्मचारियों को बाध्य करें कि वे प्रति दिन उन तेल के कारखानों में जायं, दवाइयों के कारखानों में जायं, घी और दूध की दूकानों में जायं और देखें कि वहां कोई खाद्य पदार्थ या दवा विकृत तो नहीं की जाती है। प्रति दिन वे लोग जाकर सुबह शाम यह देखें और उन पदार्थों का एक एक नमूना जांच के लिये केमिस्ट के पास भेजा जाय तो जो उसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। उसके बाद वह समाज में वितरित किया जाय। केवल दंड के आधार पर समाज में फैला हुआ यह रोग दूर नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि सदन में बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य इस बात को जानता है कि आज बाजार में घी, तेल, दूध, अन्न, आटा तो क्या साबूदाना और दवा तक शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। व्यापारी वर्ग थोड़े से पैसों के लिये समाज के जीवन को संकटमय बनाये हुये हैं और इस प्रकार से समाज की हत्या का काम करता है। इस प्रकार की हत्या उस हत्या से किसी प्रकार कम नहीं है जो गोली से या भाले से की जाती है। इसलिये इस सम्बन्ध में और भी कठोर से कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि सारा सदन इस विधेयक का स्वागत कर रहा है इसके पश्चात् मैं फिर स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक और लायें जिससे समाज को शुद्ध खाद्य मिलना संभव हो सके।

**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि किसी भी देश अथवा समाज की उन्नति के लिये वहां के निवासियों के स्वास्थ्य का अच्छा होना अत्यन्त आवश्यक है और स्वास्थ्य का संबंध विशेष रूप से खाद्य पदार्थों से है। जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य खराब है उस देश की किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं हो सकती। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में मिलने वाले खाद्य पदार्थ शुद्ध हों तथा वहां के निवासियों को शुद्ध भोजन मिले। मैं सरकार से इतना कहना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों में जो एक मिलावट का सिस्टम, अथवा एक अपराध करने का रिवाज आरम्भ हो गया है इसको रोकने के लिये जनता की एक बहुत बड़ी मांग है। जहां हमारी इस वर्तमान सरकार पर और अन्य दोषारोपण किये जाते हैं उनमें खाद्य में मिलावट को न रोकने का दोष भी एक मुख्य स्थान रखता है। इसलिये यह बात हमारे प्रान्त के शासकों के लिये विशेष रूप से विचारने योग्य होती है कि इस अपराध को किस प्रकार रोका जाय। आज देश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये एकमात्र साधन इस समय जो समझ में आता है वह कड़ा दंड है अर्थात् कड़े दंड की व्यवस्था ही इन अपराधों को रोक सकती है। जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है वह दंड व्यवस्था को कड़ा करने के लिये रखा गया है। परन्तु मेरा विचार यह है कि जिस भावना को, जिस उद्देश्य को लेकर सरकार ने इस संशोधन को रखा है, वह कहां तक अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगी, इसमें मुझे थोड़ा सा सन्देह है और वह इसलिये कि अब तक एक हजार रुपये तक आर्थिक दंड की व्यवस्था थी परन्तु जो इस पर अमल हो रहा है, अथवा जो लोग इससे दंडित किये जाते हैं उनके उदाहरण मेरे सामने आये हैं तो मालूम हुआ है कि बेचारे

[श्री महीलाल]

गांवों के दूध लाने वाले लोग, छोटे मोटे किसान जो थोड़ा बहुत घी लाकर बाजार में बेचा करते हैं उन लोगों को पकड़ा जाता है और उनको दंडित किया जाता है। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि दूध बेचने वाले लोग या थोड़ा घी बेचने वाले लोग अपराध नहीं करते हैं या वे इस बुरी हवा से जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की चली है उससे दूर हैं या दूध में पानी मिला कर नहीं बेचते हैं या घी में कोटोजाम मिला कर बेचने नहीं आते हैं। बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार की यह दंड व्यवस्था केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रह गयी है। इस अपराध को बढ़ाने की बहुत कुछ जिम्मेदारी व्यापारी वर्ग के ऊपर है जो कि शहरों में बैठ कर खाद्य सम्बन्धी सभी सामग्रियों का विक्रय करते हैं। उसमें आटा, दाल, मिर्च, मसाला, और दूसरी चीजों के साथ साथ घी, तेल जो मनुष्य के जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं उन सभी चीजों को बेचा करते हैं और उसमें छोटे मोटे दूकानदारों का नहीं बल्कि हमारे समाज के बड़े बड़े व्यापारियों का एक तरह से यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि हमें मालदार बनने के लिये, समाज का शोषण करने के लिये इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां एक तरह से जिस समाज के व्यापारी वर्ग की ऐसी प्रवृत्ति बन गयी हो तो समाज की सुधार समस्या पर विचार करने के लिये विशेष प्रयत्न करना ही पड़ेगा। मैं सरकार के सामने यह सुझाव रखना अति आवश्यक समझता हूं कि उसको उन लोगों की ओर, जिनके द्वारा समाज में शुद्ध खाद्य पदार्थों की व्यवस्था कायम रखने का प्रयत्न किया जाता है, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैंने यह सुना है कि जिन लोगों को इस प्रकार के अपराध में चालान करने का अधिकार है वे दूकानदारों से कुछ न कुछ मासिक तय कर लेते हैं। दूध वाले, घी वाले और अन्य प्रकार के अनेक बड़े दूकानदारों की ओर उनका ध्यान भी नहीं जाता। जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों की यह हालत है और दूसरी ओर सरकार इस बुराई को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हो तो मैं नहीं समझता हूं कि किस प्रकार सरकार अपने उद्देश्य में सफल हो सकेगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अपराध को दूर करने के लिये सरकार को एक कठोर कदम उठाना चाहिये और उसे उठाना ही पड़ेगा। केवल हजार रुपये से दो हजार रुपये दंड व्यवस्था कर देने से यह बुराई दूर नहीं हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं भविष्य में मंत्रिमंडल से यह आशा करता हूं कि वह समाज की इस बुराई को दूर करने के लिये शीघ्र से शीघ्र कोई कड़ा कदम उठायेगा।

**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—पहले मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं बाद में श्री नारायणदत्त प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—मैं दो बातें जानना चाहता था। एक तो यह कि पिछले दो साल के अन्दर वार्षिक रिपोर्ट के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को सजायें दी गईं और किस श्रेणी के खाद्य पदार्थों की मिलावट के सिलसिले में दी गईं। उनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको राशनिंग विभाग में राशन मिलाने के सम्बन्ध में सजायें दी गईं।

**श्री बनारसी दास**—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में भवन के दोनों पक्षों का पूर्णतया समर्थन प्राप्त है लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब इस पर भाषण

हो रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मुख्य अधिनियम ही इस वक्त सदन के सामने पेश हो। जहां तक कि हमारे प्रान्त में शुद्ध वस्तुओं के मुहइया करने का सवाल है इनके अन्दर जो मिलावट होती है उसको समाज में एक जघन्य अपराध समझा जाय, इसी उद्देश्य से इस सदन के सामने यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और अधिनियम के रूप में हमारे प्रान्त में उस पर अमल भी हो रहा है। तो आज कोई अवसर इस बात का नहीं था यह अधिनियम किस उद्देश्य से बनाया गया है, इस पर कोई वादविवाद हो। इसमें केवल यही प्रश्न था कि अमल में जो कठिनाई हो रही थी उसे कैसे दूर करें। माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि वह परस्पर विरोधी बात कह रहे हैं। उनको इस बात की आशंका है चूंकि इसके अन्दर सजा के साथ साथ जुर्माने का भी विधान है तो जुडीशियरी केवल जुर्माना करेगी, सजा नहीं देगी। जब कि विरोधी पक्ष की ओर से बार बार इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की दुहाई दी जाती है और जुडीशियरी को हमेशा इस बात के लिये क्रेडिट दिया जाता है कि वह अपना कार्य का सम्पादन बड़ी योग्यता के साथ करती है तो जब इस अधिनियम के अनुसार अपराध के मुताबिक दोनों व्यवस्थायें रक्खी गई हैं सजा और जुर्माना को, उससे यह अन्दाजा लगाना चूंकि विधान के अन्दर सजा और जुर्माना दोनों हैं इसलिये सरकार का मंशा यह नहीं है कि सजायें दी जायं और अदालतें केवल उन पर जुर्माना ही करेंगी। मैं तो कम से कम इस विधेयक को पढ़ कर के नहीं समझ पाया कि यह बात कहां से इसमें निकलती है। हमारे नारायण दत्त जी ने भी और गेंदा सिंह जी ने भी इस सम्बन्ध में पूछा। आपको ज्ञात होगा कि यह अधिनियम २६ जनवरी सन् १९५३ को एन्फोर्स हुआ। इस दौरान में मई तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके अनुसार कुल १,५१३ कन्विक्शन्स हुये। कुल प्रान्त में १ लाख ३० हजार ११७ रुपया जुर्माने के रूप में प्राप्त हुआ। इस अरसे के अन्दर दो व्यक्तियों को तीन तीन महीने की सजायें भी दी गईं तो इन ५ महीनों के अरसे में १,५१३ कन्विक्शंस का होना और दो व्यक्तियों को तीन तीन महीने की सजा होना जैसी चीज भी इसके अन्दर की गई है। इसमें यह भी है कि पहली बार के अपराध पर १ हजार का जुर्माना और दूसरे अपराध पर या दूसरी मरतबे से अधिक पर दो हजार तक जुर्माना रखा गया है और दो साल तक की सजा है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—गेंदासिंह जी फिर सही थे।

**श्री बनारसीदास**—श्री नारायणदत्त जी तिवारी कहते हैं कि गेंदा सिंह जी सही थे लेकिन मैं पूछता हूं कि इस अधिनियम के अन्दर कहां है कि पहली बार यदि कोई अपराध होगा तो उस पर सजा नहीं होगी। पांच महीने का यह तजुर्बा सदन के सामने रखा गया है। पहले १९१२ का यू० पी० प्रिवेन्शन आफ ऐडल्टरेशन ऐक्ट जिसके मातहत ऐडल्टरेशन पर प्रतिबन्ध लगाया गया था चूंकि वह नाकाफी समझा गया था और इसीलिये इस अधिनियम को इस प्रान्त के अन्दर लागू किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाय। अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब विभव जी ने इस ऐक्ट के अन्दर दवाओं के ऐडल्टेरेशन की बात की। इस प्योर फूड ऐक्ट से ड्रग्स से क्या सम्बन्ध है। यह ठीक है जो लोग दवाओं में मिलावट करते हैं वे भी बड़े भारी अपराधी हैं लेकिन उसके लिये तो ड्रग्ज कंट्रोल ऐक्ट है।

इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने एन्फोर्समेंट के बारे में अपने विचार व्यक्त किये और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बात का पूरा प्रयत्न होगा कि जो गम्भीरता और गुरुता इस विषय की है उसको देखते हुये अमल किया जायगा। जहां तक करप्शन का प्रश्न है वह केवल इस विभाग के एक वर्ग के साथ सीमित नहीं है। वह तो एक मौलिक प्रश्न है और वह समाज की जड़ तक जाता है। इसलिये यह कहना कि जब तक इसका सही एन्फोर्समेंट नहीं होगा यह बिल बिल्कुल बेकार होगा। मैं कहता हूं कि सरकार अपने अधिकारियों के हाथ में चाहे जितनी सत्ता दे दे लेकिन यदि उसकी ला की मशीनरी

[श्री बनारसी दास]

कोई क्यों न हो जब तक समाज के अन्दर सामाजिक कार्यकर्ताओं के अन्दर समाज के किसी अंग के प्रति जागरुकता नहीं है तो वह ऐक्ट बिल्कुल बेकार होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी जिले के अन्दर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो यह समझते हैं कि इस तरह के अपराधियों को कठिन से कठिन सजा दी जाय तो आज भी यह अधिनियम है लेकिन हम एक दूसरा अधिनियम इस सदन के अन्दर लाने पर विचार कर सकते हैं जब कि समाज के अन्दर लोकमत जागृत हो यह बतावें कि कितनी समितियां जिलों के अन्दर संगठित की गई हैं जहां पर ऐडल्टरेशन के खिलाफ जनता के अन्दर एक आन्दोलन किया जाता है। कितने केसेज इंस्पेक्टर्स के पास ले जाये जाते हैं। तो यह कहना कि जो मशीनरी है उस पर एक इलजाम के साथ प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है तो मैं कह सकता हूं कि यदि समाज के अन्दर इन अपराधों की जघन्यता को पूरी तरह से समाप्त करने का उत्साह हो और यही नहीं निरपेक्ष दृष्टि से, उदासीन भाव से केवल सद्भावना का प्रयोग करके देखें तो मैं जानता हूं कि सरकार समय समय पर केवल चन्द लोगों के पकड़े जाने की मांग नहीं रखती। लेकिन अभी यहां पर मेरे एक माननीय मित्र ने कहा था कि साहब, इस ऐक्ट के द्वारा छोटे दूध वाले और दूसरे लोग पकड़ लिये जाते हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग निर्माण करते हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं वह सब लोग इस ऐक्ट के अनुसार उसकी परिधि के अन्दर आते हैं। उनके लिये कोई किसी प्रकार का अपवाद नहीं किया गया है। ऐसे भी केसेज का हवाला दिया जा सकता है कि जहां पर बड़े बड़े वैजिटेबिल फैक्टरियों के ऊपर मुकदमे चलाये गये और उनको दंडित किया गया और एक तरफ यह दूध वाले भी पकड़े जाते हैं। छोटा हो या बड़ा हो जो भी जघन्य अपराध करता है उनके साथ किसी भी आदमी की हमदर्दी नहीं हो सकती है। कोई आदमी अपराध भी करता हो और उसके साथ किसी तरह की सहानुभूति हो यह नहीं हो सकता है। यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं और न हमारा यह मतलब हो सकता है कि इस प्रकार की दिखावट की जाय? यह मैं मान सकता हूं कि जो लोग मैनुफक्चरर हैं, होल सेलर हैं उनके लिये ज्यादा जुर्माने की व्यवस्था हो। यह बात समझ में आ सकती है लेकिन इस समय इन बातों पर विचार करना मैं यह समझता हूं कि इसकी अहमियत को कम करना है। इससें किसी प्रकार से कोई भेद नहीं है। यह तो सब लोगों के ऊपर लागू होता है। इस ऐक्ट के मातहत जहां पर कोई चीज़ बनती है वहां पर फूड इन्स्पेक्टर या इसके अधिकारी जाकर सेम्पुल ले सकते हैं। होलसेलर के पास सेम्पुल ले सकते हैं और होलसेलर के पास सीलबन्द अगर कोई डिब्बा मिलता है तो उसमें जहां होलसेलर अपराधी है या उसके साथ साथ कोई मैनुफक्चरर अपराधी है या कोई चीज किसी रिटेलर के पास पकड़ी जाती है तो इस ऐक्ट के अनुसार वह रिटेलर भी जिम्मेदार है। होलसेलर अगर मैनुफक्चरर के ऊपर जिम्मेदारी डालता है तो वह भी उसका अपराधी हो सकता है। इसलिये पहले जो प्रिवैन्शन आफ एडल्टरेशन ऐक्ट और प्योर फूड जो लागू किया गया है वह प्रान्त की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुये जब कि प्रान्त के अन्दर शुद्ध खाद्य सामग्री मिलना असम्भव हो गया और उसके प्रबन्ध के लिये समाज में एक भावना पैदा करने के लिये और जो इस प्रकार के अपराधों को करते हैं उनको अधिक से अधिक सजा देने के लिये यह अधिनियम बनाया गया है। तो आज तो यह संविधान विधेयक केवल इसलिये है कि एक मैजिस्ट्रेट एक हजार के ऊपर के जुर्माने नहीं कर सकते थे वे २ हजार तक जुर्माने कर सकें केवल इतना सीधा सा इस संशोधन का मतलब है। यह लाजिक समझ में नहीं आयी कि २ साल की सजा या २ हजार का जुर्माने का अधिकार है तो वह कैसे प्रयोग नहीं करेगा। इसका जहां तक सवाल है यह तो शिडयूल में दिया हुआ है लेकिन यह नहीं है कि प्रत्येक सूट के अन्दर जुर्माना और इतनी सजा की जाय। और फिर इस ५, ६ महीने के समय में हमने देख लिया कि किस प्रकार से अमल हुआ है और यह समय नाकाफी है।

श्री नारायणदत्त जी ने जो प्रश्न पूछा है कि कितनी सजा हुयी कितने जुर्माने हुये और कितना जुर्माना वसूल हुआ। अगर कुछ समय के अमल के बाद श्री नारायण दत्त जी यह सवाल पूछें और उसके बाद यह सदन यह समझे कि यह शुद्ध खाद्य अधिनियम नाकाफी है तो उस समय पुनः इस पर विचार किया जा सकता है लेकिन इस वक्त तो केवल यह संशोधन विधेयक इस कठिनाई को दूर करने के लिये पेश किया गया है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करेगा।

श्री गेंदासिंह—मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मैंने जो जुडिशियरी का जिकर किया था वह जुडिशियरी में उसको मानता हूं जो जजों के हाथ में है न कि मैजिस्ट्रेटों के हाथ में। मैं इसको जुडिशियरी मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३२, १९५०।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४२ के बाद निम्नलिखित नई धारा ४२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

मैजिस्ट्रेट के विशेष अधिकार

"४२-क—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुये भी किसी भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये, जिसे राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार प्रदान किये हों और जो इस अधिनियम के अधीन किसी मुकदमे की सुनवाई करे, यह विधिसंगत (lawful) होगा कि वह अनुसूची १ के स्तम्भ १ में निर्दिष्ट अपराध के लिये दूसरी बार अथवा तत्पश्चात् अपराधी ठहराये गये व्यक्ति को १,००० रुपये से अधिक जुर्माने का दंड दे सके।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३२, १९५० की अनुसूची १ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की अनुसूची १ के स्तम्भ १ में शब्द और संख्या "धारा ३१" और उसके सामने स्तम्भ ३ में शब्द "दो सौ रुपया" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३२, १९५०।

कुछ प्रयोजनों के लिये, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य अधिनियम में संशोधन करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३२, १९५०।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य अधिनियम में यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त, संशोधन करना आवश्यक है—

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सारे उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री बनारसी दास**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त विधेयक पारित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा ख़रीद विनियमन) विधेयक, १९५३

**उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय। इस सिलसिले में मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)— अब कल कहियेगा।

**श्री हुकुम सिंह**—चीज तो मीठी है सुन लीजिये।

(हंसी)

अच्छा तो कल.....

**श्री अध्यक्ष**—हां, यह हो सकता है। अब हम उठते हैं और कल फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
४ अगस्त, १९५३।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५३ एल० ए०—१९५३—८५०।